सूक्ष्म योजना

जैव-विविधता उप समिति
कॉमिक गांव

हिमाचल प्रदेश के सुधार के लिए परियोजनावन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका

Gram Panchayat	Langcha
B M C	Langcha
BMC Sub Committee	Komic
Forest Beat	Kaza
Forest Block	Kaza
Forest Range	Wildlife Range, Kaza
Forest Division	Wildlife Division Spiti

F

हिमाचल प्रदेश वन विभाग

HIMACHAL PRDESH
2001
LAHUL & SPITI
TEHSIL MAP
CHINA

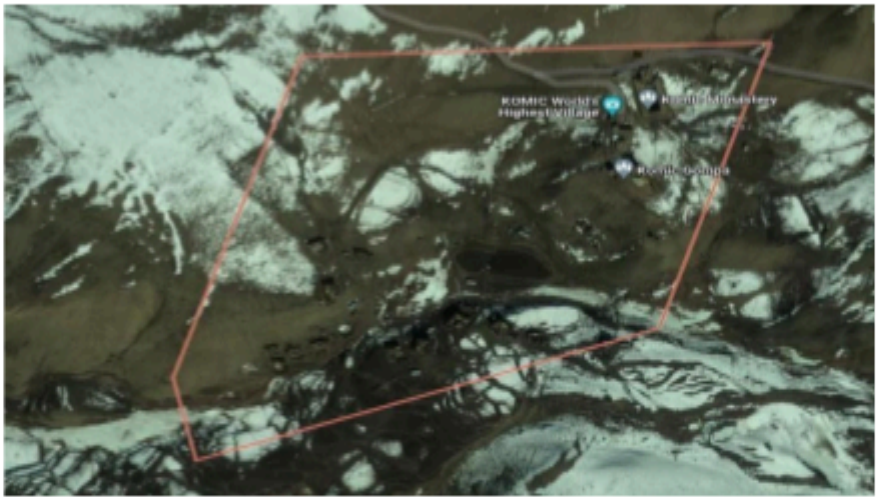
KOMIC World's Highest Village

विषयसूची

सीनियर कुंआ।	विवरण	पृष्ठ
	स्थान एवं परियोजना क्षेत्र चयनित	
	वन्य-जीवन रैंज का मानचित्र	
	बीएमसी उप-समिति का स्थान मानचित्र	
	विषयसूची	
	संक्षिप्ताक्षर और परिवर्णी शब्द	
1	परिचय	
1.1	परियोजना के उद्देश्यों	
1.2	परियोजना दृष्टिकोण और रणनीति	
1.3	संचालन का तरीका	
1.4	बीएमसी उप-समिति स्तरीय सूक्ष्म योजना की आवश्यकता	
2	मूल जानकारी	
2.1	माइक्रो-प्लान पर बुनियादी सूचना पत्रक	
2.2	उप-समिति की सामान्य रूपरेखा	
2.3	उपसमिति की कार्यकारी समिति के सदस्यों का विवरण	
3	सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया	
4	कॉमिक की सामाजिक-आर्थिक स्थिति	
4.1	उप-समिति का सामान्य विवरण	
4.2	सामाजिक रचना	
4.3	जनसंख्या	
4.4	शैक्षणिक स्थिति	
4.4.1	शैक्षिक स्थिति (वयस्क)	
4.5	आर्थिक श्रेणियाँ	
4.5.1	पीआरए अभ्यास के अनुसार धन रैंकिंग	
4.5.2	गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे एचएच (सरकारी मानदंडों के अनुसार)	
4.6	बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं तक पहुंच	
5	संसाधन विश्लेषण	
5.1	भूमि संसाधन	

5.1.1	भूमि उपयोग पैटर्न	

5.1.2	भूमि स्वामित्व पैटर्न	
5.2	वन संसाधन	
5.2.1	वन क्षेत्र	
5.2.1.1	साइट चयन और स्थान	
5.2.1.2	समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) के लिए वन्यजीव प्रभाग से डेटा	
5.2.1.3	वन का वर्णन	
5.2.1.4	हस्तक्षेप क्षेत्रों का चयन, योजना और उपचार	
5.2.1.5	संभावित स्थल के मानचित्र चयनित	
5.2.1.6	चराई, आग और अन्य जोखिमों पर डेटा और मानचित्र	
5.2.1.7	पुनर्जनन की सामान्य स्थिति (क्षेत्र, प्रजाति, क्षति आदि)	
5.2.1.8	हस्तक्षेप एरा/उपचार भूखंडों पर डेटा और मानचित्र	
5.2.2	वनों पर सामुदायिक निर्भरता में रुझान (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.3	वनों पर निर्भर एचएच (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.4	चयनित क्षेत्र के वन संसाधन (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.5	जैव विविधता	
5.2.6	एनटीएफपी संग्रह (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.7	ईंधन संग्रह और खपत (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.8	ईंधन एवं ईंधन लकड़ी की कमी (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.9	चारा संग्रहण/उपभोग (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.10	चारे की कमी (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.11	इमारती लकड़ी का संग्रहण एवं उपभोग (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.12	इमारती लकड़ी की कमी (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.13	वन प्रबंधन प्रथाएँ (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.2.14	वन संरक्षण प्रथाएँ (पीआरए अभ्यास के अनुसार)	
5.3	जल संसाधन विवरण	
5.4	कृषि संसाधन	
5.4.1	खेती योग्य भूमि उपयोग पैटर्न	

5.4.2	भूमि धारण पैटर्न	
5.4.3	फसल पैटर्न	

5.4.4	खेती योग्य भूमि की चुनौतियाँ	
5.5	पशुधन संसाधन	
5.5.1	पशुधन धारण पैटर्न	
5.5.2	मुख्य पशुधन का उत्पादन	
6	आजीविका रणनीतियाँ	
6.1	मौजूदा आजीविका रणनीतियाँ	
6.2	आजीविका-गतिविधि कैलेंडर	
6.3	भोजन की कमी	
6.4	आय की कमी	
6.5	संभावित आजीविका रणनीतियाँ	
7	संस्थागत विश्लेषण	
7.1	मौजूदा समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)	
7.2	बाहरी संपर्कों के लिए प्राथमिकताएँ (उप-समिति क्षेत्र में कार्यरत सरकारी संस्था)	
8	समस्या विश्लेषण एवं समाधान	
8.1	समस्याओं और वैज्ञानिक समाधानों का विश्लेषण किया	
8.2	अनुमानित समस्याएँ और समाधान	
8.3	कार्यान्वयन गतिविधियाँ/हस्तक्षेप	
8.4	उप समिति का SWOT विश्लेषण	
8.5	परियोजना अवधि के लिए विकास के उद्देश्य निर्धारित करना	
9	समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना (सीबीएमपी)	
9.1	जैव विविधता क्या है?	
9.2	सामुदायिकता आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना	
9.2.1	समुदाय आधारित जैव विविधता निगरानी	
9.2.2	कोमिक उप-समिति क्षेत्र के भीतर समुदाय-आधारित जैव विविधता निगरानी पर गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा पर डेटा	

9.2.3	कोमिक उप-समिति क्षेत्र के भीतर समुदाय आधारित जैव विविधता निगरानी पर गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा पर परिणाम	
9.2.4	गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा पर योजना बनाना	

	कोमिक उप-समिति क्षेत्र के भीतर समुदाय-आधारित जैव विविधता निगरानी	
9.3	जनरल हाउस द्वारा सीबीएमपी एवं अन्य गतिविधियों का अनुमोदन	
9.4	समझौता ज्ञापन (एमओयू)	
9.5	सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी (उप-समिति) को परियोजना सहायता	
9.6	वृक्षारोपण गतिविधियों की पहचान की गई	
9.7	मृदा एवं जल संरक्षण	
9.8	भौतिक एवं वित्तीय योजना (सीबीएमपी)	
10	सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार योजना **(**सीडी एवं एलआईपी**)**	
10.1	सामुदायिक विकास गतिविधियाँ	
10.2	सामुदायिक विकास कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय विवरण	
10.3	प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय आय सृजन गतिविधियाँ	
10.4	वार्षिक कार्य योजना **(2022-23):** सीडी एवं एलआईपी	
11	बाहरी एजेंसियों के साथ अभिसरण	
11.1	अभिसरण के लिए गतिविधियों की पहचान की गई	
11.2	अभिसरण गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय	
12	कार्यान्वयन रणनीतियाँ	
12.1	घटकों और उप-घटकों पर कार्यान्वयन दिशानिर्देश	
	सहभागी वन प्रबंधन मृदा एवं जल संरक्षण/भूस्खलन नियंत्रण के उपाय लैंगिक मुख्यधारा के साथ सामुदायिक विकास और आजीविका में सुधार	
12.2	सामुदायिक संस्थानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
12.4	वर्षवार प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना	

12.5	वर्षवार प्रशिक्षण प्रस्तावित	
12.6	सामुदायिक संस्थानों द्वारा बनाए रखा जाने वाला रिकॉर्ड	
	अनुलग्नक:	
	ग्राम पंचायत का संकल्प मैं	

	उप-समिति कॉमिक का अवलोकन मानचित्र द्वितीय	
	सामाजिक मानचित्र---------- ---------- तृतीय	
	संपत्ति रैंकिंग श्रेणियां-----IV	
	भूमि उपयोग/संसाधन मानचित्र उप-समिति में	
	उप-समिति कॉमिक का उपचार/योजना मानचित्र हम	
	उपचार भूखंडों का विस्तृत विवरण---------- VII	
	उपयोगकर्ता समूह का विवरण---------- आठवीं	
	सांसद अनुमोदन हेतु कार्यवाही/संकल्प नौवीं	
	समझौता ज्ञापन एक्स	
	उप-समिति के उपनियम ----------ग्यारहवीं	
	उप-समिति कॉमिक का जनरल हाउस बारहवीं	
	उप-समिति पंजीकरण प्रमाणपत्र---------- XIII	
	सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया की झलकियां ---------- XIV	
	वित्तपोषण और मंजूरी के लिए सूक्ष्म योजना मूल्यांकन मानदंड--XV	
	अन्य प्रासंगिक जानकारी/मानचित्र XVI	
	कॉमिक उप-समिति का कुल बजट एक नज़र में---XVII	

संक्षिप्ताक्षर और परिवर्णी शब्द	
एडीएमयू	सहायक प्रभागीय प्रबंधन इकाई
एएनआर	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन
बो	ब्लॉक अधिकारी
सीबीएमपी	समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना
चुनाव आयोग	कार्यकारी समिति
सीडी एवं एलआईपी	सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार योजना
सीआईजी	सामान्य हित समूह
डीएमयू	प्रभागीय प्रबंधन इकाई
एसएमएस	विषय वस्तु विशेषज्ञ
एफसीसी	वन वृत्त समन्वय इकाई
एफजीडी	वनरक्षक
एफटीयू	फ़ील्ड तकनीकी इकाई
गिस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
एफडी	वन मंडल
हिमाचल प्रदेश सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार
जीपी	Gram Panchayat
हा.	हैक्टर
परिवारों	परिवारों
हिमाचल प्रदेश	Himachal Pradesh
एचपीएफडी	हिमाचल प्रदेश वन विभाग
आईएफएमएस	एकीकृत वन प्रबंधन प्रणाली
आयु	आय सृजन गतिविधियाँ
आईएनआर	भारतीय रुपए
जेआईसीए	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
क्या	प्रबंधन सूचना प्रणाली
मिमी	MahilaMandal
नहीं।	प्राकृतिक पुनर्जनन
एनटीएफपी	गैर-इमारती वन उपज
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव

पीएफएम	सहभागी वन प्रबंधन
PIHPEM&L	परियोज के सुधार का हिमाचल प्रदेश जंगल ना लिए

	पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
के लिए	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
आरआरए	तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन
आरओ	रेंज अधिकारी
स्वयं सहायता समूह	स्वयं सहायता समूह
एसडब्ल्यूसी	मृदा जल संरक्षण
जब तक	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
बीएमसी	जैव विविधता प्रबंधन समिति
YM	YuvakMandal
डब्ल्यूएचएस	जल संचयन संरचना

1. परिचय

1.1 परियोजना के उद्देश्यों

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (एचपीएफईएसएमएलआईपी) का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार सहायता और संस्थागत क्षमता को मजबूत करके परियोजना क्षेत्र में वन क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और वृद्धि करना है, जिससे योगदान दिया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य में परियोजना क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सतत, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए।

1.2 परियोजना दृष्टिकोण और रणनीतियाँ

परियोजना का लक्ष्य नीचे दिए गए परियोजना आउटपुट के अनुरूप चार घटकों के तहत परियोजना हस्तक्षेप द्वारा परियोजना क्षेत्र में वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से प्रबंधित और बढ़ाना है। प्रत्येक घटक में प्रारंभिक चरण, कार्यान्वयन और चरणबद्ध चरण होते हैं।
आउटपुट 1: सतत वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, आउटपुट 2: जैव
विविधता संरक्षण और
आउटपुट 3: आजीविका सुधार सहायता आउटपुट 4: संस्थागत क्षमता
सुदृढ़ीकरण द्वारा समर्थित है

परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना के तहत अपनाए जाने वाले बुनियादी तरीकों में शामिल हैं;
स्थायी आजीविका के माध्यम से वन-सीमावर्ती समुदायों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और अपने स्वयं के पर्यावरण के प्रबंधन में ग्रामीण लोगों की सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना।
ग्राम वन विकास सोसायटी (वीएफडीएस) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी)/उपसमितियों जैसे सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करना।
आय सृजनात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की गरीबी को कम करना।
साइट विशिष्ट तकनीकी और वैज्ञानिक वानिकी हस्तक्षेपों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना, जिसमें मिट्टी और नमी का संरक्षण, उपयुक्त सिल्वी-सांस्कृतिक संचालन के माध्यम से क्षरण वाले क्षेत्रों का पुनर्भरण, उपलब्ध रूट स्टॉक की अंतर्निहित क्षमता का उपयोग, उपयुक्त प्रजातियों के साथ रोपण, खाली पैच में ब्लॉक वृक्षारोपण शामिल है।
अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (आईएससी) को बढ़ावा देना।

हस्तक्षेप को होना की योजना बनाई और कार्यान्वित द्वारा वीएफडीएस/जेएफएमसी और जैव विविधता प्रबंधन समिति/उपसमितियां (सूक्ष्म योजना)। हिमाचल प्रदेश वन विभाग और वीएफडीएस/जेएफएमसी की क्षमता विकास। स्थायी रोजगार उत्पन्न करने, उद्योगों को विकसित करने और वनों के मूल्य को बढ़ाने के लिए वन-आधारित और गैर-वन-आधारित उद्यमों (जैसे औषधीय और सुगंधित पौधों का मूल्यवर्धन और विपणन, आदि) को बढ़ावा देना।

जेआईसीए दिशानिर्देशों और लागू भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुसार उचित सुरक्षा उपायों के माध्यम से समाज में सामाजिक रूप से वंचित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनवासियों, महिलाओं और अन्य कमजोर लोगों की देखभाल करना। वन विभाग और उसके कार्मिकों की संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण।

1.3 संचालन का तरीका

चिन्हित क्षेत्रों को सहभागी वन प्रबंधन (पीएफएम) मोड और विभागीय मोड में विभाजित किया जाएगा। यदि पहचाने गए संभावित हस्तक्षेप क्षेत्र समुदायों से दूर हैं, लेकिन परियोजना के उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है और पीएफएम संस्थान (वीएफडीएस/बीएमसी उप-समिति) इन क्षेत्रों में काम करने की अनिच्छा दिखाते हैं, तो ऐसे हस्तक्षेप विभागीय स्तर पर किए जाने चाहिए। तरीका। हालाँकि, स्थिरता के दृष्टिकोण से जहां लागू हो वहां पीएफएम मोड का चयन किया जाएगा। विभिन्न तरीकों के तहत कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

पीएफएम मोड

पूर्व-स्थिति मृदा और जल संरक्षण (एसडब्ल्यूसी) कार्य सहित जल निकासी लाइन उपचार, निम्नीकृत वनों में बहुउद्देश्यीय वृक्षों के रोपण द्वारा मध्यम घने जंगलों का घनत्व ताकि खुले जंगलों को मध्यम घने जंगलों में और मध्यम घने जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सके; बड़े क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होने के लिए अंतराल वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित वन क्षेत्रों का वनरोपण/खुले/झाड़ीदार वनों का पुनर्वास

चरागाहों/घास के मैदानों में सुधार (इन-सीटू एसडब्ल्यूसी कार्यों सहित) वन अग्नि सुरक्षा

वन क्षेत्रों के बाहर वानिकी हस्तक्षेप

विभागीय मोड
परियोजना हस्तक्षेप क्षेत्रों में वन सीमा प्रबंधन में सुधार, नर्सरी में सुधार
पौध उत्पादन
गैर-पीएफएम ड्रेनेज लाइन उपचार (एक्स-सीटू एसडब्ल्यूसी कार्य: उपचार योग्य सतह कटाव
नियंत्रण सहित)
मौजूदा वनों के सुधार के लिए माध्यमिक सिल्वी-सांस्कृतिक संचालन मध्यम घने
वनों का सुधार/घनत्वीकरण
वनरोपण/खुले/झाड़ीदार वनों का सुधार
चरागाहों/घास के मैदानों में सुधार (इन-सीटू एसडब्ल्यूसी कार्य सहित) वन अग्नि
प्रबंधन

इसके अलावा, सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (सीडी और एलआईपी) को सामान्य हित समूहों (सीआईजी), उपयोगकर्ता समूहों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और वीएफडीएस की कार्यकारी समिति सहित पीएफएम संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

1.4 उप-समिति स्तरीय सूक्ष्म योजना की आवश्यकता

बीएमसी उप-समिति स्तर पर सभी परियोजना गतिविधियाँ दीर्घकालिक (5-7 वर्ष) विकास/परिप्रेक्ष्य सूक्ष्म योजना की तैयारी के बाद शुरू की जाएंगी।
सूक्ष्म नियोजन को एक सशक्त प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा जो बीएमसी उप-समिति को अपने बारे में, अपने संसाधनों, मुद्दों और चुनौतियों, शक्तियों और कमजोरियों के बारे में और अधिक जानने और अपने स्वयं के विकास और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन की योजना बनाने में मदद करती है।
बीएमसी उप-समिति स्तर पर पीआईएचपीएफईएम एंड एल गतिविधियों का कार्यान्वयन संबंधित वीएफडीएस/बीएमसी उप-समिति द्वारा तैयार अनुमोदित माइक्रो प्लान द्वारा निर्देशित किया जाएगा। सूक्ष्म योजना तैयार करना क्षेत्रीय गतिविधियों के कार्यान्वयन का पहला कदम होगा।
माइक्रो प्लान एक व्यापक विकास योजना होगी जिसमें वन और आजीविका विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म योजना बीएमसी उप-समिति द्वारा प्रबंधित वन और गैर-वन दोनों क्षेत्रों को कवर करेगी। माइक्रो प्लान वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत और वन प्रभाग की कार्य योजना के नुस्खे के संदर्भ में बीएमसी उप-समिति की जरूरतों को व्यापक योजना में एकीकृत करेगा।

माइक्रो प्लान न केवल वानिकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह व्यापक होना चाहिए ताकि इसमें सभी विकास गतिविधियों को शामिल किया जा सके जो अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा अभिसरण के माध्यम से शुरू की जा सकती हैं। माइक्रो प्लान की तैयारी के दौरान बीएमसी उप-समिति अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी और माइक्रो प्लान तैयार करने के बाद, इसे बीएमसी उप-समिति में अपनी गतिविधियों को संतुलित करने के लिए अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

एक सूक्ष्म योजना में दो प्रकार की उपयोजनाएँ शामिल होंगी; i) वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (FEMP) और, ii) सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP) और प्रत्येक रेंज के लिए FTU द्वारा एकत्रित किया जाएगा।

एफईएमपी और सीडी एंड एलआईपी द्वारा रचित माइक्रो प्लान के तहत, 10 साल के दृष्टिकोण के आधार पर 5 वर्षों के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जानी है। अभ्यास के दौरान, पिछले वर्ष की उपलब्धियों का आकलन किया जाएगा और परियोजना कार्यान्वयन की दक्षता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए मुद्दों और सुधारात्मक उपायों की पहचान की जाएगी।

4 के दौरान की गई वार्षिक योजना में$^{वां}$ वर्ष, चौथे आने वाले 5 वर्षों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। 2 की प्रक्रिया-5 साल की कार्य योजना उसी चरण का पालन करेगी जैसा कि उपरोक्त अनुभाग में चर्चा की गई है।

माइक्रो प्लान की एक प्रति, तैयार होने पर, बीएमसी उप-समिति में उनकी गतिविधियों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय (बीडीओ) और अन्य संबंधित विभागों के साथ साझा की जाएगी।

हालाँकि माइक्रो प्लान 5-7 साल की अवधि के लिए तैयार किया जाएगा लेकिन वार्षिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

2. मूल जानकारी

2.1 माइक्रो प्लान पर बुनियादी सूचना पत्रक

	बीएमसी उप-समिति का नाम	हास्य
	वार्ड का नाम	हास्य
	पंजीकरण संख्या।	एचपीसीडी-3990
	ग्राम पंचायत/बीएमसी का नाम	लंगचा
	एफटीयू/रेंज का नाम	मुर्गा
	डीएमयू/वन प्रभाग का नाम	मुर्गा
	जिले का नाम	लाहूल&स्पीति
	सूक्ष्म योजना की अवधि	2022-23 से -2027-28 तक
	बीएमसी उप की कार्यकारी समिति द्वारा माइक्रो प्लान के अनुमोदन की तिथि समिति	(माइक्रो प्लान की मंजूरी के लिए बीएमसी उप-समिति का प्रस्ताव संलग्न)
	डीएमयू के प्रमुख द्वारा माइक्रो प्लान के अनुमोदन की तिथि	**21/11/2022**
	टीम के प्रमुख सदस्य माइक्रो प्लान तैयार करने में जुटे	डॉ. पवन कुमार अत्री श्री अमन कुमार एमएस। दीक्षा कुमारी Miss. FTU Kaza Meenakshi Ms.FTU Tabo Chhodon Zangmo
	सामान्य सदन के आयोजन एवं प्रस्ताव पारित होने की तिथि	**16/11/2022**
	प्रतिभागियों की संख्या	पुरुष: **5** महिला:**5** कुल: **10**
	मतदान नमूना पालन किया बीएमसी उप-समिति के गठन हेतु चुनाव आयोग	मनोनीत: चुने हुए:
	EC में सदस्यों की संख्या	पुरुष: 5महिला:5 कुल: 10

2.2 चयनित बीएमसी उप समिति की सामान्य प्रोफ़ाइल।

क्र.सं	विवरण	वर्तमान स्थिति
1	बीएमसी उप-समिति की तारीख और पंजीकरण संख्या	एचपीसीडी-**3990** **03/06/2022**
2.	कवर किए गए राजस्व गांवों/वार्ड/वन गांवों की संख्या	वार्ड- (राजस्व ग्राम कॉमिक)
3.	वार्ड में परिवारों की कुल संख्या (एचएच)।	**15**
4.	बीएमसी उप-समिति जनरल हाउस का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवारों की कुल संख्या	**10**
5.	कॉमिक वार्ड में कुल जनसंख्या	**130**
6.	वार्ड कोमिक में कुल सामान्य श्रेणियाँ एचएच	शून्य
6	वार्ड कोमिक में कुल ओबीसी एचएच	शून्य
7	कुल आईआरडीपी/बीपीएल एचएच	**4** एचएच
8	कॉमिकवार्ड में कुल पशुधन	**127**
9	बैंक के खाते का विवरण	बचत खाता
10	बैंक का नाम	एसबीआई काजा
11	खाता खोलने की तिथि	**15/06/2022**
12	खाता संख्या/आईएफएससी	**409451781708** **IFSC-SBIN0003337**

2.3 बीएमसी उप-समिति के ईसी सदस्यों का विवरण

एस। नहीं	नाम	एम/फ़े	पद का नाम	वर्ग	गाँव
1	बिना	एम	अध्यक्ष	अनुसूचित जनजाति	हास्य
2	तंज़िन एंग्मो	एफ	उपाध्यक्ष	अनुसूचित जनजाति	हास्य
3	पद्मा लामा	एफ	सचिव	अनुसूचित जनजाति	हास्य
4	चेरिंग फ़ुंचोक	एम	सदस्य	अनुसूचित जनजाति	हास्य
5	भरवां यौंटेन	एफ	संयुक्त सचिव	अनुसूचित जनजाति	हास्य
6	तंज़िन नोरज़ांग	एम	सदस्य	अनुसूचित जनजाति	हास्य
7	Sonam Chhodan	एफ	सदस्य	अनुसूचित जनजाति	हास्य
8	चेरिंग पाल्डन	एफ	सदस्य	अनुसूचित जनजाति	हास्य
9	सूर्या भगत	एम	सदस्य	अनुसूचित जनजाति	हास्य
10	सुरेश कुमार	एम	केशियर	अनुसूचित जनजाति	हास्य

3. सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया

सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया शुरू करने से पहले एफटीयू-टीम ने कोमिक गांव में ग्राम पंचायत जागरूकता बैठक का आयोजन किया, इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया। एफटीयू टीम ने प्रतिभागियों के साथ जीका परियोजना और इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस बैठक के बाद, एफटीयू टीम ने वार्ड सदस्यों और अन्य स्रोतों की मदद से कोमिक वार्ड में वार्ड स्तरीय जागरूकता बैठक आयोजित की। फिर कोमिक वार्ड के निवासी जिका परियोजना कार्यान्वयन के लिए सहमत हुए।
उप-समिति स्तर के माइक्रो प्लान में समुदाय आधारित प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (सीडी एंड एलआईपी) शामिल हैं। लाइन विभाग/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों के लिए कन्वर्जेंस गतिविधियों का विवरण भी माइक्रो प्लान में जोड़ा गया है। सूक्ष्म योजना तैयार करने में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया सूचना संग्रह प्राथमिक, माध्यमिक स्रोतों, वार्ड स्तर की बैठकों और प्राथमिक और माध्यमिक हितधारकों के साथ आयोजित अन्य बैठकों पर केंद्रित है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और आरआरए तकनीकों का उपयोग करके समुदाय के विभिन्न वर्गों से भी जानकारी एकत्र की गई। पीआरए फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) के दौरान विशिष्ट समूहों यानी कमजोर परिवारों ओबीसी/महिलाओं के साथ आयोजित किया गया था। एकत्र की गई जानकारी को विभिन्न समूहों के साथ त्रिकोणित किया गया और एक पूर्ण सत्र में अंतिम रूप दिया गया।

एकत्र की गई जानकारी का उप-समिति के सक्रिय सदस्यों और अन्य सामुदायिक प्रतिभागियों के साथ संयुक्त रूप से विश्लेषण किया गया। एकत्र की गई प्राथमिक जानकारी को साझा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। परिवर्तन प्रतिभागियों की सहमति के आधार पर शामिल किए गए थे।

प्रतिभागियों को उनकी समस्याओं, अनुमानित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, श्रमिकों आदि जैसे विभिन्न उप-समूहों में विभाजित किया गया था। उप-समूहों ने समूह अभ्यास के दौरान उभरी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से निपटने के लिए संभावित समाधान सुझाए। परियोजना की सूक्ष्म नियोजन टीम और उप-समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से कथित समस्याओं और समाधानों का एक विस्तृत सेट विकसित किया गया था। पीआरए अभ्यास के दौरान महिलाओं और पुरुषों को वन संबंधी और आजीविका संबंधी मुद्दों को सामने लाने का अधिकतम अवसर दिया गया।

उप-समिति के जनरल हाउस के साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्रित की गई कथित समस्याओं, समाधानों और सूचनाओं पर चर्चा की गई। का एक परिष्कृत सेट

माइक्रो प्लान विशेषकर सीबीएमपी को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी कर्मचारियों और विशेषज्ञों से इनपुट के लिए इसे आगे बढ़ाने के लिए समस्याएं और समाधान सामने आए। जनरल हाउस में हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्ड की कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया। वानिकी हस्तक्षेप के लिए उपयोगकर्ता समूह का भी गठन किया गया।

एचपीएफडी और समुदाय के तकनीकी कर्मचारियों ने मात्रा निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए एक अस्थायी लक्ष्य तय किया और परियोजना मानदंडों और स्थानीय स्तर पर प्रचलित दरों के आधार पर लागत अनुमान तैयार किया। माइक्रो प्लान को फील्ड टेक्निकल यूनिट (एफटीयू), डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट (डीएमयू) और उप-समिति की कार्यकारी समिति और अन्य विशेषज्ञों के इनपुट के साथ अंतिम रूप दिया गया है।

निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत विवरण सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में अपनाए गए महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाते हैं।

एस। नहीं.	क्रमिक चरणों का पालन स्थानीय स्तर पर अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है	तारीख
	ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर सामुदायिक जागरूकता निर्माण बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गईं	10.10.2021
	परियोजना के साथ काम करने के लिए जीपी की सहमति और	
	बीएमसी उप-समिति गठित/कार्यकारी समिति गठित/उप-समिति पंजीकृत।	
	माइक्रो प्लान तैयार करने हेतु उप समिति के साथ कार्ययोजना तैयार की गई	
	माइक्रो योजना प्रक्रिया शुरू कर दिया /के लिए आयोजित अभ्यास (से- तक)	
	सहभागी सूचना विश्लेषण किया गया (से-तक)	
	आयोजित बातचीत/योजना प्रक्रिया (से-तक)	
	प्रतिभागियों शामिल में बातचीत/योजना प्रक्रिया (पुरुष और महिला)	35-40 (50% से अधिक महिलाएं थीं)
	प्रस्तुति का मसौदा योजनामें अनुमोदन हेतु ग्राम/वार्ड सभा	

	सूक्ष्म योजना का दस्तावेजीकरण (से- तक)	
	सूक्ष्म योजना और कार्यान्वयन के लिए डीएमयू और उप-समिति के ईसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	
	समस्याओं/चुनौतियों का अनुभव हुआ	1.उप-समिति दूर स्थित है और गाँव की महिलाएँ दोपहर 12 बजे के बाद उपलब्ध रहती थीं दोपहर 2.30 बजे (दैनिक दैनिक कृषि/पशुपालन पूरा करने के बाद पालन-पोषण संबंधी कार्य.

4. कॉमिक की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

4.1 बीएमसी उप-समिति का सामान्य विवरण

4.1.1 चयनित क्षेत्र का इतिहास**:-**

कॉमिक, जिसका शाब्दिक अर्थ है "स्नो कॉक की आंख" (को - स्नो-कॉक, माइक - आई), स्पीति घाटी में एक सुदूर गांव है। मोटर योग्य सड़क से जुड़े दुनिया के सबसे ऊंचे गांव के रूप में प्रसिद्धि पाने वाला, कॉमिक स्पीति की यात्रा करने वाले अधिकांश लोगों के लिए काफी उपयुक्त स्थान है। यह 4724 मीटर (15,500 फीट) की ऊंचाई पर है और काज़ा शहर से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। दुनिया में सबसे ऊंचे गांव के रूप में जाना जाता है और सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कें भी हैं। गांव के पास कई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय स्थान हैं, जिनमें लंग्ज़ा गांव (भारत का जीवाश्म गांव) और हिक्किम गांव (डाकघर वाला सबसे ऊंचा गांव) शामिल हैं। मुख्य आकर्षणों में से एक कोमिक गांव में 14वीं सदी का प्रसिद्ध लुंडुपत्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ है। यह मठ मैत्रेय बुद्ध या 'भविष्य के बुद्ध' के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थानीय लोगों की भलाई का ख्याल रखता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य बौद्ध मठ है जहां शौकीन बाइकर्स और यात्री आते हैं। मठ में तिरछी मिट्टी की दीवारों से बना एक मजबूत महल है, जो पुराने दिनों की भित्तिचित्रों, धर्मग्रंथों और कलाओं को प्रदर्शित करता है। कॉमिक पूरे वर्ष दर्जनों त्योहारों का आयोजन करता है - लामाओं द्वारा छम नृत्य या मुखौटा नृत्य करना इसकी खासियतों में से एक है। बर्फबारी के मौसम में कोमिक दुनिया से कट जाता है। इस गाँव के निवासी कड़ाके की ठंड के दौरान अनाज का अच्छा भंडार रखते हैं, और खुद को कालीन, शॉल बुनाई के साथ-साथ जैकेट, टोपी, पेंटिंग आदि बनाने में व्यस्त रखते हैं। पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ होमस्टे और होटल उपलब्ध हैं। कॉमिक में. हालाँकि, लोगों द्वारा दिया गया गर्मजोशी भरा आतिथ्य आवास में विलासिता की कमी की भरपाई करता है।

4.1.2 बीएमसी उप-समिति क्षेत्र का स्थान**:-**

लाहुल एवं स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक में लंगचा बीएमसी/ग्राम पंचायत। चयनित बीएमसी उप-समिति क्षेत्र डब्ल्यूएल काजा वन प्रभाग प्रबंधन इकाई (डीएमयू) में डब्ल्यूएल किब्बर रेंज के किब्बर बीट के अंतर्गत आता है। कॉमिकसब- समिति किब्बर वन्य जीवन अभयारण्य के पास स्थित है और उप-समिति कॉमिक काजा की प्रादेशिक रेंज के किब्बर बीट के पास स्थित है। स्थान मानचित्र संलग्न हैपेज नंबर **3**

सीमा: - चयनित बीएमसी उप-समिति क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है: - पूर्व = डेमुलविलेज

पश्चिम = काज़ा

उत्तर = लांगचा गाँव दक्षिण =

वन भूमि

वन एवं अन्य कार्यालयों से दूरी:-

कोमिक बीएमसी उप-समिति क्षेत्र डब्ल्यूएल रेंज कार्यालय से 16 किमी की दूरी पर स्थित है; राजस्व ब्लॉक कार्यालय, डीएमयू कार्यालय और 200 किमी दूर जिला मुख्यालय केलांग।

बीएमसी उप-समिति की महत्वपूर्ण विशेषताएं:-

"कोमिक में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क" और "जीवाश्म" इस उप-समिति क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र में पाए गए। गर्मियों के मौसम में प्राकृतिक सुंदरता और जलवायु का आनंद लेने के लिए पूरे भारत से पर्यटक इस प्रसिद्ध स्थल पर आते हैं।

4.2. सामाजिक रचना

परिवार (एचएच)	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
एचएच की संख्या	**15**	**0**	**0**	**15**
एचएच का %	**100**	**0**	**0**	**100%**

- कॉमिक उप-समिति में **15** एचएच एसटी वर्ग, ओबीसी और सामान्य वर्ग से संबंधित किसी का नहीं हैं।

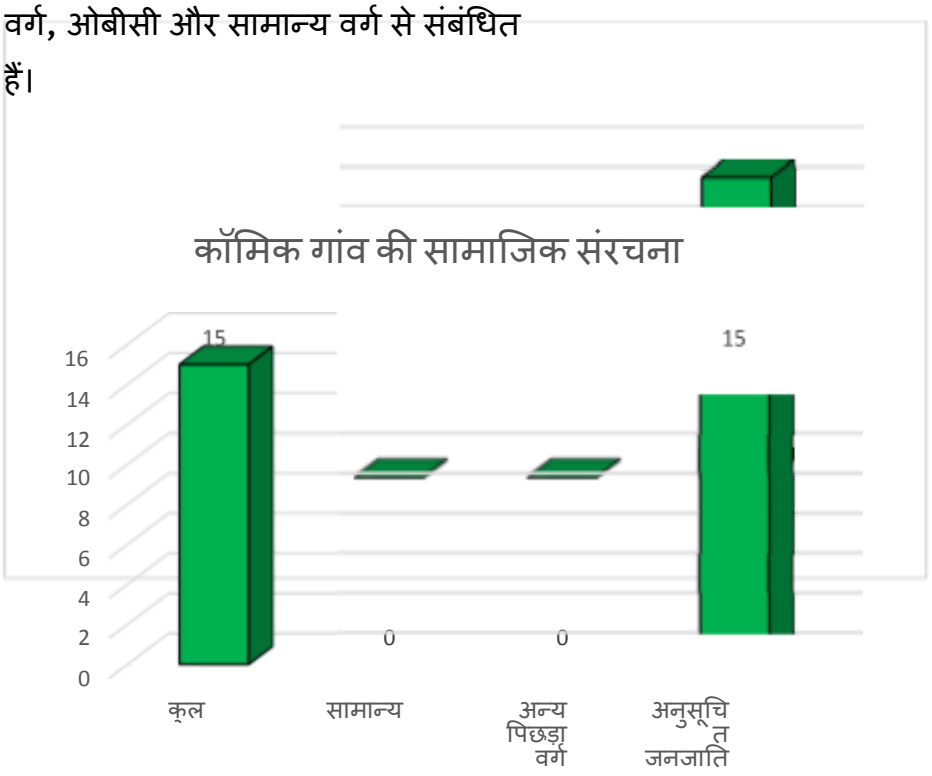

- **100%** एचएच एसटी श्रेणी से संबंधित हैं।

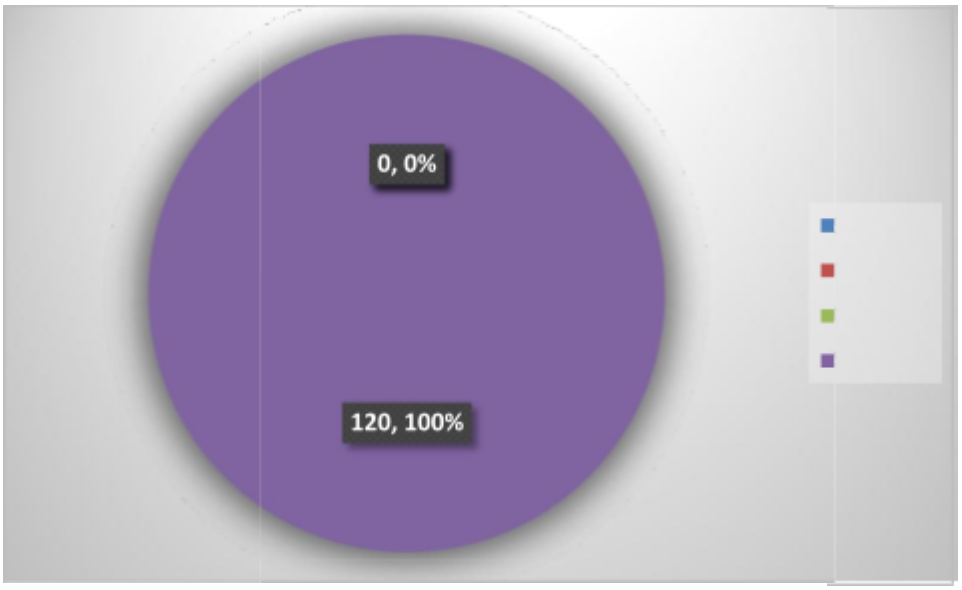

4.3 जनसंख्या

सामाजिक श्रेणी	जनसंख्या (संख्या)					
	पुरुष वयस्क	महिला वयस्क	कुल वयस्क	पुरुष बालक एन	महिला बच्चा एन	कुल बच्चे
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00
अनुसूचित जनजाति	90	40	130	7	3	10
कुल	**90**	**40**	**130**	**7**	**3**	**10**

कॉमिक उप-समिति की कुल जनसंख्या 130 है। पुरुष हैं और 40 वर्ष के हैं
इनमें से 90 महिलाएँ हैं। लड़के 7 और लड़कियाँ 3 हैं।

कुल जनसंख्या 130 में से सभी एसटी वर्ग के हैं, इनमें से कोई भी ओबीसी वर्ग का नहीं है।

4.4 शैक्षणिक स्थिति

4.4.1 शैक्षिक स्थिति (वयस्क)

स्तर	संख्या		
	पुरुष	महिला	कुल

द्वितीयसाक्षर	**17**	**11**	**28**

प्रतिशत (IIसाक्षर)	**18.88%**	**27.5%**	**21.5%**
प्राथमिक शिक्षा	**8**	**2**	**10**
मिडिल शिक्षा (10वां)	**13**	**15**	**28**
उच्चतर माध्यमिक (12वां)	**42**	**7**	**49**
स्नातक और उससे ऊपर	**10**	**5**	**15**
व्यावसायिक कोर्सेस	**0**	**0**	**0**
कुल साक्षर	**73**	**29**	**102**
प्रतिशत(साक्षर)	**81.11%**	**72.5%**	**78.46%**

78.46% लोग साक्षर हैं। इनमें से 81.11% पुरुष शिक्षित हैं जबकि 72.5% महिलाएँ शिक्षित हैं। जबकि 21.5% जनसंख्या दो साक्षर हैं, जिनमें से 18.88% पुरुष और 27.5% महिलाएँ दो साक्षर हैं। 17% मध्यम स्तर के शिक्षित हैं, 49 उच्चतर माध्यमिक स्तर के हैं और केवल 15 स्नातक और उससे ऊपर हैं।

4.5 आर्थिक श्रेणियाँ

4.5.1 पीआरए अभ्यास के अनुसार धन रैंकिंग

वर्ग	मानदंड/संकेतक	नहीं एच एच का	श्रेणी कोड**	श्रेणी वार	
				जनरल	अनुसूचित जनजाति
किस्मत का धनी	सरकार. काम, कार्य प्रभार, अंशकालिक	8	ए	**00**	**8**
प्रबंधनीय	कृषि	3	बी	**00**	**3**
गरीब (बीपीएल)	छोटे किसान, मजदूर	4	सी	**00**	**4**
कुल		**15**		**00**	**15**

असुरक्षित एचएच वे हैं जो मजदूरी का काम करते हैं और रिश्तेदारों द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित होते हैं।
गरीब वर्ग छोटे किसानों का है जिनके पास जमीन कम है और वे मजदूरी का काम भी करते हैं।
प्रबंधनीय श्रेणी में कृषि से जुड़े लोग शामिल हैं जिनके पास 03 से 06 बीघे के बीच भूमि है और वे विशिष्ट कृषि करते हैं
बेहतर होगा सरकार करो. नौकरियाँ, और जिनके पास 6-11बीघा से अधिक कृषि भूमि है और कुछ नौकरियों

की कमी है जैसे अंशकालिक कार्यकर्ता, कार्य प्रभार आदि।

बीएमसी उप-समिति में बी श्रेणी के लोग 20% हैं, और अन्य लोगों के लिए मजदूरी करने वाली छोटी जोत वाले गरीब (बीपीएल) 27% हैं।

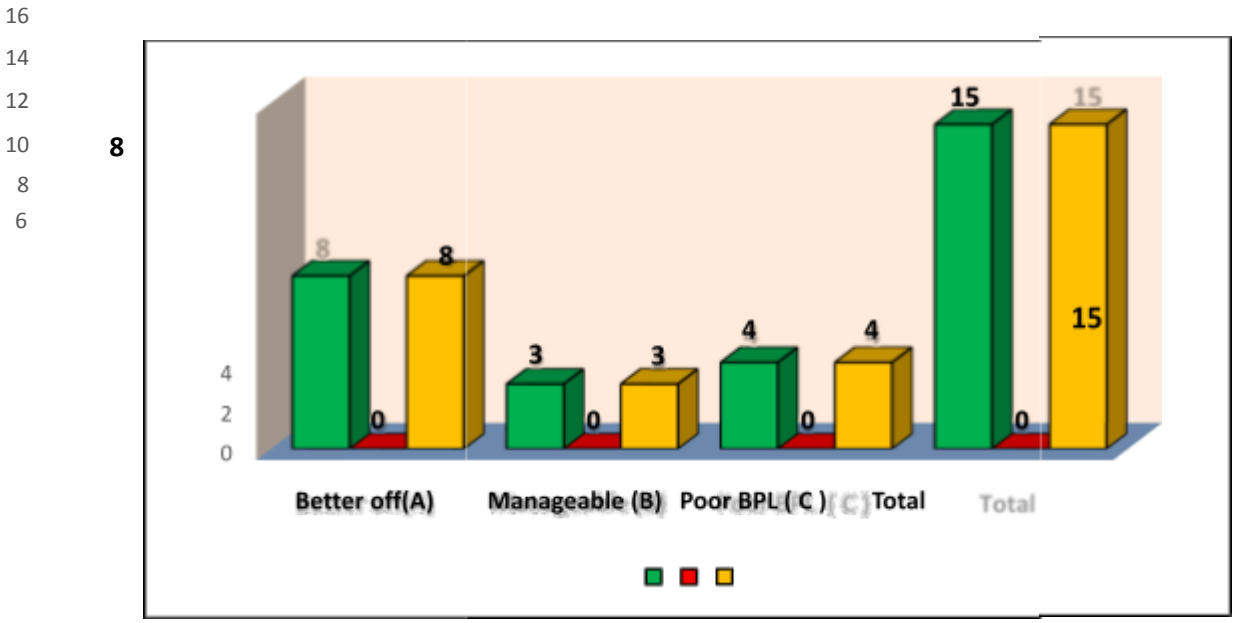

एचएच गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे*(*सरकारी मानदंड के अनुसार*)*

परिवारों	कुल	एपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
एचएच की संख्या	**15**	**11**	**4**
एचएच का %	**100%**	**73%**	**27%**

आजीविका विश्लेषण के दौरान बी श्रेणी के एचएच ने अपनी आजीविका के लिए कृषि पर 50% निर्भरता, सरकारी नौकरी पर 50% निर्भरता दिखाई।

जहां श्रेणी बी (प्रबंधनीय) एचएच ने कृषि और पशुपालन और श्रम पर 60% निर्भरता दिखाई, वहीं उनकी आजीविका की आवश्यकता को पूरा करने में 40% की कमी देखी गई। इस क्षेत्र में कोई श्रेणी ए वर्ग नहीं पाया जाता है

4.6 बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं तक पहुंच

सुविधाएँ और सेवाएं	उपलब्धता **(% HHs)**	दूरी **(किमी)**	वर्तमान स्थिति

प्रसाधन	100%	-	98% शौचालय अच्छी स्थिति में हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश शौचालय बिना फ्लशिंग टैंक के हैं। तथापि, इस दौरान पानी की अनियमित आपूर्ति हो रही है

			सर्दी और गर्मी में.
फ्लश पानी वाले शौचालय	-	-	-
रसोई गैस	100%	19 कि.मी.	एलपीजी का उपयोग औसत के हिसाब से ही नियमित नहीं है 6 रसोई गैस सिलेंडरहैं इस्तेमाल किया गया प्रति वर्ष/प्रति एचएच
बेहतर चूल्हा/टंड ऊपर	100%	-	100% एचएच के पास हीटिंग और खाना पकाने के लिए तंदूर भी है
बिजली	100%		100% एचएच में बिजली कनेक्शन है सर्दियों में, बर्फबारी के समय बिजली गुल हो जाती है
पेय जल	100%	05 -1 किमी	100 % पास पीने पानी एचएच होना सम्बन्ध
स्वास्थ्य सेवाएं	100%	19 कि मी मुख्या लय	कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है बीएमसी कॉमिकग्रामीण काज़ाफोर उपचार के लिए जाते हैं
पशु चिकित्सा सेवाएँ	100%	19 कि.मी.	काज़ा में पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध है।
बैंकों	100%	19 किमी.	ग्रामीणों जानाको कज़ाफोर लाभ लेना बैंक सेवाएँ
बाज़ार	100%	19 कि.मी.	ग्रामीण खरीदारी के लिए काजा जाते हैं। डेली के लिए गांव में दुकानें उपलब्ध नहीं हैं उत्पाद की आवश्यकता है
आंगनवाड़ी	100%	100 से 1000 एमटीआर.	गाँव में अच्छी सेवा के साथ आगनवाड़ी उपलब्ध है

प्राथमिक विद्याल य	100%	100 को 1000 एमटी आर.	प्राथमिक विद्यालय भीतर उपलब्ध है अच्छी सेवा वाला गाँव
माध्यमिक स्कूलों	100%	19 कि.मी	काज़ा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	100%	0.5-02 किमी.	बेहतर सेवा के साथ कोमिकविलेज में पीडीएस उपलब्ध है
परिवहन	100%	04-05	सरकार. बस सेवा और निजी सेवा (टैक्सी)

		किमी.	लंगचा गांव में उपलब्ध है
दूरसंचार	100%	10 कि.मी	सभी एचएच के पास खराब नेटवर्क वाले मोबाइल फोन हैं

5. संसाधन विश्लेषण

5.1 भूमि संसाधन

5.1.1 भूमि उपयोग पैटर्न

भूमि उपयोग	कुल भूमि	खेती योग्य भूमि n	वन भूमि/क्षेत्र	ओरछा रोड	बंजर भूमि एवं क्षेत्रफल	जल निकाय क्षेत्र	के अंतर्गत क्षेत्र गैर-कृषि एवं उपयोग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	**129**	**19.35**	**0.79**	**0**	**14.02**	**-**	**3.39**
% क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	**100%**	**15%**	**0.61%**	**0**	**10.86 %**	**-**	**2.62%**

5.1.2. भूमि स्वामित्व पैटर्न

भूमि का स्वामित्व	निजी भूमि	समुदाय और भूमि	पंचाय टी भूमि	वन भूमि	बंजर भूमि	क्ल
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	**104.3**	**-**	**-**	**0**	**3.73**	**104.3**
% क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	**100%**				**3.58%**	**100%**

पशुधन जनसंख्या कॉमिक गांव

नहीं।	गाय	भेड़ बकरी	याक	घोड़े/खच्चर	कुल
	60	**27**	**20**	**20**	**127**

5.2 <u>वन संसाधन</u>

<u>5.2.1</u> <u>वन क्षेत्र</u>

5.2.1.1 साइट चयन और स्थान

इस साइट को डीएमयू और उसके फील्ड स्टाफ द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के तहत जैव-विविधता प्रबंधन समिति लांगचा का गठन किया गया था

जैव विविधता अधिनियम 2002। जेआईसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, बीएमसी के तहत तीन उप-समितियों का गठन किया जाना था। चयनित बीएमसी/ग्राम पंचायत लांगचा में तीन वार्ड हैं।

उप-समिति कॉमिक क्षेत्र लंगचा रेंज के वन वन बीट के अंतर्गत आने वाले वनों के अंतर्गत आता है। साइट उप-समिति कोमिस किब्बर वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है। यह स्थल डब्ल्यूएल रेंज कार्यालय काजा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। जगहमानचित्र पृष्ठ क्रमांक ***03*** संलग्न है

5.2.1.2 समुदाय आधारित जैव-विविधता प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) के लिए वन्यजीव वन प्रभाग से डेटा

किब्बर वन्यजीव अभयारण्य

1.11.1999 को अधिसूचित किया गया जिसमें 1400.00 वर्ग किमी का क्षेत्रफल शामिल है। और दिनांक 28 जुलाई 2010 को इसमें मौजूदा 1400 वर्ग किमी में 867 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है, जबकि किब्बर वन्यजीव अभयारण्य के मौजूदा 1400 वर्ग किमी से गांव किब्बरी के साथ 46.88 वर्ग किमी क्षेत्र को बाहर रखा गया है।

.2220.12 वर्ग किमी का कुल क्षेत्रफल अब युक्तिकरण के बाद किब्बर वन्यजीव अभयारण्य का गठन करेगा। अभयारण्य में तीन बीट किब्बर, लांगचा और लालुंग हैं। किब्बर बीट का क्षेत्रफल 1124.50 वर्ग किमी है।

उच्च ऊंचाई वाला अभयारण्य होने के कारण केडब्ल्यूएस विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जानवरों जैसे आईबेक्स, नीली भेड़, लाल लोमड़ी, तिब्बती वूली खरगोश, हिमालयन वुल्फ लिंक्स, पिका मायावी हिम तेंदुए का घर है। यहां पाए जाने वाले पक्षियों में हिमालयन स्नो कॉक, हिमालयन बिल्ड चॉफ, दाढ़ी वाले ईगल और ग्रिफॉन शामिल हैं, और अभयारण्य क्षेत्र के शिखर चाऊ-चौखनामो और चाऊ-चौखंग निल्डा का एक शानदार दृश्य भी प्रस्तुत करता है।

उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान होने के बावजूद, स्पीति औषधीय और सुगंधित पौधों की 450 से अधिक प्रजातियों का दावा करता है। इनमें सीबकथॉर्न, हैटागिरिया, एकोनिटम, रतनजोत, एफेड्रा, आर्टेमिसिया और अन्य मसाले शामिल हैं। ऊंचे पठारों पर अल्पाइन चरागाह विभिन्न प्रकार की छोटी झाड़ियों का घर है और घासों में रोजा सेरीसिया, हिपोफी और लोनीसेरा शामिल हैं। संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियाँ हैंअर्नेबियाउक्रोमा, बर्गिनियास्ट्राचेयी, फिजियोक्लेनाप्राएल्टा, रोडियोलाहेटेरोडोंटा।

यह क्षेत्र भू-निर्देशांक के अंतर्गत स्थित है। उत्तरी अक्षांश 32°13'54॥ उत्तर और देशांतर 78°06'53॥ पूर्व। यह क्षेत्र भारत सर्वेक्षण टोपो शीट संख्या 52 एल और 52 एच स्केल 1॥ 4 मील पर आता है। वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 2220.12 वर्ग किमी है। अभयारण्य की उत्तरी सीमा लुनघेरनाला पर एक बिंदु से शुरू होती है, जो नीचे की ओर बहती है और माउंग नाले के साथ इसके संगम तक जाती है, फिर मालुंग नाला को पार करते हुए सीमा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य की अंतरराज्यीय सीमा से मिलती है, जहां यह वी आकार बनाती है और फिर इसके चारों ओर घूमती है।

नूरबुला के पास मोड़ तक हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर की समान अंतरराज्यीय सीमा। पूर्व: अंतरराज्यीय मोड़ से फिर हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की अंतरराज्यीय सीमा के साथ-साथ उस बिंदु तक बढ़ती है जहां वह सीमा समाप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ मिलती है, यानी, ग्यापीक जो उच्चतम शिखर ऊंचाई 22290 फीट है, फिर भारत और तिब्बत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ शीर्ष तक चलती है लिंगती नदी फिर से अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ उस बिंदु तक बढ़ती है जहां यह फिर से वी आकार बनाती है। दक्षिण: दक्षिण सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर वी आकार से शुरू होती है और स्पीति वन्यजीव प्रभाग में प्रवेश करने वाली एक पहाड़ी के साथ-साथ चलती है, जो उत्तर में लिंगती नदी के जल क्षेत्र और दक्षिण में स्पीति नदी के जल क्षेत्र को किब्बरी नाले के शीर्ष तक अलग करती है। पश्चिम: पश्चिमी सीमा किब्बरी नाले के ऊपर से शुरू होती है और फिर किब्बरी नाले और शिजी भांग नाले के बीच एक पहाड़ी से होकर लिंगती नदी के साथ संगम तक जाती है और नीचे की धारा में सांगलुंग गांव तक जाती है और फिर लिंगती नदी के पार सीमा सांगलुंग गांव को छोड़कर खुखे नाले तक जाती है और फिर एक छोटी सी सीमा का अनुसरण करती है विपरीत दिशा में लंगचा गांव के पास नाले के शीर्ष तक रिज उसी नाले के साथ नीचे की ओर बहती है, जो शिला नाले के साथ इसके संगम तक जाती है और फिर शिला नाले की सीमा पार करते हुए, विपरीत दिशा में एक छोटे से नाले के साथ इसकी शीर्ष ऊंचाई धुनभशेन 16900 फीट तक जाती है और फिर एक धारा का अनुसरण करती है। विपरीत दिशा में छोटा नाला और उसी नाले के साथ-साथ नीचे की धारा में पुरी लुंगभी के साथ संगम तक चलता है और फिर पुरी लुंगभी के साथ ऊपर की धारा में उसके शीर्ष प्रांगला की ऊंचाई 18300 फीट तक चलता है, फिर सीमा एक रिज के साथ चलती है जो टॉकिंग नदी, तन्मू नदी और किब्जी नदी के जल शेड को अलग करती है। दक्षिण में लंघेर नदी और उत्तर में मालुंग नदी उत्तरी सीमा के शुरुआती बिंदु पर लंघेर नाले में मिलती हैं।

5.2 वनों का विवरण **(**अभयारण्य क्षेत्र**)**

संपूर्ण स्पीति क्षेत्र को 'ट्रांस-हिमालयी शीत रेगिस्तान' जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। स्पीति में वनस्पति को 'अल्पाइन स्क्रब' या 'शुष्क अल्पाइन स्टेपी' वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की विशेषता बिखरी हुई और खुली झाड़ियाँ हैं जिनमें मुख्य रूप से शाकाहारी और झाड़ीदार प्रजातियाँ मौजूद हैंआर्टेमिसिया एसपीपी., लोनीसेरा एसपीपी. औरकैरगानाएसपीपी. ग्रैमिनोइड्स जैसेहुक्मएसपीपी.,पावर ऑफ अटार्नीएसपीपी. औरडंठलएसपीपी. क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका बायोमास समाप्त होता दिख रहा है (मिश्रा 2001)। आज, इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण वनस्पति संरचनाओं में घास और सेज (उदाहरण के लिए) वाले खुले या रेगिस्तानी मैदान शामिल हैं।डंठलएसपीपी.,लेयमसएसपीपी.,हुक्मएसपीपी.,केरेक्सएसपीपी) 4,600 मीटर तक की ऊंचाई पर, और 4,000 और 5,000 मीटर के बीच बौनी झाड़ीदार सीढ़ियों पर झाड़ियों का प्रभुत्व है जैसेकैरगानाएसपीपी.,*Artemisia*एसपीपी.,लोनीसेराएसपीपी. औरयूरोटियाएसपीपी. मेसिक स्थल जैसे नदी घाटियाँ और झरनों और ग्लेशियरों के किनारे के क्षेत्र अक्सर सेज घास के मैदानों से ढके होते हैं

(केरेक्सएसपीपी.,कोब्रेसियाएसपीपी.). वनस्पति 5,200 मीटर तक होती है, लेकिन 4,800 मीटर से ऊपर विरल हो जाती है, और वनों तक ही सीमित होती है जैसेहिम कमलएसपीपी. औरगद्देदारजैसे पौधेथायलाकोस्पर्ममएसपीपी. महत्वपूर्ण पादप परिवारों में शामिल हैंग्रैमिनाई, साइपेरेसी, ब्रैसिसेसी, फैबेसी, रानुनकुलेसी और लेग्यूमिनोसी।इस वनक्षेत्र पर कोमिक और कोमिक तथा लंगचा उप-समिति के ग्रामीणों का अधिकार है। इन क्षेत्रों के ग्रामीण चारे, ईंधन की लकड़ी और इमारती लकड़ी के लिए इस वन क्षेत्र पर निर्भर हैं। ग्रामीणों की चारे और ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता इस वन क्षेत्र से पूरी नहीं होती है इसलिए वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र में भी जाते हैं।

भूविज्ञान, चट्टान और मिट्टी:

टी क्षेत्र की विशेषता क्वार्टजाइट, शैल्स, चूना पत्थर और कांग्लोमेरेट्स के संयोजन में तेज बदलाव है। अधिकांश क्षेत्र जीवाश्मों से समृद्ध है, मुख्य रूप से ब्रैचिपोड, ट्रिलोबाइट्स, अम्मोनाइट्स, बिवाल्व और कुछ मूंगे और शैवाल भी, जो इसके टेथियन अतीत का संकेत देते हैं। उच्च ऊंचाई वाली रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से रेतीली और उथली होती है, जो मुख्य रूप से तापमान के दैनिक और मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण विघटन से उत्पन्न होती है। मिट्टी की बनावट अधिकतर गादयुक्त दोमट से लेकर गादयुक्त दोमट होती है, जिसका पीएच थोड़ा क्षारीय होता है, कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं और जल धारण क्षमता कम होती है। मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कार्बन कम हैं, हालांकि कैल्शियम की आपूर्ति बेहतर है।

इलाक़ा:

संपूर्ण स्पीति 3,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर स्थित है। सबसे निचला बिंदु वह है जहां नदी हर्लिंग के पास किन्नौर जिले में बहती है। नदी निचले इलाकों में एक गहरी खाई को काटती है और ताबो के पास आगे की ओर ऊपर की ओर खुलती है, जहां नदी एक विशाल घाटी पर घूमती है, जो कभी-कभी लगभग एक किलोमीटर चौड़ी होती है। स्पीति के दाहिने किनारे पर ढलान अधिक ऊबड़-खाबड़ है और इसमें लंबी धाराएँ हैं, जबकि बायाँ किनारा कम ऊबड़-खाबड़ है। वास्तव में बाएं किनारे पर किब्बर से डेमुल तक 40 किमी का पठार है, जो मध्य लिंगती घाटी के अधिकांश भाग तक फैला हुआ है, जो 500 किमी से अधिक की दूरी तय करता है।^{2}. सी का. 7,600 किमी^{2} स्पीति द्वारा कवर किया गया। शिला (6,132 मीटर) हैं जो लोकप्रिय चढ़ाई स्थल हैं। मुख्य स्पीति नदी के साथ पहुंच के अलावा, महत्वपूर्ण दर्रे हैं पीर पंजाल रेंज, पारंग ला (5578 मीटर) और पारे चू घाटी के साथ टकलिंग ला (5575 मीटर), ज़ांस्कर रेंज पर, और कुंजम ला (4590 मीटर) चंद्रा घाटी.

जलवायु:

स्पीति हिमालय की पीर पंजाल शाखा के निचले हिस्से पर स्थित है, जो मैदानी इलाकों से मानसूनी प्रभाव को काट देती है, जिससे यह क्षेत्र शुष्क और ठंडा हो जाता है। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ बर्फ के रूप में कुछ वर्षा लाते हैं। तापमान भिन्न-भिन्न हो सकता है

अधिकतम सर्दियों में - 40 से, अधिकतम गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक, अधिकांश स्थानों पर सितंबर से अप्रैल तक न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे रहता है। लगभग हर दिन तेज़ हवाएँ चलती हैं और शुष्क वातावरण और पेड़ों की कमी का भी यही कारण है। इस प्रकार कुल मिलाकर जलवायु शुष्क और ठंडी है और नवंबर के मध्य से मार्च तक लंबी सर्दी रहती है।

वर्षा, तापमान, हवा की गति और आर्द्रता:

हाल की स्थानीय रिपोर्ट और मेट्रोलॉजिकल डेटा स्पीति में पैटर्न में उल्लेखनीय बदलाव का सुझाव देते हैं जैसे कि गर्मियों में वर्षा में वृद्धि और सर्दियों में बर्फबारी में गिरावट। सर्दियों में होने वाली बर्फबारी गर्मियों में बर्फ से पिघली धाराओं के माध्यम से सिंचाई के पानी के साथ-साथ महत्वपूर्ण वसंत और शुरुआती गर्मियों की अवधि के दौरान रेंजलैंड के लिए मिट्टी की नमी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। गर्मियों के अंत में (जुलाई-अगस्त) बारिश को खड़ी फसल के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।

जल स्रोतों:

अभयारण्य क्षेत्र अच्छी तरह से सूखा हुआ है; यह अभयारण्य उत्तर में लिंगती नदी के जल क्षेत्र और दक्षिण में किब्बरी नाले के शीर्ष तक स्पीति नदी के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लूंघेर नाला, माउंग नाला, किब्बरी नाला, किब्बरी नाला और शिजी भांग नाला, शिला नाला कई मौसमी नाले हैं। ये धाराएँ और नालियाँ अभयारण्य में समान रूप से वितरित हैं, पूरा क्षेत्र अच्छी तरह से सूखा हुआ है और यह दक्षिण में बात करने वाली नदी, तन्मू नदी और किब्जी नदी और उत्तर में लुनघेर नदी और मालुंग नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है।

वन्य जीवन की सीमा, स्थिति वितरण और आवास:

स्पीति की स्तनधारी विविधता असाधारण रूप से बड़ी नहीं है, लेकिन सीमा-सीमित प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। परिदृश्य से प्राप्त प्राथमिक बड़े स्तनधारियों में हिम तेंदुआ, एशियाई आइबेक्स, भारल या नीली भेड़, तिब्बती भेड़िया और लाल लोमड़ी शामिल हैं। इनमें से सभी को राष्ट्रीय स्तर पर खतरा है, और कई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा है। मौजूदा साहित्य के आधार पर, एविफ़ुनाल रचना में प्रमुखता से दर्शाया गया है, उच्च ऊंचाई वाले आवासों के अच्छे प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधि एविफ़ुना की अच्छी आबादी रखने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, किब्बर डब्ल्यूएलएस स्नो पार्ट्रिज (लेर्वलेर्वा), ह्यूम की शॉर्ट-टो लार्क (कैलेंड्रेलाकुटिरोस्ट्रिस), रोज़ी पिपिट (एन्थुसरोसीटस),रॉबिन एक्सेंटर (प्रुनेला रूबेकुलोइड्स),भूरा एक्सेंटर (एक प्रकार की बूटी फुलवेसेंस)श्वेत पंखों वाला रेडस्टार्ट(फोनीकुरसेरिथ्रोगैस्टर), Himalayan Grifon(जिप्स हिमालयेंसिस),हिमालयन स्नोकॉक (टेट्राओगैलुशिमलयेन्सिस),स्नो पिजन (कोलंबा ल्यूकोनोटा) वगैरह।

अल्पाइन चरागाह:

संपूर्ण स्पीति क्षेत्र को 'ट्रांस-हिमालयी शीत रेगिस्तान' (जोन 1) जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रांत 'लद्दाख पर्वत' (1बी) शामिल है, जो अधिकांश क्षेत्र को कवर करता है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान के जैव-भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी तट और 'तिब्बती पठार' (1ए) उत्तरी तट को कवर करता है।

स्पीति में वनस्पति को 'अल्पाइन स्क्रब' या 'शुष्क अल्पाइन स्टेपी' वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की विशेषता बिखरी हुई और खुली झाड़ियाँ हैं जिनमें मुख्य रूप से आर्टेमिसिया एसपीपी, लोनीसेरा एसपीपी जैसी शाकाहारी और झाड़ीदार प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और कैरगाना एसपीपी। ग्रैमिनोइड्स जैसे फेस्टुका एसपीपी, पोआ एसपीपी। और स्टिपा एसपीपी। क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका बायोमास समाप्त होता दिख रहा है। आज, इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण वनस्पति संरचनाओं में 4,600 मीटर तक की ऊंचाई पर घास और सेज (उदाहरण के लिए स्टिपा एसपीपी, लेयमस एसपीपी, फेस्टुका एसपीपी, केरेक्स एसपीपी) का प्रभुत्व वाला खुला या रेगिस्तानी मैदान शामिल है, और बीच में बौनी झाड़ीदार सीढ़ियां शामिल हैं। 4,000 और 5,000 मीटर में कारागाना एसपीपी, आर्टेमिसिया एसपीपी, लोनीसेरा एसपीपी जैसी झाड़ियाँ हावी हैं। और यूरोटियास्प... मेसिक स्थल जैसे नदी घाटियाँ और झरनों और ग्लेशियरों के किनारे के क्षेत्र अक्सर सेज घास के मैदानों (कैरेक्स एसपीपी, कोब्रेसिया एसपीपी) से ढके होते हैं। वनस्पति 5,200 मीटर तक होती है, लेकिन 4,800 मीटर से ऊपर विरल हो जाती है, और सोसुरिया एसपीपी जैसे वनों तक सीमित है। और कुशनॉइड पौधे जैसे थायलाकोस्पर्मम्सपीपी... महत्वपूर्ण पौधों के परिवारों में ग्रैमिनाई, साइपेरेसी, ब्रैसिसेकी, फैबेसी, रेनुनकुलेसी और लेगुमिनोसी शामिल हैं।

ये चारागाह पीए की सीमा तक वृक्ष रेखा के ऊपर पाए जाते हैं। इन चरागाहों में विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं।

भोजन, पानी और आश्रय किसी भी जीवित प्राणी की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अभयारण्य में पशु-पक्षियों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी उपलब्ध है। अभयारण्य के कुछ हिस्से घरेलू और आवारा मवेशियों के चरने के कारण परेशान हैं। वन्य जीवन के लिए यह कारक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छिपने के स्थान, आश्रय, घोंसला बनाना, आराम करना, खेलना, भोजन की उपलब्धता सभी परेशान हो जाते हैं और वन्य जीवन इन क्षेत्रों से दूर हो जाते हैं। घास और अन्य बायोमास के रूप में खाद्य स्रोत अपर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। अलग-अलग शाकाहारी जीव अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग भोजन पसंद करते हैं इसलिए भोजन की उपलब्धता की गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि वन्य जीवन को आकर्षित या विकर्षित करने वाले विभिन्न कारकों के कारण वन्यजीव प्रजातियों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। अशांति एक सीमित कारक बन जाती है।

औषधीय और सुगंधित पौधों की 450 से अधिक प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। इनमें सीबकथॉर्न, हैटागिरिया, एकोनिटम, रतनजोत, एफेड्रा, आर्टेमिसिया और अन्य मसाले शामिल हैं। ऊंचे पठारों पर अल्पाइन चरागाह विभिन्न प्रकार की छोटी झाड़ियों का घर है और घास में रोजा सेरीसिया, हिपोफी और लोनीसेरा शामिल हैं। संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियाँ हैंअर्नेबियाउक्रोमा, बर्गिनियास्ट्राचेयी, फिजियोक्लेनाप्राएल्टा, रोडियोलाहेटेरोडोंटा।

जानवरों

कशेरुक, उनकी स्थिति, वितरण और आवास। पर्यावास की गुणवत्ता, मात्रा और प्रमुख क्षेत्र

स्पीति की स्तनधारी विविधता असाधारण रूप से बड़ी नहीं है, लेकिन सीमा-सीमित प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। परिदृश्य से रिपोर्ट किए गए प्राथमिक बड़े स्तनधारियों में हिम तेंदुआ, एशियाई आइबेक्स, भरल या नीली भेड़, तिब्बती भेड़िया और लाल लोमड़ी हैं, जिनमें से सभी को राष्ट्रीय स्तर पर खतरा है, और कई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा है। शाकाहारी जानवरों में, आइबेक्स का अधिकांश अधिकार है बैंक और भरल, स्पीति नदी का बायां किनारा। संभावित वितरण के लिए आइबेक्स लोसर से लेकर किओटो के निकट तक बाएं किनारे पर भी पाया जाता है। भरल का विस्तार पारे चू घाटी में भी है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान डुमेल गांव तक फैली सड़क के किनारे 200 से अधिक नीली भेड़ें देखी गईं, लिंगती घाटी में 300 से अधिक नीली भेड़ें और पारे-चू जलग्रहण क्षेत्रों में लगभग 25 नीली भेड़ें देखी गईं। आईबेक्स मुख्य रूप से स्पीति नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियों की संकीर्ण घाटियों में वितरित किया जाता है। हालाँकि हिम तेंदुआ पूरे ऊपरी स्पीति घाटी में पाया जाता है, लेकिन उनके लक्षण लिंगती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों और उला, रतंग और गुइंडी नाला द्वारा निर्मित घाटियों में अधिक पाए गए। अन्य जानवर एशियाई आइबेक्स, भरल या नीली भेड़, तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी, हिमालयी नेवला आदि हैं।

निवास स्थान के संदर्भ में अभयारण्य में उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जो अंततः वन्यजीवों को नियंत्रित और विनियमित करते हैं। आवास का विश्लेषण स्थान, भोजन, आवरण, अन्य जानवरों की उपस्थिति और जलवायु कारकों के संदर्भ में किया जा सकता है। वन्य जीवन के लिए अंतरिक्ष बहुआयामी कारक एक प्राथमिक शर्त है। लंबाई और चौड़ाई उपलब्ध क्षेत्र की मात्रा बताती है, मोटाई विभिन्न प्रजातियों के लिए उपलब्ध परतों की संख्या का संकेत देती है। इनमें से प्रत्येक आयाम की गुणवत्ता और मात्रा जंगली जानवरों के पोषण का विचार देती है, जो इस पीए में प्रचुर मात्रा में है।

5.2.1.3 हस्तक्षेप क्षेत्रों का चयन, योजना एवं उपचार:-

पूरे वार्ड को परियोजना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डीएमयू काजा और उनके फील्ड स्टाफ द्वारा साइट के रूप में चुना गया है, जिसमें जंगल का विभिन्न स्तर तक क्षरण की स्थिति में होना, जंगल के आसपास के स्थानीय अधिकार धारकों की मांग और आपूर्ति श्रृंखला को पूरा करने में कमी शामिल है।

तकनीकी कर्मचारियों (एफजीडी, ब्लॉक अधिकारी और रेंज अधिकारी/एसीएफ काजा) द्वारा माइक्रो प्लानिंग अभ्यास के दौरान संभावित हस्तक्षेप क्षेत्रों/उपचार भूखंडों की पहचान की गई है। पीआरए अभ्यास के दौरान ग्रामीणों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। चयनित भूखंड, सामुदायिक भूमि/पैच या तो खुले क्षेत्र हैं या हैं

खाली, जिसमें 500-1000 प्रति हेक्टेयर की दर से बहुउद्देशीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी।

5.2.1.4 चयनित संभावित स्थलों का मानचित्र (वन)

सामाजिक मानचित्र, संसाधन मानचित्र, संभावित/हस्तक्षेप क्षेत्र मानचित्र, प्रस्तावित हस्तक्षेप मानचित्र इस प्रकार संलग्न हैंअनुलग्नक-*III, V, VI*, उप-समिति क्षेत्र का *Google Earth* प्रो मानचित्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न है-तृतीय. तकनीकी मानचित्र ***JICA*** वानिकी परियोजना द्वारा नियुक्त की जाने वाली तकनीकी टीम द्वारा तैयार किए जाएंगे। ***(***भूमि उपयोग मानचित्र**,** वन आवरण मानचित्र**/**वन घनत्व मानचित्र**,** जीपी और वार्ड सीमा मानचित्र**,** उपचार क्षेत्र मानचित्र***)***

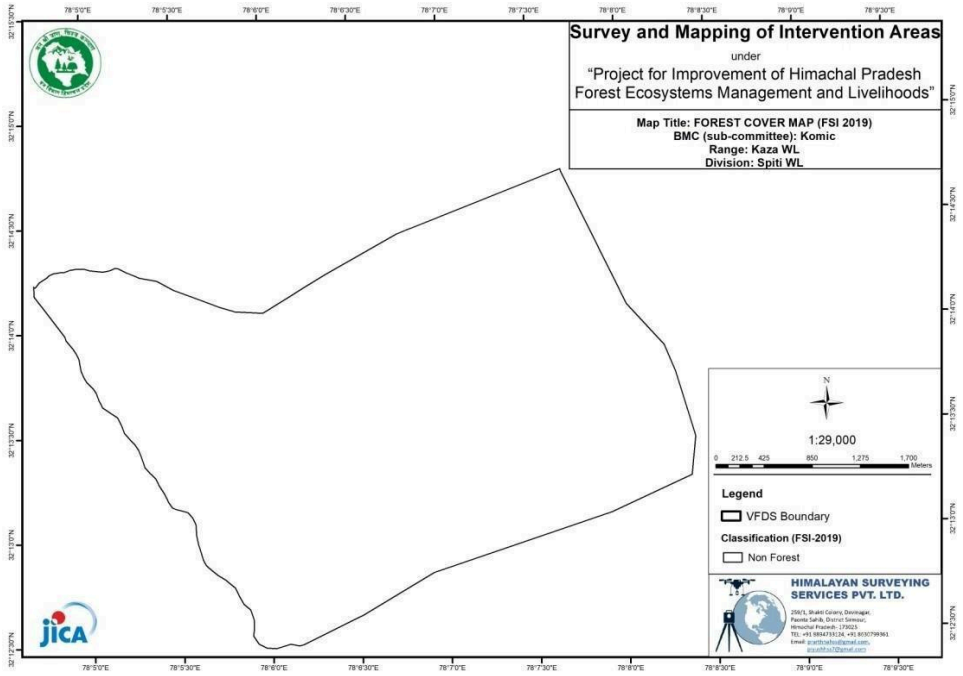

5.2.1.6 चराई, आग, पशुधन चराई के अन्य जोखिमों पर डेटा और मानचित्र

गायों	**15**	**4**	**60**
याक	**15**	**1**	**20**
बकरी/भेड़	**15**	**2**	**27**
घोड़ा/खच्चर	**15**	**1**	**20**

इस गांव में लगभग 60 देसी गायें, 27 भेड़/बकरियां, 20 याक और 20 खच्चर/घोड़े होने की सूचना है। निपटान रिपोर्ट में दर्ज उनके अधिकारों के अनुसार स्थानीय अधिकार धारकों को अतीत में अपने मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को चराने की अनुमति दी गई थी। चराई से वन्यजीवों को निम्नलिखित समस्याएँ होती हैं:

भोजन के लिए प्रतियोगिता.

अशांति.

मृदा अपरदन रोगों का संचरण।

अरुचिकर घास एवं खरपतवार की मात्रा में वृद्धि।

क्षेत्र में अवैध चराई कभी-कभी एक समस्या है क्योंकि संरक्षित क्षेत्र के अंदर और आसपास से आवारा मवेशी अधिकार धारकों के मवेशियों के साथ मिलकर अभयारण्य के अंदर चरते हैं, जिससे वन्यजीवों को परेशानी होती है। अधिकारों के निलंबन के संबंध में MoEF&CC से प्राप्त दिशानिर्देशों को लागू करके इस समस्या को समाप्त किया जा रहा है।

क्षेत्र में मवेशियों को चराने के लिए कोई चराई परमिट जारी नहीं किया जाता है। आमतौर पर, अभयारण्य के बाहर स्थित गांवों के लोग अपने अनावश्यक मवेशियों को रात में, खासकर बरसात के मौसम में, जंगलों में भेज देते हैं। गर्मी के मौसम में ग्रामीण अपने पशुओं को चराने के लिए ऊंचाई वाले चरागाहों पर भी ले जाते हैं। वे लावारिस रहते हैं और वन कर्मचारियों को उन्हें अभयारण्य से बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कुछ मवेशी जंगली जानवरों का शिकार भी बन जाते हैं।

जंगल की आग

यह क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र में आता है। वहाँ कोई पेड़ नहीं हैं. लंबे शीतकाल तक बर्फ और ग्लेशियर से ढका रहने वाला क्षेत्र। अत: इस क्षेत्र में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई

5.2.1.7 मानव वन्यजीव संघर्ष

मानव-वन्यजीव संघर्ष अक्सर लोगों की भलाई में बाधा डालते हैं और पीआरए अभ्यास के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी प्रदान की गई थी। परियोजना स्थल में फसल और पशुधन को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी और तालिका: 1.13 में दी गई है (2015 में हिम तेंदुओं या भेड़ियों द्वारा पशुधन शिकार के 19 मामले थे, और 2016 में ऊपरी स्पीति में पशुधन शिकार के 28 मामले थे) क्षेत्र, स्रोत: हिम तेंदुआ ट्रस्ट, प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन, मैसूर)।

नुस्खे:

स्थानीय लोगों को जंगली जानवरों से मुठभेड़ की स्थिति में क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

स्थानीय लोगों को विभिन्न विभागीय कल्याण कार्यक्रमों, विशेषकर मुआवजे का दावा दायर करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेंज या डिवीजन मुख्यालय पर उपकरणों के साथ प्रशिक्षित अधिकारियों से युक्त एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैनात की जानी चाहिए।

गांवों की परिधि पर चारा वृक्षारोपण विकसित किया जाएगा और स्टाल फीडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

5.2.1.8 हस्तक्षेप क्षेत्रों/उपचार भूखंडों पर डेटा और मानचित्र

गणना के लिए लागू लागत मानदंड वन विभाग द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार हैं। पौधे, गड्ढे का आकार वन विभाग और परियोजना दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित और अनुमोदित मॉडल के अनुसार है। टीम द्वारा बार-बार जंगलों का दौरा किया गया है और साइट की स्थितियों के अनुसार उपचार भूखंड निर्धारित किए गए हैं। इस उप समिति क्षेत्र में जलशोधन, मृदा संरक्षण कार्य लागू हैं। स्थानीय गाजियों द्वारा काफी अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है, एक भूखंड के साथ पैच बुआई भी निर्धारित की गई है। स्थानीय परिस्थितियों के साथ-साथ जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए बाड़ लगाने वाले हिस्से का गंभीर विश्लेषण किया गया है और तदनुसार निर्धारित किया गया है। कुल 6 हेक्टेयर सामुदायिक भूमि की पहचान की गई है।

तालिका 5.2 .1: उप-समिति का प्लॉटवार विवरण

एस। नहीं	प्लॉट का नाम	प्लॉट नंबर	क्षेत्र	अक्षांश देशांतर	पीएफएम तरीका	एफडी मोड
1	कॉमिक वार्ड	**1**	6	32° 13'54॥ 78 °06' 53॥	हाँ	---

5.2.2 वनों पर सामुदायिक निर्भरता की प्रवृत्ति (पीआरए अभ्यास के अनुसार)

मानदंड	अतीत में उपलब्धता एवं पहुंच	वर्तमान उपलब्धता एवं पहुंच
प्रमुख प्रजातियाँ उपलब्ध हैं	ट्राइगोनेला इमोडी, सिसेरारीटिनम, फेस्टुकारूब्रा, जेरेनियम, कजिनियाथोम्सोनि	एकोनोगोनम, ट्राइगोनेलामोडिस, चना, लाल फेस्क्यू,
प्रमुख एनटीए उपलब्ध फपी	एकोनाइट, अर्नेबियाउक्रोमा, कोडोनोप्सिसक्लेमेटिडिया, जेंटियाना, पेडिक्युलिस, *Dactylorhizahatagirea*	अर्नेबियाउक्रोमा, हिप्पोफेटिबेटाना, डैक्टिलोरिज़ाहाटागिरिया
चारे की उपलब्धता	ट्राइगोनेला इमोडी, सिसेरारीटीना, फेस्टुका लाल, जेरेनियम	ट्राइगोनेला लाल फ़ेसबुक, लाल फ़ेसबुक, जेरेनियम
ईंधन लकड़ी की उपलब्धता	एक प्रकार की सब्जी कैंडोलीनस, क्रस्चेननिकोविया सेराटोइड्स, एफेड्राजेरार्डियाना, कैरगाना ब्रेविफोलिया, लोनीसेरा स्पिनोसा, सैलिक्स, हिप्पोफेटिबेटाना	लोनीसेरा सैलि स्पिनोसा, क्स, हिप्पोफेटिबेटाना, कैरगाना ब्रेविफोलिया,
लकड़ी की उपलब्धता	कैरगाना ब्रेविफोलिया, लोनीसेरा स्पिनोसा, सैलिक्स, हिप्पोफेटिबेटाना	कैरगाना ब्रेविफोलिया, लोनीसेरा स्पिनोसा, सैलिक्स, हिप्पोफेटिबेटाना
खुली चराई तक पहुंच	आसान पहुंच	केवल भेड़ और बकरी
ईंधन लकड़ी तक पहुंच	वन भूमि नजदीक होने से आसान पहुंच	बहुत दूर जाना होगा
चारे को तक पहुंचें	जंगल भूमि के नजदीक होने से आसान पहुंच,	पास होना दूर जाने के लिए, कुछ चारे की प्रजातियाँ उगाई गई हैं कृषि क्षेत्र के मेड़ों/ढलानों पर

प्रवेश को लकड़ी	वन भूमि नजदीक होने से आसान पहुंच	यहां कोई वृक्ष वन नहीं है, परिणामस्वरूप वे झाड़ियों वाली लकड़ी पर निर्भर हैं

		प्रजातियाँ
एनटीएफपी तक पहुंच	आसान पहुंच	वन भूमि नजदीक होने के कारण केवल कुछ लोग या अमची ही अपने निजी उपयोग के लिए एकत्र करते हैं एनटीएफपी का कोई व्यावसायीकरण नहीं

5.2.3 वन पर निर्भर परिवार (पीआरए अभ्यास के अनुसार)

वर्ग	जंगल पर निर्भर % एचएच				
	एनटीएफपी	ईंधन की लकड़ी	चारा	घास	अन्य
प्राथमिक वन उपयोगकर्ता	20%	100%	70%	50%	-
द्वितीयक वन उपयोगकर्ता	10%	30%	15%	10%	-

ईंधन की लकड़ी के लिए प्राथमिक वन उपयोगकर्ता 100%, चारे के लिए 70% और घास संग्रहण के लिए 50% हैं। ईंधन की लकड़ी के लिए द्वितीयक वन उपयोगकर्ता 30% हैं। इस वन क्षेत्र में आसपास के गांवों के लोग भी आते हैं।

5.2.4 चयनित क्षेत्र के वन संसाधन (पीआरए अभ्यास के अनुसार)

एस। नहीं	प्रजातियाँ	मुख्य उपयोग	सापेक्ष उपलब्धता (%)	पौधे का अनुमानित मूल्य (1-10 का पैमाना, 1 सबसे कम होना)	
				पुरुषों	औरत
1	ट्राइगोनेला इमोडी	चारा	8	6	8
2	एक प्रकार का अनाज चना	चारा	6	6	6
3	फेस्क्यू रूब्रा	चारा	3	5	7
5	अर्नेबियाउक्रोमा	औषधीय	50	10	10
6	किरात	औषधीय	9	9	9
7	कैरगाना ब्रेविफोलिया	ईंधन, निर्माण	27	10	10
8	लोनीसेरा स्पिनोसा	ईंधन, निर्माण	37	10	10
9	सेलिक्स	ईंधन, निर्माण	18	10	10

10	हिप्पोफेटिबेटाना	ईंधन, निर्माण	11	8	8

		औषधीय			

की सापेक्ष बहुतायतअर्नेबियाउक्रोमाइहाई, यह सबसे पसंदीदा प्रजातियों में से एक है.रुकोलोनोइसेरा एसपी की सापेक्ष बहुतायत। कैरगाना एसपी.औरसेलिक्स37%, 27% और 18 हैं
% क्रमश।

5.2.5 जैव विविधता

प्रमुख आवास	पहल की गई
हिम तेंदुआ	विकसित होना बर्फ तेंदुआ & शिकार प्रजातियाँ निगरानी प्रोटोकॉल • जन-वन्यजीव संघर्ष को समझना और प्रबंधित करना • संरक्षण के लिए सामाजिक रूप से बाड़बंदी वाले क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए मॉडल विकसित करना • जागरूकता कार्यक्रम निर्देशित किये गये स्कूली बच्चों, शिक्षकों और युवाओं पर • संरक्षण योजना और कार्यान्वयन में सहायता करना
Bharal	चारागाह विकास, शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीवों का सुधार प्राकृतिक वास द्वारा निर्माण पानी तालाब, पानी कटाई संरचना, पथ बंकरों, सॉल्टलिक्स आदि की मरम्मत
औबेक्स	चारागाह विकास, शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीवों का सुधार प्राकृतिक वास द्वारा निर्माण पानी तालाब, पानी कटाई संरचना, पथ बंकरों, सॉल्टलिक्स आदि की मरम्मत।
नीली भेड़	चारागाह विकास, शिकार पर प्रतिबंध

पर्यावास प्रबंधन:

पर्यावास प्रबंधन वन्यजीव प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। निवास स्थान जितना अधिक आदर्श होगा, जंगली जानवरों के लिए भोजन, आश्रय और पानी की उपलब्धता की दृष्टि से उतना ही बेहतर होगा। आवास में उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करना अनिवार्य है

यह मुख्य कारक है जो अंततः वन्य जीवन को नियंत्रित करता है। अभयारण्य में उपलब्ध आवासों के प्रकार का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। चूँकि यह भविष्य के प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा और सभी प्रबंधन प्रथाओं को आवास के प्रकार और उपलब्ध संसाधनों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

उद्देश्य:-

संसाधनों की उपलब्धता और बाधाओं के संबंध में आवास का अध्ययन करना। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन के लिए आवास की उपयुक्तता का आकलन करना।

न्यूनतम व्यवधान के साथ आवास संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करना।

क्षेत्र के वन्य जीवन के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फलदार पौधों की स्थानीय प्रजातियों का प्रचार-प्रसार करना।

प्रबंधन के नुस्खे:-

- आवास के बेहतर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ चलायी जानी चाहिए।
- चरागाहों का सुधार.
- जल स्रोतों का रख-रखाव।
- नमक की चाट का संवर्धन.
- भौतिक विशेषताओं का संरक्षण एवं रखरखाव।
- जन-वन्यजीव संघर्ष को समझना और प्रबंधित करना
- संरक्षण योजना एवं कार्यान्वयन में सहायता करना

चरागाहों का सुधार:

चारागाह सुधार के अंतर्गत न केवल झाड़ियों की गुणवत्ता में सुधार करना है बल्कि विशाल थैचों/चारागाहों में क्रैगना, गोयलसन, सैलिक्स, सेबकथॉर्न, रिब्स एसपी, रोजा बेबीना, जुनिपिस कार्पस और अन्य प्रजातियों जैसी झाड़ियों का रोपण करना है। इससे चारे की विविधता बढ़ने के साथ-साथ वन्य जीवन को भी आश्रय मिलेगा। स्थानीय पौष्टिक घासों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस योजना के तहत हर साल 10 हेक्टेयर क्षेत्र का निपटान किया जाना चाहिए।

जल स्रोतों का रखरखाव:

वार्ड में पानी की कमी है. अभयारण्य में जल उपलब्धता में सुधार के लिए कुछ जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना आवश्यक है। ये संरचनाएं पूरे क्षेत्र में फैली होनी चाहिए। हर साल पांच-छह मिट्टी के तालाब बनाये जायेंगे

अभयारण्य में. प्रस्तावित जल तालाबों के स्थल की पहचान स्पष्ट उद्देश्यों के साथ डीएफओ/एसीएफ द्वारा क्षेत्र का दौरा/निरीक्षण कर सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। डिजाइन मौके पर उपलब्ध साइट के अनुसार होगा। प्रत्येक संरचना की लागत अनुमान के अनुसार होगी और साइट से साइट पर अलग-अलग होगी।

नमक की चाट का संवर्धन:

वन क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवर ज्यादातर अनगुलेट्स हमेशा खनिज लवणों से वंचित रहते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए वे उस स्थान की खोज करते हैं जहाँ चट्टानों से प्राकृतिक लवण निकलते हैं। ये खनिज लवण इनके द्वारा चट किये जाते हैं।

कृत्रिम नमक चाटने का प्रावधान जंगली जानवरों के व्यवहार और गतिविधि को प्रभावित करता है और कभी-कभी यह शिकारियों को जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने में भी मदद करता है। इसलिए, जहां कृत्रिम नमक चाटने की व्यवस्था की गई है, वहां उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यह सुझाव दिया गया है कि सभी मौजूदा कृत्रिम नमक चाटने वाले स्थानों की मैपिंग की जानी चाहिए और जानकारी के आधार पर नए नमक चाटने का निर्णय सावधानीपूर्वक लिया जाना चाहिए। डीएफओ/एसीएफ द्वारा क्षेत्र का दौरा/निरीक्षण करने के बाद इन नमक चाटने वाले स्थलों की सावधानीपूर्वक पहचान की जानी चाहिए। समूह गश्ती अभ्यास के दौरान ऐसे स्थलों की पहचान की जानी है और इन स्थानों पर सेंधा नमक के ब्लॉक प्रदान करके संवर्द्धन और पूरक करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए मोनोलिथ नमक ब्लॉकों का भी उपयोग किया जा सकता है जिनमें कई खनिज लवणों का मिश्रण होता है।

भौतिक विशेषताओं का संरक्षण और रखरखाव:

सभी भौतिक विशेषताएं जैसे गुफाएं, मांद, चट्टानें; मृत और सूखी झाड़ियों को संरक्षित और ऐसे ही रखा जाएगा, क्योंकि इन सुविधाओं का उपयोग जंगली जानवर करते हैं। इनका उपयोग कई पक्षियों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों द्वारा आराम करने, घोंसला बनाने, बसेरा बनाने और बैठने के उद्देश्य से किया जाता है।

जन-वन्यजीव संघर्ष को समझना और प्रबंधित करना

यह प्रभावी संरक्षण मॉडल पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से स्थानीय समर्थन का उपयोग करने के साथ-साथ वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाएगा।

संरक्षण योजना एवं कार्यान्वयन में सहायता करनास्कूल, बच्चों और युवाओं के साथ-साथ स्थानीय क्षमता पर जागरूकता कार्यक्रम बनाकर, संरक्षण कार्यों की योजना और कार्यान्वयन करना।

5.2.6 एनटीएफपी संग्रह***(***पीआरए अभ्यास के अनुसार***)***

एस। नहीं	एनटीएफपी का नाम (स्थानीय)	संग्रह और समय (महीने)	की संख्या एचएच लगे हुए हैं - लगभग।	औसत संग्रहण/सीजन/एचएच/वर्ष	मात्रा एक सीज़न/वर्ष में एकत्र किया गया	मात्रा एक सीज़न/वर्ष में बेचा गया (रु.)	बिक्री मूल्य रुपये/किग्रा में	से क्षेत्र से उप-समिति - हाँ/नहीं	प्रमुख समस्याए
1	अर्नेबिया या रतनजोत (50%),								प्रजातियाँ बनने विलुप्त, जंगली जानवरों के हमले
2	कोडोनोप्सिस एसपी. (18%),								जंगली जानवर हमला करते हैं
3	जेंटियाना एसपी. (9%)								उपलब्धता कमी
4	इफेड्रा एस.पी. या सलाम पंजा (5%)								प्रचुरता कमी
5	जूँ (4%)								प्रचुरता कमी
6	लियोन्टोपोडियम मी (6%)								

- प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा एनटीएफपी का कोई संग्रह नहीं।
- रतन जोत जंगली प्याज़ का उपयोग केवल स्व-उपभोग के लिए किया जाता है।

5.2.7 ईंधन संग्रहण/खपत **(**पीआरए अभ्यास के अनुसार**)**

एस। नहीं	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	शामिल एचएच की संख्या	इकाई	औसत एचएच उपभोग /वर्ष	वार्षिक उपभोग /वर्ष	सूत्रों का कहना है	शामिल लागत, यदि कोई हो	प्रमुख समस्याए
1	रसोई गैस	15	नहीं।	6	90	सरकार.	940.00/प्रति सिलेंडर	की ढुलाई कज़ाटोकॉमिक (19 किमी.)
2	ईंधन की लकड़ी	15	घन किलो ग्राम।	6 महीने	625 किग्रा /एचएच/एम	जंगल &प्रा. भूमि	680/- प्रति 1000 किग्रा	सवारी डिब्बा का मुर्गा टूकॉमिक (19 किमी.)

5.2.8 ईंधन/ईंधन लकड़ी की कमी (पीआरए अभ्यास के अनुसार)

ईंधन की कमी	ईंधन के साथ % एचएच कमी	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियां
कम	--	---	--
मध्यम	---	--	---
उच्च	15	नवंबर-मार्च	ईंधन की लकड़ी के लिए वन निगम पर निर्भर रहना। जंगल और अपने क्षेत्र में चारे के पौधों का रोपण यदि संभव हो तो भूमि.

- एलपीजी का उपयोग आंशिक रूप से केवल 15HHs में खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वन विभाग सभी घरों को अधिकतम 1000 किलोग्राम प्रति घर तक रियायती दरों (680 रुपये प्रति क्विंटल) पर ईंधन लकड़ी प्रदान करता है। इसके अलावा ग्रामीण विभिन्न पौधों की प्रजातियों जैसे कार्गानास्प, लोनीसेरा प्रजाति की लकड़ी के पौधे, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करते हैं। सैलिक्स एसपी. ईंधन की लकड़ी के लिए चरागाहों से आधे से अधिक संग्रह होता है। लकड़ी के अलावा, लोग ईंधन के लिए काफी मात्रा में मवेशी, याक और गोबर भी इकट्ठा करते हैं।
- गर्मी, बरसात और पतझड़ के मौसम में ईंधन की लकड़ी की खपत सर्दियों की तुलना में कम होती है। सर्दियों से पहले प्रत्येक घर में सर्दियों के दौरान उपयोग के लिए ईंधन की लकड़ी का भंडारण किया जाता है।
- अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में प्रति परिवार औसत ईंधन लकड़ी की खपत 625 किलोग्राम प्रति एचएच प्रति माह है।

5.2.9 चारा संग्रहण/उपभोग***(***पीआरए अभ्यास के अनुसार***)***

एस। नहीं	प्रकार का चारे का उपयोग किया जाता है	नहीं का एचएच में डी शामिल है	इ का ई	औसत एचएच /वर्ष पर उपभोग किया गया	वार्षिक उपभोग एन /वर्ष	सूत्रों का कहना है	लागत शामिल, अगर कोई	प्रमुख समस्याए
1	हरा चारा, हरी घास, सूखी घास से चारागाह भूमि	15	किलो ग्राम।	8 हटाओ /800कि. ग्रा	18 क्विंटल	जंगल, प्रा. भूमि	नहीं	चारा लाया से दूर बंद जंगलों गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध नहीं है भूमि जोत में कमी के कारण पारिवारिक विभाजन पशु चिकित्सा सुविधाएं कम आईटीके का पालन - पोषण जानवरों संकर पशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है.
						जंगल, प्रा. भूमि	नहीं	
						जंगल, प्रा. भूमि	नहीं	
2	कृषि अवशेष से कृषक मैदान		किलो ग्राम।	10 ले जाओ /1000 किग्रा		प्रा. भूमि	नहीं	

5.2.10 चारे की कमी***(***पीआरए अभ्यास के अनुसार***)***

चारे की कमी	चारे की कमी वाले % एचएच	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियां
कम			
मध्यम	15	अक्टूबर-मार्च	चारा (तूड़ी) मार्किट से खरीदा गया दर रु. काजा बाजार से 600 रुपये प्रति 50 किलो। जंगल और अपनी भूमि में चारे के पौधों का रोपण,
उच्च	-	-	-

चारा संग्रहण/उपभोग की प्रमुख समस्याएँयह कि चारा उनकी फसलों जैसे मटर के अवशेषों से लाया जाता है।

सितंबर के बाद भेड़ और याक को बर्फबारी होने तक मुफ्त चराई के लिए खुले चरागाहों में भेज दिया जाता है। सर्दियों में वे अपने पालतू मवेशियों को वापस घर ले जाते हैं। औसत पशु धारण क्षमता 8 पशु (4 गाय, 1 गधा, 1 याक 2 बकरी/भेड़) है। उनके पास पशु चिकित्सा सुविधाएं भी कम हैं।

कृषि अवशेषों में उपयोग की जाने वाली चारे की प्रजातियों में जौ, मटर को चारे के रूप में दिया जाता है।

- लोग उच्च मूल्य वाली नकदी फसलें पसंद करते हैं और पारंपरिक फसलें नहीं उगा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप चारे की उपलब्धता कम हो रही है।
- ग्रीष्म ऋतु में चरागाहों से हरी एवं सूखी घास प्राप्त होती है। 15 जून से अक्टूबर के अंत तक मालिक द्वारा चरागाहों को बंद कर दिया जाता है, अक्टूबर में घास की कटाई की जाती है और उसके बाद सर्दियों में चराई के लिए क्षेत्र को सभी ग्रामीणों के लिए खोल दिया जाता है।

जबकि चारे के लिए प्रजातियों का निष्कर्षण रेंजलैंड की विशेषता और पशुधन संरचना पर निर्भर करता है। खेती योग्य प्रजातियों को छोड़कर औसतन तेईस प्रजातियों को महत्वपूर्ण चारे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और इनमें सेट्राइगोनेला एसपी. चना एसपी.

, एकोनोगोनमस्प, फेस्टुका एसपी। , जेरेनियम, कूसिनियाथोम्सोनि, लिंडेलोफिस्टिलोसा, लेयमस सेकेलिनस, रुमेक्स, आदि। चरागाहों से एकत्र किए गए थोक का गठन किया।

5.2.11 इमारती लकड़ी संग्रहण/उपभोग*(*पीआरए अभ्यास के अनुसार*)*

की नहीं

औसत एचएच

वार्षिक

मौजूदा

लागत

इमारती लकड़ी का उपयोग

परिवारों

स्रोत

का

माँग /वर्ष

इकाई

उपभोग /वर्ष

उपभोग /वर्ष

संग्रह/खरीदलकड़ी वितरण,

शामिल, यदि कोई हो

मेजर प्रो

ltural

वहाँ है वे हवलदार

उल्लेख, घर

700 किग्रा /7

इससे खरीदें

नीलामी/मरम्मत, उरे

4-5

केजी/अभी भी

शांत

700 किग्रा

आयातित लकड़ी डिपो, बिक्री डिपो

डिपो से गाड़ी की लकड़ी

5.2.12 इमारती लकड़ी की कमी***(***पीआरए अभ्यास के अनुसार***)***

इमारती लकड़ी की कमी	% परिवारों इमारती लकड़ी की कमी के साथ	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियां
कम			
मध्यम	100%	साल भर	अवैध खरीद, अवैध कटाई, एचपीएसएफसीएलटीडी से खरीद।
उच्च			

पारंपरिक मिट्टी की ईंट के घरों के निर्माण के लिए पौधों की कई लकड़ी की प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। छत के लिए बड़े खंभे आमतौर पर बाहर या स्थानीय चिनार और विलो के बागानों से प्राप्त किए जाते हैं। बहुस्तरीय छत झाड़ियों और अन्य पौधों से सुसज्जित है, खासकर किनारों पर। इनमें से कई जल प्रवाह और बर्फ पिघलने के कारण कटाव और रिसाव से सुरक्षा के रूप में काम करते हैं, लेकिन अवसरों पर आपातकालीन चारे और ईंधन के रूप में भी काम करते हैं। पोटेंटिला, हिप्पोफेटिबेटाना आदि जैसे कुछ क्षेत्रों मेंएस्ट्रैगलस कैंडोलीनस, कैरगाना ब्रेविफोलिया, लोनीसेरा स्पिनोसा, विलो, पोटेंटिला एसपी। और हाइपोफ़े एसपी.मकानों के निर्माण के लिए भी बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है।

5.2.13 वन प्रबंधन अभ्यास***(***पीआरए अभ्यास के अनुसार***)***

प्रमुख गतिविधियां	पारंपरिक प्रथाएँ	वर्तमान प्रथाएँ
पौधशाला विकास	पेड़ों की सुरक्षा से प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायता मिली।	वानिकी एसपीपी की कोई नर्सरी बढ़ाने की प्रथा नहीं।
वृक्षारोपण प्रबंधन	प्राकृतिक रूप से उगने वाले एसपीपी को संरक्षित किया जाता है, अगर पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं तो झाड़ियाँ हटा दी जाती हैं देवता वन में उगे पौधे	सहज रूप में बढ़ रही है एसपीपी. संरक्षित हैं. यदि रोपाई हो तो एकल करना, झाड़ियाँ हटाना देवता वन में उगे पौधे
वन संरक्षण	कुछ वनों को देवता वन के रूप में संरक्षित किया जाता है, इन वनों में सर्वोत्तम पौधे रोपे जाते हैं। लोग थे सीधे जुड़े हुए ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी के लिए वनों के	कुछ वनों को देवता वन के रूप में संरक्षित किया जाता है, इन वनों में सर्वोत्तम पौधे रोपे जाते हैं। चिल का परिचय,

	साथ।	

		मोनोकल्चर एसपीपी.
विकास गतिविधियों	Gram Sudhar Sabha जावर प्रथा प्रचलित थी मंदिर समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है	Gram Sudhar Sabha Jawar system not prevalent Mandir समिति सक्रिय रूप से भाग लें.
आजीविका गतिविधियाँ	वह	वह
अवैध गतिविधियां	अतिक्रमण	एफडी कार्यों के कारण कमी आई। कार्रवाई है लिया बकाएदारों के खिलाफ

उप-समिति वानिकी वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण कार्य, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा कार्यों में शामिल होगी। खातों एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु प्रशिक्षण परियोजना द्वारा दिया जायेगा.

5.2.14 वन संरक्षण प्रथाएँ***(***पीआरए अभ्यास के अनुसार***)***

वन अशांति	पारंपरिक प्रथाएँ	वर्तमान प्रथाएँ
जंगल की आग	जंगल में आग नहीं	
भूस्खलन	कोई भूस्खलन नहीं	
बाढ़	बाढ़ नहीं	
शिकार करना	शिकार/अवैध शिकार था प्रचलित WLPA 1972 से पहले	पूर्णतः प्रतिबंधित/नियंत्रित
अवैध गतिविधियां	शिकार करना	ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आई

जैव विविधता संरक्षण	कुछ अम्ची या एक्सटोटो स्थानीय तिब्बती चिकित्सा व्यवसायी परिवार में प्रत्येक	हालाँकि कुछ क्षेत्रों से उत्खनन आज भी जारी है , जिनमें से अधिकांश व्यावसायिक प्रतीत होता है के लिए की सेवा बाहर बाज़ार. अर्नबिया या
	गाँव। यह अभ्यास में गिरावट है इस क्षेत्र में के साथ आगमन का आधुनिक दवाई।	रतनजोत है अधिकांश नपुंसकसंग्रह (50%) पालन किया द्वारा कोडोनोपिस एस.पी. (18%) जेंटियाना एसपी. (9%) और इफेड्रा एस.पी. या नमस्ते बाहर (5%). बाहरी लोग निकालना औषधीय पौधे पर जल्दी अवस्था, इस कारण हुई में कई एसपीपी का विलुप्त होना। इस कारण ज्ञान की कमी।

- उप-समिति ड्राई स्टोन चेक डैम निर्माण, ब्रश वुड चेक डैम और बायोइंजीनियरिंग कार्यों में भाग लेगी।
- एनटीएफपी संरक्षण कार्यों में भाग लें।

5.3 जल संसाधन विवरण

जल संसाधन	नहीं।	पानी की उपलब्धता (महीने)	विभिन्न उपयोग	वर्तमान स्थिति	**Maintained** द्वारा किसको	समस्या	अवसर
वे चरम पर हैं	01	6	पेय जल	पानी उपलब्ध है	ग्रामीणों द्वारा	खुला स्त्रोत	नए निर्माण के बाद पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी और लगभग 15HH लाभान्वित होंगे।
ग्लेशियर शिखर	01	6	जंगली जानवर	मिट्टी का कटाव	द्वारावन मंडल टी	मिट्टी का कटाव	दोष। ब्रश की लकड़ी से, सुखाएं और तार बनाएं, बांध और साइड की दीवारों की जांच करें
ग्लेशियर का पानी	01	6	पशुधन, जंगली जानवर	मिट्टी का कटाव	ग्रामीण एवं आईपीएच विभाग	पानी की टंकी की छत की आवश्यकता	बांधों की जांच करें

प्राकृतिक झरनों से पानी की उपलब्धता वर्ष भर रहती है। प्राकृतिक स्रोत अधिकतम खुले स्रोत हैं। इन स्रोतों के नए निर्माण और रखरखाव के बाद इन स्रोतों को ग्रामीणों, पशुधन और वन्यजीवों के लिए भी बनाए रखा जाएगा।

5.4 कृषि संसाधन

5.4.1 खेती योग्य भूमि उपयोग पैटर्न

	खेती योग्य भूमि	सिंचित भूमि	वर्षा आधारित भूमि	खेती योग्य बंजर भूमि	कुल
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	**19.35**	**0**	**19.35**	**14.02**	**129**
% क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	**15%**	**0**	**15%**	**10.86%**	**100%**

द्वितीयक अभिलेखों के अनुसार 20.24 हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती की जाती है। वार्ड में सिंचित भूमि नहीं है. इसलिए, पूरी खेती योग्य भूमि वर्षा आधारित और खेती योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत है।

5.4.2 भूमि धारण पैटर्न

वर्ग	एचएच की संख्या	% एचएच
भूमिहीन एचएच	-	-
अनुपस्थित किसान	-	-
लघु एवं सीमांत किसान (1-5 बीघे)	**4**	**27%**
मध्यम/बड़े किसान (6- 15 बीघे)	**11**	**73%**

कोई भूमिहीन नहीं

27% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं 73% किसान मध्यम किसान हैं। कोई भूमिहीन और अनुपस्थित किसान नहीं हैं।

5.4.3 फसल पैटर्न

प्रमुख फसलें	किसानों की संख्या नहीं लगी	सिंचित/बारिश आधारित	उपज की इकाई	औसत फसल उपज	जिला/राज्य औसत उपज	% घाटा उपज	कारण, अगर कम प्राप्ति	अनुमानित समाधान को सुधार कृषि उत्पाद
जौ	15	रेनफेड	क्यूटीएल/ एचएसी	14.45	16.72क्विंटल/हे	2.75	सिंचाई की कमी, HYY का कोई उपयोग नहीं, FYM का कम उपयोग, खराब फसल प्रबंधन	सिंचाई का प्रावधान, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, मृदा परीक्षण, पोषक तत्व जोड़ना इसलिए
हरे मटर	15	रेनफेड	क्यूटीएल/ एचएसी	65	76.6 क्विंटल/हे	11.6	असंतुलित उर्वरकों का उपयोग कमी श्रम का FYM चूर्ण का कम उपयोग फफूंदी रोग उच्च बीज दर कम अंकुरण	ऊपर की तरह

आलू	15	रेनफेड	क्यूटीएल/एचएसी	75	86.88 क्विंटल/हे	11.88	असंतुलित उपयोग उर्वरकों का असामयिक प्रयोग इनपुट का कमी का पौध संरक्षण उपायों में अंतर मिट्टी की उर्वरता में एफवाईएम स्थानीय बीज का कम उपयोग	उच्च उपज किस्मों

- उप-समिति में 15HH नकदी फसलों (जौ, मटर, आलू) की खेती में शामिल हैं।
- वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाने वाली सभी फसलें।
- फसलों की औसत उपज प्राथमिक हितधारक की जानकारी के अनुसार है।
- राज्य में फसलों की औसत उपज द्वितीयक स्रोत (सीएसकेकेवी पालमपुर) वेबसाइट के अनुसार है।
- उगाई गई फसलों की औसत उपज जिले के औसत की तुलना में कम है क्योंकि खेती के तरीके पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं।
- ग्राम स्तर का औसत उत्पादन ग्रामीणों के दृष्टिकोण के अनुसार है।

5.4.4 खेती योग्य भूमि की चुनौतियाँ

बड़ी चुनौतियां	चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान रणनीतियाँ	उपयोगिता वर्तमान रणनीतियों का
मिट्टी की उर्वरता ख़राब होना	FYM अनुप्रयोग का अनुप्रयोग रासायनिक का उर्वरक	मध्यम उपयोगी
मृदा अपरदन (कम	सी/ओ आरआर पत्थर चिनाई संरचनाएं	मध्यम उपयोगी
मृदा अपरदन (मध्यम)	सी/ओ आरआर पत्थर चिनाई संरचनाएं	मध्यम उपयोगी
मृदा अपरदन (गंभीर)	कोई गंभीर मृदा क्षरण नहीं देखा गया	
कम भूमि उत्पादकता	एफवाईएम का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक हाईब्रिड बीजों का प्रयोग	मध्यम उपयोगी
कम नमी प्रतिधारण	घास मल्चिंग, FYM अनुप्रयोग, टपक सिंचाई आचरण	

सिंचाई का अभाव	सिंचाई के माध्यम से पीवीसी पाइप पानी की टंकियों से	कम उपयोगी
अन्य (निर्दिष्ट करे		

5.5 पशुधन संसाधन **5.5.1**पशुधन धारण

पैटर्न

प्रकार	एचएच की संख्या शामिल	औसत एचएच पकड़े	जानवर की संख्या एस	समस्या	अवसर
गायों	**15**	**4**	**60**	खेती योग्य चारे की कमी, कम दक्षता वाले उपकरणों का उपयोग और कड़ाके की ठंड इस कार्य को और भी कठिन बना देती है। कम दूध	संभावना क्षेत्र उपलब्ध चारा रोपण जागरूकता के लिए पशुचिकित्सक द्वारा शिविर. विभाग एक्सपोजर मिलने जाना सफल
याक	**15**	**1**	**20**		
बकरी/शीशी पी	**15**	**2**	**27**		
घोड़ा/खच्चर	**15**	**1**	**20**		

					क्षेत्रों के लिए.

				उत्पादन वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव पशु पालन का	
कुल	**15**	**8**	**127**	-	-

5.5.2 मुख्य पशुधन का उत्पादन

प्रकार	उत्पाद	उत्पादन क्रिया की इकाई	औसत उपज/उत्पाद पर	जिलाटी औसत यह है	% घाटा उपज	कारण के लिए कम उपज/उत्पादन	
गायों	दूध	किलोग्राम	4.0 किग्रा	**3.9**	0.1	जागरूकता की कमी कमी पोषण का स्टॉल फीडिंग	नस्ल सुधार, प्रशिक्षण, प्रबंधन के माध्यम से पशुधन विकास और पशु चिकित्सा सेवाएँ
संकर नस्ल	दूध	0	3.4	**2.4**	1.0		
बकरी/शीशी पी			3.0	1.5	1.5	चारे और घास की गुणवत्ता	

6. आजीविका रणनीतियाँ

6.1 मौजूदा आजीविका रणनीतियाँ

आजीविका का स्रोत	एचएच आश्रित की संख्या के रूप में		प्रमुख बाधाएँ/चुनौतियाँ
	मुख्य स्रोत	द्वितीयक स्रोत	
कृषि	**15**	**0**	गंभीर स्थलाकृतिक और जलवायु कारकों और सभी जैविक दबाव के कारण कटाव की समस्या अधिकतम क्षेत्र वर्षा आधारित है; इसलिए सिंचित भूमि की तुलना में किसानों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकियों और आदानों को अपनाने की दर कम है। किसानों की छोटी और बिखरी हुई भूमि सूखा, बादल फटना, ओलावृष्टि, भारी बर्फबारी, तूफान, तापमान में असामान्य वृद्धि जैसी प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के कारण कृषि भूमि का निचोड़। किसानों की कम जोखिम सहने की क्षमता और खराब क्रय शक्ति। फसलों की कम उत्पादकता. आवारा पशुओं और जंगली जानवरों की बढ़ती जनसंख्या।
वानिकी	**15**		0.79% वन खुली चराई

			चरागाह भूमि पर बड़ा दबाव, चारे और ईंधन की लकड़ी के लिए नई पौध अतिक्रमण
पशुधन/पशुपालन	**15**	**0**	शुष्क मौसम के दौरान चारे और चारे की कमी। खिलाने का पारंपरिक तरीका. बिखरी हुई एवं कम जोत वाली भूमि। खराब पशु उत्पादकता यानी, कम दूध उत्पादन, बड़ी संख्या में गैर-वर्णन प्रकार के जानवर, प्रजनन बैल की कमी, खराब विस्तार सेवा। वन्य जीवों के हमले. नई पीढ़ी की रुचि में कमी
दिहाड़ी मजदूर	**15**		काम आसानी से नहीं मिलता
सेवा/नौकरी		**3**	नौकरियों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या कुशल की कमी
बढई का	**4**	**-**	इसका वेतन कार्य लोगों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

6.2 आजीविका-गतिविधि कैलेंडर

मौसमी गतिविधियाँ& जलवायु संबंधी घटनाएँ	महीने											
	जे	एफ	एम	ए	एम	जे	जे	ए	एस	हे	एन	डी
दिहाड़ी मजदूर												
कृषि/बागवानी												
घास/चारा												
बारिश												
हिमपात/सर्दी												
ठंढ												
सिंचाई												
ईंधन की लकड़ी												
दंतकथाएं												
	पूर्णतः अधिगृहीत (पूर्ण माह)											
	आंशिक रूप से कब्ज़ा किया गया											

आजीविका गतिविधि कैलेंडर से पता चलता है कि ग्रामीण पूरे वर्ष व्यस्त रहते हैं। हालाँकि, बर्फबारी के दौरान काम का दबाव रहता है /अन्य ऋतुओं की तुलना में सर्दी कम होती है। इसलिए, ग्रामीण माइक्रो प्लानिंग के लिए नवंबर से फरवरी महीने के दौरान उपलब्ध हैं / बैठक।

6.3 भोजन की कमी***(***पोषण से संबंधित***)***

भोजन की कमी	**% HHs** के साथ भोजन की कमी	अवधि **(**महीने**)**	निपटने की रणनीतियां
कम	एन ए		
मध्यम	एन ए	-	-
उच्च	वह	-	-

ऐसे में भोजन की कोई कमी नहीं है.

6.4 आय की कमी

आय की कमी	% परिवारों आय की कमी के साथ	अवधि **(**महीने**)**	निपटने की रणनीतियां
कम	वह		
मध्यम	वह		
उच्च	वह		

कुल मिलाकर आय की कोई कमी नहीं है। कठिन परिश्रम का भार अधिक है; गर्मी के मौसम में पुरुष और महिलाएं कृषि, पशुपालन में व्यस्त रहते हैं, जबकि सर्दियों के मौसम में वे आजीविका के लिए हथकरघा, हस्तशिल्प प्रथाओं में शामिल होते हैं।

6.5 संभावित आजीविका रणनीतियाँ

आजीविका का स्रोत	प्रमुख बाधाएँ/चुनौतियाँ	प्रमुख रणनीतियाँ
ग्रीन हाउस-सब्जी की खेती/नर्सरी पालन	खुले बाजार से पौधे खरीदें, गर्मियों में सिंचाई के पानी की अनुपलब्धता	रुचि समूह द्वारा सब्जी नर्सरी तैयार करना। ड्रिप सिंचाई, ग्लेशियर जल संचयन
हथकरघा	पुराने करघे, विपणन	पारंपरिक पुराने करघों से मॉर्डन हथकरघा पर स्विच करें
बुनाई	विपणन समस्या	उपकरण और एक्सपोज़र के साथ प्रशिक्षण
कटाई एवं सिलाई	महिलाओं के लिए कोई प्रदर्शन और प्रशिक्षण नहीं	उपकरण और एक्सपोज़र के साथ प्रशिक्षण
एनटीएफपी का संग्रह	अधिक एनटीएफपी और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी का अभाव	यदि प्रोजेक्ट इसके बारे में प्रशिक्षण देता है तो यह महिलाओं के लिए उपयोगी होगा। वे अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

7. संस्थागत विश्लेषण

7.1 मौजूदा समुदाय आधारित संगठन

सीबीओ	सीबीओ की आयु (वर्ष)	औपचारिक अनौपचारिक	रजिस्टर करें (हां/नहीं)	उद्देश्य	मेम्बरशी पी	प्रमुख गतिविधियां	सीबीओ की विश्वसनीय विश्वसनीयता	बाहरी संबंध	प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी
उप समिति बीएमसी	14/10/2021	औपचारिक	हाँ	परियोजना/वन उद्देश्य		जेआईसीए में भागीदारी एन परियोजना	नवगठित	अभी स्थापित होना बाकी है डी	हाँ
Mahila Mandal/SHG	वह								
किशम नीलामी एल	वह								
Yuvak Mandal	वह								

उपर्युक्त सभी समितियाँ/समूह परियोजना के लिए अत्यधिक मददगार होंगे और उनकी भागीदारी परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायक होगी। इन समितियों के प्रतिनिधियों को नामांकित सदस्य के रूप में बीएमसी उप-समितियों में शामिल किया जाएगा

7.2 बाहरी संपर्कों के लिए प्राथमिकताएँ (उप-समिति क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सरकारी संस्था)

बाह्य अंतर्ज्ञान का नाम (ईआई)	ईआई का महत्व	ईआई के साथ संबंध	ईआई के साथ जुड़ने को प्राथमिकता
Gram Panchayat	परिवारों के लिए सरकारी योजनाएं सड़कें पीएमजीएसवाई के माध्यम से कनेक्टिविटी सामान्य सदन की बैठक	नई योजनाएं शुरू करने में बहुत मददगार ग्राम विकास	**2**
वन मंडल	वनों/प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करना।	सौहार्दपूर्ण संबंध. वनरक्षक बो भ्रमण करते रहते हैं गांवों	**1**
पशुचिकित्सा	स्वास्थ्य फ़ायदे जानवरों के लिए	बहुत अच्छे रिश्ते नहीं	**4**
स्वास्थ्य	बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य अभियान	स्वास्थ्य/आशा कार्यकर्ता बहुत संवादात्मक हैं	**5**
शिक्षा	जलवायु परिवर्तन और वनों के महत्व पर बुनियादी ज्ञान	बहुत उपयोगी	**5**
कृषि	नई किस्मों का प्रावधान, जागरूकता अभियान	औपचारिक विभाग के साथ संबंध	**4**
बागवानी	जागरूकता शिविरों में फलों के पौधों की नई किस्मों का प्रावधान जागरूकता अभियान	औपचारिक विभाग के साथ संबंध	**4**
Jal Shakti	जल आपूर्ति एवं सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है	सिर्फ फिटर से संबंध, सुधार की जरूरत	**3**

8. समस्या विश्लेषण एवं समाधान

8.1विश्लेषित समस्याएँ और वैज्ञानिक समाधान

एस। नहीं	समस्याओं की पहचान की गई	औचित्य समस्याओं की पहचान की गई	जड़ कारण विश्लेषण	अनुशंसित समाधान
1	उच्च सामुदायिक दबाव पास के वनभूमि पर	एचएच का 100% निर्भर करता है वनभूमि पर ईंधन की लकड़ी के लिए और 75% चारे के लिए। इमारती लकड़ी सभी की मूलभूत आवश्यकता है गृहस्थी।	वनभूमि से चारे और ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति में कमी।	चारा एवं घास की प्रजातियाँ रोपना ईंधन की लकड़ी के पेड़ लगाना इमारती लकड़ी की प्रजातियाँ लगाना
2	बढ़ती हुई मिट्टी कटाव & नमी की हानि	मृदा अपरदन समोच्च रेखा के अनुदिश होता है मृदा अपरदन मध्यम होता है श्रेणी	ग्लेशियरों के कारण मध्यम स्तर का मृदा अपरदन	कंटूर ट्रेंचिंग ड्राई स्टोन चेक डैम चिनाई चेक डैम दीवारों की जाँच करें
3	कमी का सिंचाई कवरेज	100% प्रतिशत कृषि योग्य भूमि लेकिन पानी की कमी	पानी संसाधनों में शामिल हैं हिमानी पानी इस्तेमाल किया गया पीने के लिए, घरेलू और वन्य जीवन उपयोग	शिला शिखर पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण
4	कम कृषि उत्पाद	मटर एवं सब्जियों की औसत पैदावार कम होती है	मिट्टी की खराब उर्वरता फसल उत्पादन तकनीक पर जानकारी का अभाव	आयोजन बीएमसी उप-समिति स्तर पर किसानों के शिविर आईपीएम, आईएनएम, बढ़ी हुई जानकारी, ज्ञान के लिए लिंकेज & तकनीकी

6	कम आय	गरीब बीपीएल श्रेणी में लगभग 27%(4एचएच) की गिरावट	सभी एचएच छोटे और सीमांत किसान हैं आय से कृषि	उद्यमिता कौशल विकास को बढ़ावा देना को बढ़ावा आय
			&पशुधन कमी का रोजगार के अवसर व्यवहार्य एवं व्यवहारिक का अभाव व्यवसाय के सुनहरे अवसर कम स्तर उद्यमिता का	पीढ़ी एसएचजी/सीआईजी के माध्यम से गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना क्लस्टर आधारित सूक्ष्म उद्यम विकास और विपणन हथकरघा और नकदी फसल की खेती का उन्नयन
सामुदायिक विकास की आवश्यकता एवं प्राथमिकताएँ				
7	क्षय अतिप्रवाह का पीने के पानी का संसाधनों के पास	ग्लेशियर जल की समोच्च रेखा पर जल प्रवाह	सामुदायिक संस्थानों और लाइन विभाग द्वारा उचित रखरखाव के अभाव में	जल संचयन संरचना/टैंकों का निर्माण/मरम्मत

8.2 अनुमानित समस्याएँ और समाधान

एसएनहे	प्रमुख हितधारकों	हितधारकों द्वारा पहचानी गई प्रमुख समस्याएं	एचएच और/या प्रभावित क्षेत्र की संख्या डी	समस्याओं के गंभीर कारण	अनुमानित समाधान	समस्याओं का प्राथमिकता निर्धारण

1	औरत	नहीं महिला मंडल, ईंधन एवं चारा पर उपलब्धता	15	कमी जागरूकता का	का गठन मिमी क्षमता निर्माण	एमएम का गठन और उसका पंजीकरण, आईजीए गतिविधियाँ,

		दूर-दराज के स्थान, आय सृजन गतिविधियों (आईजीए) की कमी।			कार्यक्रम ईएस, रोपण ईंधन, चारा प्रजातियाँ अगर संभव हो तो ।	हथकरघा, नकद फसल संवर्धन रोपण ईंधन, चारा, लकड़ी एसपीपी., अगर संभव।
2	दिहाड़ी मजदूर	साल भर वेतन का अभाव	15	कम भूमि जोत की कमी प्रशिक्षण की	मई मजदूरी का काम दिया जाए परियोजना गतिविधियों के प्रशिक्षण में उपकरणों के साथ आईजीए	वेतन में वृक्षारोपण कार्य, रस्सी बुनाई आदि बढ़ईगीरी का प्रशिक्षण, साथ में उपकरण प्रावधान.

3	किसान	1. बारिश सिंचित कृषि 2. कमी का जागरूकता कृषि योजनाओं की	15	1 कमी सिंचाई सुविधा की और कम भूमि जोत 2कृषि और कर्मचारी कम दौरा	ग्लेशियर जल संचयन, जागरूकता शिविर कृषि विभाग द्वारा	1. अधिकता जल संचयन का उपयोग करना जल संचयन संरचना का निर्माण करके 2. जागरूकता शिविरपरएकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन,एकीकृत कीट प्रबंधएक

						घ कृषि विभाग. योजना आदि.
4	भूमिहीन	वह				

8.3कार्यान्वयन गतिविधियाँ/हस्तक्षेप

महत्वपूर्ण मुद्दे	प्राथमिकताओं पद	सहमत समाधानों के अनुसार विशिष्ट गतिविधियाँ	एचएच को लाभ
सहभागी वन प्रबंधन			
ईंधन की लकड़ी और चारा दूर से संग्रह क्षेत्र.		रोज़ा मैक्रोफिला (जंगली गुलाब), प्रजाति का हिप्पोफ़े, मायरिकेरिया, सेलिक्स फ्लेबेलारिस, एस. हेस्टेट, एस. लिंडेयाना, जूनिपरस रिकर्व, रिब्स ओरिएंटेल, आर. alpestre, Lonicera spinosa (Thapp), L. ओबोवेटा, एल. रूपिकोला, कैपेरिस स्पिनोसा,	साबुत समुदाय

	1	कैरगाना ब्रेविफोलिया (कथानक)। एक प्रकार का फल आकर्षक कोल्यूटेनेपेलेंसिस, एफेड्रा जेरार्डियाना, क्लेमाटिस vernayii, कॉटनएस्टर माइक्रोफ़िला आदि। झाड़ियाँ और कांटेदार क्शन किस प्रजाति से बनते हैं कैरगाना, एस्ट्रैगलस, आर्टेमिसिया, कज़िनिया, सौस्रिया, लोनीसेरा और अर्नेबिया. घास का तत्व है एस्ट्रैगलस की प्रजाति का प्रभुत्व, चेस्नेया, ऑक्सट्रोपिस, सिसर, लिंडेलोफिया, लहस्न रुमेक्स, नेपेटा, हेराक्लियम, चेनोपोडियम, आर्टेमिसिया, सलाद जेंटियन, जेंटियानेला, हीस्सोप	

		पेडिक्युलिस, रयूम, एक्विलारिया, कैल्था, टारैक्सैकम, प्लांटागोस, एकोनिटम, थाइमस, डेल्फीनियम, लेपिडियम, क्रेपिस, मेंथा, जेरेनियम, बर्गनिया, सेनेसियो और मर्टेसिया	
गाँव में निजी क्षेत्र के पास कम चारा, ईंधन के पेड़।	1	विलो, पोपलर, छरमा, भोजपत्र, ट्रामा, थाप, सिया (जंगली गुलाब) उम्बू (मिरिकारिया), जूनिपर्स, रिब्स आदि।	पूरा समुदाय
मृदा एवं जल संरक्षण			
कंटूर लाइन के पास मिट्टी का कटाव और भूस्खलन	5	दीवारों की जांच करें, बांधों की जांच करें गेबियन तार संरचनाएं बायो इंजीनियरिंग कार्य।	पूरा समुदाय
जल तालाब निर्माण, बौरी मरम्मत	2	मौजूदा जल निकायों का नवीनीकरण, तालाब, डब्ल्यूएचएस आदि का निर्माण।	पूरा समुदाय
सामुदायिक विकास			

महिला मंडल भवन	6	महिला मंडल भवन का निर्माण	पूरा समुदाय
आजीविका में सुधार			
महिलाओं और अन्य युवा पीढ़ी के लिए आईजीए (आय सृजन गतिविधियों) का अभाव उप-समिति स्तर	3	व्यक्तिगत गतिविधियों के रूप मेंकटाई एवं सिलाई प्रशिक्षण की आवश्यकता। जैसा समूह गतिविधिहथकरघा/ रस्सी बुनाई और जड़ी-बूटियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता।	39 लाभार्थी है
अभिसरण के लिए विविध गतिविधियाँ			
बस्तियों तक पैदल पथ का निर्माण	7	समुदायों तक बेहतर पहुंच।	पूरा समुदाय
ईंधन की चारा लकड़ी, पौधे औषधीय और पौधे	1	आवश्यकताओं की में दिन प्रतिदिन स्थानीय पूर्ति करेगा.	पूरा समुदाय

खेती शिविर	4	ग्रामीणों को नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान की शिक्षा देंगे और विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।	पूरा समुदाय
बस्तियों तक पैदल पथ का निर्माण	7	समुदायों तक बेहतर पहुंच।	पूरा समुदाय

8.4 SWOT विश्लेषण उप-समिति

ताकत	कमजोरी
यूवा एवं ऊर्जावान समूह स्पष्ट दृष्टि को पर्यावरण & जलवायु परिवर्तन सभी समूहों का समान विभाजन लैंगिक समानता	कोई एसएचजी नहीं बना है परियोजना का सीमित ज्ञान जागरूकता की कमी (कृषि, बागवानी और पशुधन) शीत मरुस्थलीय क्षेत्र

सकारात्मक प्रतिक्रिया सिंचाई नकदी फसल के लिए पानी उपलब्ध भूमि को उर्वर बनाना	चारे की कमी लाइन विभाग के साथ समन्वय की कमी, स्वच्छता के संबंध में जागरूकता की कमी, काम के लिए कम अवधि
अवसर सीखने और क्रियान्वित करने की इच्छा अत्यधिक योग्य टीम जुड़े हुए साथ विकसित संचार तकनीकी व्यापक नेटवर्किंग साथ अलग एजेंसियां & सरकार विभाग. माल की फ़सल कृषि शिविरों का आयोजन करें सड़क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है इको टूरिज्म की अत्यधिक संभावनाएं	धमकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामुदायिक निष्कर्ष गर्मियों के दौरान समय की कमी ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र के कारण कम समयावधि चराई

8.5परियोजना अवधि के लिए विकास के उद्देश्य निर्धारित करना

वानिकी विकास के उद्देश्य

- Protection and conservation of forest Land
- Propagation forest shrub species
- Enhanced vegetative growth
- Enhanced forest cover
- Overall watershed development by introduction of moisture retention works, soil protection works

गाँव/समुदाय विकास के उद्देश्य

- Sustainable livelihood
- Reduction of pressure on forest resources
- Asset generation
- Convergence of various departments for overall development of the area
- Women empowerment

---

9. समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना

9.1 जैव विविधता क्या है?

जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की नींव है जिससे मानव कल्याण घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की कोई भी विशेषता इसकी सतहों और इसके समुद्रों पर रहने वाले जीवित जीवों की परत से अधिक जटिल, गतिशील और विविध नहीं है, और कोई भी विशेषता पृथ्वी की इस असाधारण, विलक्षण अद्‌वितीय विशेषता की तुलना में मनुष्यों के हाथों अधिक नाटकीय परिवर्तन का अनुभव नहीं कर रही है। जीवित जीवों की यह परत - जीवमंडल - अपने असंख्य पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सामूहिक चयापचय गतिविधियों के माध्यम से भौतिक और रासायनिक रूप से वायुमंडल, भूमंडल और जलमंडल को एक पर्यावरणीय प्रणाली में एकजुट करती है, जिसके भीतर मनुष्यों सहित लाखों प्रजातियां पनपती हैं। सांस लेने योग्य हवा, पीने योग्य पानी, उपजाऊ मिट्‌टी, उत्पादक भूमि, प्रचुर समुद्र, पृथ्वी के हालिया इतिहास की न्यायसंगत जलवायु और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं जीवन के कामकाज की अभिव्यक्ति हैं। यह इस बात का अनुसरण करता है कि इस बायोटा पर बड़े पैमाने पर मानव प्रभावों का मानव कल्याण पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इससे यह भी पता चलता है कि इन प्रभावों की प्रकृति, अच्छा या बुरा, प्रभावित करना मनुष्य की शक्ति में है।

वन जैविक विविधता एक व्यापक शब्द है जो वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी जीवन रूपों और उनके द्‌वारा निभाई जाने वाली पारिस्थितिक भूमिकाओं को संदर्भित करता है। जैविक रूप से विविध वनों में, यह जटिलता जीवों को लगातार बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बनाए रखने की अनुमति देती है।

वन जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं और वे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के लिए भी आवश्यक हैं जो मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि जैव विविधता वन पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान में योगदान देती है।

समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन (सीबीएम) क्या है?

समुदाय-आधारित जैव विविधता प्रबंधन (सीबीएम) समुदायों के साथ-साथ आम जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए जैव विविधता के प्रबंधन के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ-साथ स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाने का एक भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण, आमतौर पर इन-सीटू संरक्षण दृष्टिकोण द्वारा विकसित किया गया है और यह समुदाय स्तर के मुद्दों पर केंद्रित है, आजीविका संपत्तियों, समस्याओं का विश्लेषण करने और स्थानीय आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के संबंध में समाधान खोजने और लागू करने के लिए समुदायों की क्षमता को बढ़ाता है। जैव विविधता. यह स्थानीय संस्थानों और समुदायों को राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन प्रणाली में वैध और महत्वपूर्ण अभिनेताओं के रूप में मान्यता देता है और उनका समर्थन करता है, और जैव विविधता और विकास के व्यापक संदर्भ में इसकी भूमिका निभाता है। समुदायों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने आनुवंशिक संसाधनों पर सुरक्षित पहुंच और नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। दृष्टिकोण समुदाय-केंद्रित है, स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है और सामुदायिक जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण और उपयोग में स्थानीय शासन पर जोर देता है।

जैव विविधता में स्थानिक पैटर्न का दस्तावेजीकरण करना कठिन है क्योंकि वर्गीकरण, कार्यात्मक, पोषी, आनुवंशिक और जैव विविधता के अन्य आयामों को अपेक्षाकृत कम मात्रा में निर्धारित किया गया है।.यहां तक कि वर्गीकरण विविधता का ज्ञान, जैव विविधता का सबसे अच्छा ज्ञात आयाम, अधूरा है और प्रजातियों के स्तर, मेगा-जीव, समशीतोष्ण प्रणालियों और लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले घटकों के प्रति दृढ़ता से पक्षपाती है। इसके परिणामस्वरूप ज्ञान में महत्वपूर्ण अंतराल आता है, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय/समशीतोष्ण प्रणालियों, समुद्री और मीठे पानी के बायोटा, पौधों, अकशेरुकी जीवों, सूक्ष्मजीवों और भूमिगत बायोटा की स्थिति के संबंध में। इन कारणों से, पृथ्वी पर प्रजातियों की कुल संख्या का अनुमान 5 मिलियन से 30 मिलियन तक है। हालाँकि, वास्तविक वैश्विक प्रजाति समृद्धि के बावजूद, यह स्पष्ट है कि औपचारिक रूप से पहचानी गई 1.7-2 मिलियन प्रजातियाँ कुल प्रजाति समृद्धि का केवल एक छोटा सा हिस्सा दर्शाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए अधिक पूर्ण जैविक सूची की अत्यधिक आवश्यकता है।

9.2 समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना **(सीबीएमपी)**

समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया है जहां स्थानीय समुदाय केंद्र चरण में है जो अपने आस-पास के संसाधनों, इसके उपयोग की निगरानी करता है और सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक लाभ के लिए इसकी स्थिरता की योजना बनाता है।
इस प्रकार समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना के दो पहलू हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:

- समुदाय आधारित जैव विविधता निगरानी
- समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना

9.2.1 समुदाय आधारित जैव विविधता निगरानी

<u>गुणात्मक जैव विविधता निगरानी:</u>

समुदाय आधारित जैव विविधता की निगरानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से की जा सकती है। गुणात्मक निगरानी किसी निश्चित समयावधि में संसाधनों की उपलब्धता और उसके उपयोग पर सामुदायिक धारणाओं को दर्शाती है। यह लागत प्रभावी है और इसका उपयोग जैव विविधता निगरानी के अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमाणित करने के लिए किया जाना चाहिए।

अब तक, भौगोलिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने वाली PIHPFEM&L परियोजना के तहत, हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने चयनित 120 ग्राम पंचायतों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर अभ्यास का अनुप्रयोग शुरू किया है।[1]. पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) उचित सत्यापन के साथ स्थानीय ज्ञान के औपचारिक रखरखाव के लिए एक डिज़ाइन किया गया उपकरण है। पीबीआर किसी गांव या पंचायत में प्राकृतिक संसाधनों, पौधों और जानवरों, उनके उपयोग और संरक्षण के बारे में लोगों के ज्ञान, धारणा और दृष्टिकोण का रिकॉर्ड है। पीबीआर को पौधों और जानवरों की स्थिति और उनके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक तंत्र के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। यह तंत्र लोगों को विकास योजना में भाग लेने के लिए ला सकता है जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और सामाजिक रूप से उचित होगा।

[1]भारत में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका परियोजना पर प्रारंभिक सर्वेक्षण, ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट, फरवरी, *2018*।

पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जैव विविधता डेटा एकत्र करने और दस्तावेजीकरण करने का एक उपकरण है। स्थानीय समुदायों को इस प्रक्रिया में प्रमुख भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब समुदाय अपने रजिस्टर बनाए रखेंगे, तो इससे इस प्राकृतिक संसाधन आधार के अधिक संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के बावजूद, जो समुदायों को उचित अधिकार प्रदान करता है, इसे पूरी तरह से व्यवहार में नहीं लाया गया है।

हिमाचल प्रदेश में तैयार किए गए पीबीआर के आगे के विश्लेषण में निम्नलिखित कमियां हैं:

- PIHPFEM&L के परियोजना क्षेत्रों के लिए अधिकांश PBR पूरे नहीं हुए हैं
- जो कुछ भी तैयार किया गया है वह अभी भी मसौदा चरण में है और इसे पूरा होने में कम से कम 6 महीने से अधिक समय लगेगा।
- अधिकांश पीबीआर में, दर्ज की गई प्रजातियाँ काफी हद तक "कोई खतरा नहीं" के साथ पाई जाती हैं
- कुछ प्रारूप पूर्णतः या आंशिक रूप से भरे नहीं गए हैं
- कुछ प्रारूप अस्पष्ट या मोटे तौर पर भरे हुए हैं और उन प्रारूपों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जिनके लिए यह बनाया गया है
- हालाँकि लक्षित ग्राम पंचायतों में कई प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, फिर भी कई प्रजातियाँ बची हुई हैं और पीबीआर में शामिल नहीं हैं
- पीबीआर की तैयारी के दौरान कोई भागीदारी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और यह पाया गया है कि यह समुदाय का नहीं, बल्कि कुछ व्यक्तियों का प्रतिक्रिया रिकॉर्ड है।*per se*
- कुछ प्रजातियों को "दुर्लभ" या "घटती" के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन जैव विविधता पर क्षेत्र स्तरीय संवाद से कुछ और ही पता चलता है।

इस प्रकार स्थानीय वन जैव विविधता पर गुणात्मक संकेतकों को प्रमाणित करने के लिए सरल, वैज्ञानिक और भागीदारी तरीके के माध्यम से स्थानीय वन जैव विविधता की मात्रा निर्धारित करना भी उतना ही प्रासंगिक है। यह सहभागी वनस्पति निगरानी के माध्यम से किया जाता है जहां ग्रामीण वन जैव विविधता प्रबंधन में बेहतर निर्णय लेने के लिए सरल मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करते हैं।

मात्रात्मक जैव विविधता निगरानी: सहभागी वन निगरानी

सहभागी वन निगरानी (पीएफएम) एक सतत प्रक्रिया है जहां स्थानीय वन उपयोगकर्ता व्यवस्थित रूप से अपने जंगल के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं, उस पर विचार करते हैं और जो सीखते हैं उसके जवाब में प्रबंधन कार्रवाई करते हैं। समुदाय-आधारित वन प्रबंधन के लिए सहभागी वन निगरानी (पीएफएम) हिमाचल प्रदेश में ग्राम वन विकास समितियों (वीएफडीसी) को उनके वनों की योजना और प्रबंधन के लिए समर्थन देता है। पीएफएम की योजना स्थानीय सामुदायिक स्तर पर वन संसाधनों की भागीदारीपूर्ण निगरानी विकसित करने की थी, जिसमें स्थानीय संस्थानों (वीएफडीसी) और एचपीएफडी जैसे अन्य हितधारक समूहों को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी।[2] कर्मचारी, परियोजना कर्मचारी[3], एनजीओ[4]यदि कोई हो, तो संसाधनों की पहचान, संसाधनों के उपयोग और पुनर्जनन की योजना और वनों के अनुकूली प्रबंधन में युवा क्लब, इको क्लब आदि शामिल हैं। पीएफएम का मूल उद्देश्य जन केंद्रित निगरानी प्रणाली विकसित करना है, जिसमें स्थानीय लोगों को आसपास के संसाधनों की बेहतर समझ हो, इसके बाद स्थिति का आकलन कर उनके सतत उपयोग की योजना बनाई जाए।.

सहभागी वन निगरानी की प्रक्रिया:

संसाधन मानचित्र तैयार करना:
चूंकि जैव विविधता निगरानी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के माध्यम से तैयार किए गए माइक्रोप्लान का एक खंड है जिसमें सामाजिक और संसाधन मानचित्रण को भी एकीकृत किया गया है। संसाधन मानचित्रण में सामुदायिक वनों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के नामकरण के साथ वन मानचित्रण भी शामिल था। ये वन क्षेत्र नमूने के लिए विभिन्न स्तरों के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों के नमूना भूखंडों के माध्यम से वन वनस्पति का नमूना लिया गया।

वन वनस्पति का नमूनाकरण:

[2]हिमाचल प्रदेश वन विभाग

[3] हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना *(JICA समर्थित)*

[4]गैर सरकारी संगठन

पीएफएम का पारिस्थितिक डेटा संग्रह मूल रूप से समुदाय द्वारा वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के कारण वनस्पति की स्थिति में परिवर्तन को समझने के लिए है। जिन विभिन्न मापदंडों पर ध्यान दिया जा सकता है वे हैं स्थायी बायोमास, बायोमास विकास दर, कटाई योग्य लकड़ी की मात्रा, प्रजातियों की विविधता, प्रजातियों का घनत्व, जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ प्रजातियों की पुनर्जनन स्थिति, और अवैध कटाई, कीट और बीमारियों और अस्तित्व के माध्यम से गड़बड़ी का स्तर। दरें।

झाड़ियां:झाड़ीदार भूखंडों में बारहमासी झाड़ीदार प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक है। झाड़ीदार भूखंड आम तौर पर पेड़ के भूखंडों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, लेकिन झाड़ियों और छोटे पेड़ों की संभावित विविधता को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या पेड़ के भूखंडों से कम से कम दोगुनी हो सकती है। झाड़ीदार भूखंड वृक्ष भूखंडों के अंदर दो प्रति वृक्ष भूखंड की दर से स्थित होते हैं। झाड़ी प्लॉट संख्या दो प्रति पेड़ क्वाड्रैट हो सकती है और आकार 5 मीटर X 5 मीटर हो सकता है।
जड़ी-बूटियाँ और घास:वार्षिक जड़ी-बूटियों विशेषकर औषधीय गुणों और घास बायोमास उत्पादन का अनुमान क्वाड्रेट बिछाकर लगाया जा सकता है। आम तौर पर, जड़ी-बूटी परत वाले भूखंडों का आकार 1 X 1 मीटर होगा और संख्या झाड़ीदार भूखंडों से कम से कम दोगुनी होगी। रिकॉर्ड किए जाने वाले पैरामीटर में शामिल हैं; प्रजातियों का नाम, पौधों की संख्या और प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से नष्ट या परेशान जड़ी-बूटियों/घास की संख्या।

9.2.2 कोमिक बीएमसी उप-समिति क्षेत्र के भीतर समुदाय आधारित जैव विविधता निगरानी पर गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा पर डेटा

<u>गुणात्मक तथ्य</u>
पीबीआर सूचना के आधार पर वनस्पतियों और जीवों पर निम्नलिखित स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वनस्पतियों और जीवों की ये स्थितियाँ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित हैं - XXX नीचे:

तालिका-**9.2.2** जन जैव विविधता रजिस्टर के आधार पर पहचाने गए मुद्दे[5]

क्रमांक	प्रमुख वस्तु	उप आइटम	वैज्ञानिक नाम सहित वस्तु का नाम	समस्याएँ
	कृषि-जैव विविधता	कृषि (फसल विविधता)	जौ (हर्डियम वल्गारे)	उपस्थित
			मटर	उपस्थित
			आलू (सोलनम ट्यूबरोसम)	उपस्थित
	जंगली जैव विविधता	पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ, लताएँ, कंद, घास आदि		
			अबेलिया ट्राइफ्लोरा	उपस्थित
			लोनीसेरा अन्गुस्टिफोलिया	उपस्थित
			एंड्राक्ने कॉर्डिफ़ोलिया	उपस्थित
			लोनीसेरा एस्पेरिफोलिया	उपस्थित
			एस्ट्रैगलस कैंडोलियानस	उपस्थित
			हनीसकल प्लेट	उपस्थित
			एस्ट्रैगलस राइज़ैन्थस	उपस्थित
			लोनीसेरा डिसकलर बर्बेरिस अरिस्टाटा	उपस्थित
			लोनीसेरा गोवानियाना	उपस्थित
			बर्बेरिस सेराटोफिला	उपस्थित

[5] उप-राज्य स्थल जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (लाहौल और स्पीति और किन्नौर) जनजातीय विकास विभाग, एच.पी. सचिवालय, शिमला-2 एवं राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, 34 एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-9

			लोनीसेरा हेटरोफिला	उपस्थित
			बर्बेरिस चिट्रिया	उपस्थित
			लोनीसेरा हिस्पिडा	उपस्थित
			बर्बर लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं	उपस्थित
			लोनीसेरा हाइपोलुका	उपस्थित
			बर्बेरिस जैशकीना	उपस्थित
			लोनीसेरा मायर्टिलस	उपस्थित
			बर्बेरिस कुनावुरेन्सिस	उपस्थित
			लोनीसेरा ओबोवाटा	उपस्थित
			बर्बेरिस लिशियम	उपस्थित
			लिनिकेरापारविफोलिया	उपस्थित
			बर्बेरिस पच्यकांथा	उपस्थित
			लोनीसेराक्विनक्वेलोकुलरिस	उपस्थित
			बर्बेरिस पेटियोलारिस	उपस्थित
			स्पाइनी लोनीसिएरा	उपस्थित
			बर्बेरिस अम्बेलटाटा	उपस्थित
			लोनीसेरावेबियाना	उपस्थित
			बोसियाअम्हर्स्टियाना	उपस्थित
			Myricariaelegana	उपस्थित
			बुडलिया पैनिकुलता	उपस्थित
			मायरिकेरिया जर्मेनिका	उपस्थित
			हिमालयन केपर्स	उपस्थित
			Myrsineafricana	उपस्थित
			कांटेदार केपर्स	उपस्थित
			ओस्बेकिया स्टेलटाटा	उपस्थित
			कैरगाना ब्रेविस्पिना	उपस्थित
			पेरिप्लोका कैलोफिला	उपस्थित
			कैरगाना जेरार्डियाना	उपस्थित
			Plectranthusrugosus	उपस्थित

			कैरगाना वर्सिकलर	उपस्थित

			पोटेंटिला फ्रुटिकोसा	उपस्थित
				उपस्थित
			कोलुटिया मल्टीफ़्लोरा	उपस्थित
			एक उपयोगी सिद्धांत	उपस्थित
			कोल्यूटेनेपेलेंसिस	उपस्थित
			प्रूनस जैक्वेमोंटी	उपस्थित
			कॉटनएस्टर ने इशारा किया	उपस्थित
			राम्नुआप्रोस्ट्रेटा	उपस्थित
			कॉटनएस्टर रसिया	उपस्थित
			सिंदूरी लाल	उपस्थित
			Cotneasterthamsoni	उपस्थित
			राम्नस ट्राइकेटर	उपस्थित
			कॉटनएस्टर बैसिलरिस	उपस्थित
			राम्नुस मुड़ा	उपस्थित
			कोटोनिएस्टर डुथिएनस	उपस्थित
			रोडोडेंड्रोन एंथोपोगोन	उपस्थित
			कोटोनएस्टर फाल्कोनेरी	उपस्थित
			रोडोडेंड्रोन कैंपानुलैटम	उपस्थित
			कॉटनएस्टर गिलगिटैंसिस	उपस्थित
			रोडोडेंड्रोन लेपिडोटम	उपस्थित
			कॉटनएस्टर माइक्रोफिला	उपस्थित
			रस कोटिनस	उपस्थित
			कोटोनएस्टर न्यूमुलेरिया	उपस्थित
			रस पंजाबेंसिस	उपस्थित
			कॉटनएस्टर ओबोवेटस	उपस्थित
			पसलियों का हिमनद	उपस्थित
			otoneasterobtusus	उपस्थित
			पसली ग्रासुलेरिया	उपस्थित

			कॉटनएस्टर प्रुइनोसस	उपस्थित
			पसली नाइग्रम	उपस्थित

			क्रैटेगस सोनारिका	उपस्थित
			रिब्स ओरिएंटेल	उपस्थित
			डाफ्ने म्यूक्रोनाटा	उपस्थित
			पसलियां रिब्रम	उपस्थित
			Desmodium	उपस्थित
			रोजा ब्रूनोनिया	उपस्थित
			डेस्मोडियम फ्लोरिबंडम	उपस्थित
			गुलाब एग्लैंटेरिया	उपस्थित
			डेस्मोडियम नैटन्स	उपस्थित
			रोज़ा मैक्रोफ़ला	उपस्थित
			डेस्मोडियमऑक्सफ़िलम	उपस्थित
			रोजा माइनर	उपस्थित
			डेस्मोडियम पोडोकार्पम	उपस्थित
			रोज़ा वेबबियाना	उपस्थित
			डेस्मोडियम स्यूडो - ट्राइक्वेस्ट्रा	उपस्थित
			रूबस बाइफ्लोरस	उपस्थित
			डेस्मोडियमटिलाफोलियम	उपस्थित
			रूबस बाइफ्लोरस	उपस्थित
			ड्यूट्ज़िया कोरिंबोसा	उपस्थित
			रूबस एलिप्टिकस	उपस्थित
			Deutzia सहनशक्ति	उपस्थित
			रूबस लैसिओकार्पस	उपस्थित
			एलेग्नस पार्फिफ्लोरा	उपस्थित
			एक बैंगनी झाड़ी	उपस्थित
			एलेग्नस छाते	उपस्थित
			कैम्पैनुला बुद्धिमान	उपस्थित
			एल्शोलज़ियापोलिस्टाच्या	उपस्थित

			एक भालेदार विलो	उपस्थित
			एफेड्रा जेरार्डियाना	उपस्थित
			सैलिक्स लिंडलेयाना	उपस्थित

			यूओनिमस इचिनाटस	उपस्थित
			सैलिक्स ऑक्सीकार्पा	उपस्थित
			युओनिमस झालरदार	उपस्थित
			सैलिक्स पाइकोनोस्टैच्या	उपस्थित
			यूओनिमस मोनबेइगी	उपस्थित
			स्किमियालौरोला	उपस्थित
			यूओनिमस टिंगेंस	उपस्थित
			Sorbariatementosa	उपस्थित
			फ़िकस फ़ोवोलाटा	उपस्थित
			सोरबस एक्यूपेनिया	उपस्थित
			गॉल्थेरिया ट्राइकोफिला	उपस्थित
			सोरबस लनाटा	उपस्थित
			हैमिल्टनियासुवेओलेंस	उपस्थित
			सोरबस उर्सिन	उपस्थित
			हिप्पोफेरहैमनोइड्स	उपस्थित
			स्पिरिया कैनेसेंस	उपस्थित
			हिप्पोपेसैलिसिफ़ोलिया	उपस्थित
			स्पिरिया सोरबिफ्लोलिया	उपस्थित
			जलहस्ती	उपस्थित
			स्टैफ़ाइलीमोडी	उपस्थित
			हाइड्रोजीएनोमल	उपस्थित
			स्ट्रोबिलैन्थेसलाटस	उपस्थित
			हाइपरिकस सेर्नम	उपस्थित
			स्ट्रोबिलैंथेसैट्रोपुरपुरेन्स	उपस्थित
			हाइपरिकम	उपस्थित
			स्ट्रोबिलैंथेस्डलहाउसियानस	उपस्थित

			इन्कारविलिया व्यंग्यात्मक	उपस्थित
			स्ट्रोबिलैन्थेसग्लुटिनोसु एस	उपस्थित
			इंडिगोफेरा जेरार्डियाना	उपस्थित
			स्ट्रोबिलैंथेस्वालिचि	उपस्थित

			इंडिगोफेरा हेटेरन्था	उपस्थित
			Symplocoscrataegoides	उपस्थित
			कोई हूड नहीं	उपस्थित
			सिरिंज इमोडी	उपस्थित
			इनुला थूक	उपस्थित
			टैमरिकारिया एलिगेंस	उपस्थित
			विनम्र चमेली	उपस्थित
			तुम सीमा पार कर जाओगे	उपस्थित
			चमेली ऑफिसिनाले	उपस्थित
			विबर्नम कोटिनिफोलियम	उपस्थित
			जुनिपरस स्यूडो -सबीना	उपस्थित
			नर्वस वाइबर्नम	उपस्थित
			जुनिपरस रिकर्व	उपस्थित
			तारों वाला वाइबर्नम	उपस्थित
			.लेप्टोडर्म लांसोलाटा	उपस्थित
			सफेद मिस्टलेटो (पेड़ों पर एपिफाइट)	उपस्थित
			लेस्पेडेज़ा एरीओकार्पा	उपस्थित
			विकस्ट्रोमियाकैनेसेन एस	उपस्थित
			लोनीसेरा एल्पिजेन	उपस्थित
	औषधीय	औषधीय पौधे		
			कैरोलिनियन लहसुन	उपस्थित
			ए. जैक्वेमोंटी	उपस्थित
			अर्नेबियाउक्रोमा	उपस्थित
			अचिलिया मिलेफोलियम	उपस्थित

			आर्टेमिसिया ब्रेविफोलिया	उपस्थित
			बर्गनिया स्ट्रेची	उपस्थित
			जैक्वोमोंटि बिर्च	उपस्थित
			मैं तुमसे प्यार करता था प्रिय	उपस्थित
			कोरीडालिस गोवनियाना	उपस्थित

			Dactylorrizahatagirea	उपस्थित
			एफेड्रा जेरार्डियाना	उपस्थित
			जेंटियाना कुरू	उपस्थित
			जेंटानेलमूरक्रॉफ्टियाना	उपस्थित
			कोलचिकमलुटियम	उपस्थित
			हायोसायमुस्निगर	उपस्थित
			हेराक्लीज़ की स्थापना	उपस्थित
			हाईसॉप ऑफिसिनैलिस	उपस्थित
			सामान्य जुनिपर	उपस्थित
			जुनिपरस मैक्रोपोडा	उपस्थित
			मालवा रोटुन्डिफोलिया	उपस्थित
			ओनोमाहिपिडम	उपस्थित
			टैराक्सैकम ऑफिसिनेल	उपस्थित
	जंगली जानवर	स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीड़े, अन्य)		
			आईबेक्स (कैप्रा आईबेक्स साइबेरिका)	उपस्थित
			बर्फ तेंदुआ (पैंथेरा यूनिका)	उपस्थित

			हिमालयन ब्लू शीप (स्यूडोइस नहयूर)	उपस्थित
			तिब्बती भेड़िया (कैनिस्लापस)	उपस्थित
			रेड फॉक्स (वुल्पस वाल्पस)	उपस्थित

			ऊनी खरगोश	उपस्थित
			हिमालयन चॉ (फ़िरहोकोरैक्सग्राकुमस)	उपस्थित
	पक्षियों		बर्फ कबूतर (कोलंबिया रुपेस्ट्रिस)	उपस्थित
			बर्फ मुर्गा (टेट्रागैलुशिमाल्यैंसिस)	उपस्थित
			गिद्ध (नेफ्रॉन पर्सनोप्टेरस)	उपस्थित
			बतख (अवथ्वा फ़ेरिना)	उपस्थित
			मुर्गाबी (अनस क्रेक्का)	उपस्थित
			हिमालयी कौवा (कोरवस तिब्बतियाना)	उपस्थित
			पाइक (ओचोटोना रोवलेई)	उपस्थित
			काला कौआ (कोरवस कोरैक्स)	उपस्थित
			स्वर्ण ईगल (एक्विला क्रिसेटोस)	उपस्थित

			ग्रिफ़न *(*जिप्स हिमालयनसिस*)*	उपस्थित
			लाल प्रारंभ *(*फोनीकुरसोरक्रूरोस*)*	उपस्थित
			हूपेचकोर *(*एल्पालेक्टोरिस *chakor)*	उपस्थित
			डव हिमालयन फिंच *(*कार्डुएलिस*)*।	उपस्थित

			कार्ड द्वंद्व*)*	

<u>गुणात्मक तथ्य</u>

पीबीआर और संबंधित उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि तीन प्रमुख कृषि फसल प्रकार हैं जैसे मटर, जौ और आलू के पौधों के संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 149 जंगली पौधों की जैव विविधता में झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ, बेल, कंद और घास शामिल हैं, इसी तरह जंगली जानवरों की 7 प्रजातियाँ और पक्षियों की 13 प्रजातियाँ बीएमसी उप-समिति क्षेत्रों में मौजूद हैं।

इन पौधों और जानवरों पर प्रबंधन के दायरे में बीएमसी उप-समिति के सदस्यों, महिला सदस्यों (जो प्रमुख वन उपयोगकर्ता हैं) और सामान्य रूप से जनता सहित ग्रामीणों के साथ उनकी आबादी में सुधार पर उनकी धारणा और विकल्पों पर चर्चा की गई। जनसंख्या वृद्धि के चिन्हित क्षेत्रों का वर्णन तालिका में किया गया है -

नीचे 9.2.2.

<u>मात्रात्मक डेटा</u>

- पैच में प्रजातियों की विविधता बहुत कम है।
- पेड़ नदारद हैं
- झाड़ियों का घनत्व प्रभावी है, लेकिन बिखरे हुए रूप में पाया जाता है।
- झाड़ियों पर मानवजनित दबाव काफी अधिक है। वनों पर समुदाय की निर्भरता और हिमाचल प्रदेश वन विभाग की बेहतर निगरानी के परिणामस्वरूप यह एक तथ्य हो सकता है।
- खुली छतरी के कारण झाड़ी और जड़ी-बूटियों की प्रजातियों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता

है।

- वनस्पति का छत्र मुख्यतः खुली श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है।
- स्वाभाविक रूप से प्रजातियों में सफल प्रतिष्ठानों की कमी होती है और इसलिए उन्हें बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है।

9.2.4 कोमिकबीएमसी उप-समिति क्षेत्र के भीतर समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन पर योजना

<u>सहभागी वनस्पति निगरानी के संदर्भ में अंतराल वृक्षारोपण:</u>

अनेक वृक्ष प्रजातियों को उपयुक्त बनाकर अपमानित क्षेत्रों का वृक्षारोपण:

- अनेक प्रजातियों का वृक्षारोपण एक आवश्यकता है
- विभिन्न योजनाओं के तहत वनीकरण/संवर्धन वृक्षारोपण को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। विभिन्न भूमि संबंधी हताहतों के संदर्भ में कम से कम 1100 पौधे/हेक्टेयर मॉडल लगाने की सलाह दी जाएगी।
- प्राकृतिक पुनर्जनन अपर्याप्त होने के कारण रोपित प्रजातियों का वृक्षारोपण और रखरखाव नितांत आवश्यक है।
- पेड़ों के बीच के अंतर में झाड़ीदार प्रजातियों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण झाड़ीदार प्रजातियों के साथ लगाया जा सकता है।

हस्तक्षेप क्षेत्रों/उपचार भूखंडों पर डेटा और मानचित्र

गणना के लिए लागू लागत मानदंड वन विभाग द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार हैं। पौधे, गड्ढे का आकार वन विभाग और परियोजना दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित और अनुमोदित मॉडल के अनुसार है। टीम द्वारा बार-बार जंगलों का दौरा किया गया है और साइट की स्थितियों के अनुसार उपचार भूखंड निर्धारित किए गए हैं। इस उप समिति क्षेत्र में नाला उपचार, मृदा संरक्षण कार्य लागू हैं। स्थानीय गाजियों द्वारा काफी अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है, एक भूखंड के साथ पैच बुआई भी निर्धारित की गई है। स्थानीय परिस्थितियों के साथ-साथ जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए बाड़ लगाने वाले हिस्से का गंभीर विश्लेषण किया गया है और तदनुसार निर्धारित किया गया है। कुल 6 हेक्टेयर सामुदायिक भूमि की पहचान की गई है।

तालिका 2: उप-समिति का प्लॉटवार विवरण

एस। नहीं	प्लॉट का नाम	प्लॉट नंबर	क्षेत्र	अक्षांश देशांतर	पीएफएम तरीका	एफडी मोड
1	कॉमिक वार्ड	1	6	32° 13' 54॥ 78 °06' 53॥	हाँ	---

<u>पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) के संदर्भ में जैव विविधता प्रबंधन:</u>

पीबीआर अभ्यास के तहत पहचानी गई कमजोर प्रजातियों पर बीएमसी उप-समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई और संभावित प्रबंधन रणनीतियों का पता लगाया गया। (संदर्भ:उप-राज्य स्थल जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (लाहौल एवं

स्पीति और किन्नौर*)* जनजातीय विकास विभाग, हि.प्र. सचिवालय, शिमला-***2*** एवं राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, ***34*** एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-***9)***

क्र.सं.	श्रेणियाँ	वैज्ञानिक नाम सहित वस्तु का नाम	पीबीआर के अनुसार स्थिति	बीएमसी उप-समिति द्वारा निर्धारित प्रबंधन सदस्यों
	कृषि (फसल विविधता)	शायद	उपस्थित	सरकार की ओर से बीज उपलब्ध कराना सूत्रों का कहना है
		जौ	उपस्थित	सरकार की ओर से बीज उपलब्ध कराना सूत्रों का कहना है
		आलू	उपस्थित	सरकार की ओर से बीज उपलब्ध कराना सूत्रों का कहना है
	बागवानी	वह	वह	
	औषधीय पौधे			
		कैरोलिनियन लहसुनलाओट, जंगली, लहसुम/कोंचे, फरना	अतीत - अब अधिक - कम	सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन क्षेत्रों का संरक्षण

				वनाग्नि से वनों की सुरक्षा चराई के दबाव से वनों का निषेध
		ए. जैक्वेमोंटी/खमेत, रतन जोत	अतीत - अब अधिक - कम	सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन क्षेत्रों का संरक्षण वनाग्नि से वनों की सुरक्षा चराई के दबाव से वनों का निषेध
		अर्नेबियाउक्रोमा/खमेत, रतन जोत	अतीत - अब अधिक - कम	सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन क्षेत्रों का संरक्षण वनाग्नि से वनों की सुरक्षा वनों का निषेध

				चराई का दबाव
		अचिलिया मिलेफोलियम/गंडाना, मिलफ़ोइल/	अतीत - अब अधिक - कम	सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन क्षेत्रों का संरक्षण
		आर्टेमिसिया ब्रेविफोलिया/ नर्चा, सेंकी	अतीत - अब और अधिक - कम	वनाग्नि से वनों की सुरक्षा
		बर्गनिया स्ट्रेची/गतिक्पा, पाषाणभेद	अतीत - अब और अधिक - कम	जंगलों में चराई पर रोक दबाव

		सामान्य जुनिपरहाउबर, धुप्पी	अतीत - अब अधिक - कम	सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन क्षेत्रों का संरक्षण वनाग्नि से वनों की सुरक्षा चराई के दबाव से वनों का निषेध
		टराक्सेकम/खुरमांग डैंडेलियन	अतीत - और अधिक	इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है

			अब - सामा न्य	वन क्षेत्र
	पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ, लताएँ, कंद, घास आदि			

		रोजा मैक्रोफिला(जंगली गुलाब),	अतीत - अब और - सामा न्य	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती इसके प्रसार के लिए जल स्रोतों का प्रावधान करना
		Hippophae	अतीत - अब और अधि क - सामान्य	नर्सरी का प्रावधान
		मायरिकेरिया	अतीत - अब और अधि क - कम	साइट परखेती
		विलो फंतासी	अतीत - अब और अधि क - कम	नर्सरी का प्रावधान
		जुनिपरस रिकर्व	अतीत - और अधिक	जल स्रोतों का प्रावधान

			अब - कम	इसके प्रचार-प्रसार के लिए

		रिब्स ओरिएंटेल	अतीत - अब और अधिक - कम	इसके लिए जल स्रोतों की व्यवस्था करना प्रचार
		कोल्यूटेनेपेलेंसिस	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती
		एफेड्रा जेरार्डियाना	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती
		कॉटनएस्टर माइक्रोफिला	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती इसके प्रसार के लिए जल स्रोतों का प्रावधान करना
		कैरगाना ब्रेविफोलिया *(ट्रामा)*।	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती जल स्रोतों का प्रावधान

				इसके प्रचार-प्रसार के लिए
		कैरगाना	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती इसके प्रसार के लिए जल स्रोतों का प्रावधान करना
		एस्ट्रैगलस,	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती
		Artemisia	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती इसके प्रसार के लिए जल स्रोतों का प्रावधान करना
		चचेरी बहन	अतीत - अब अधिक - कम	नर्सरी का प्रावधान साइट पर खेती
		हायोसायमस नाइजर	अतीत - और अधिक	नर्सरी का प्रावधान

			अब - कम	साइट पर खेती इसके प्रसार के लिए जल स्रोतों का प्रावधान करना
	स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीड़े, अन्य)			
		आईबेक्स (कैप्रा आईबेक्स साइबेरिका)	अतीत - अब बहुत - दुर्लभ	की रोकथाम शिकार करना संरक्षण में मजबूत सामुदायिक भागीदारी
		बर्फ तेंदुआ (पेंथेरा यूनिका)	अतीत - अब बहुत - बहुत	शिकार की रोकथाम
		हिमालयन ब्लू शीप (स्यूडोइस नहयूर)	अतीत - अब बहुत - बहुत	जंगल में मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है
		तिब्बती भेड़िया (कैनिस्लापस)	अतीत - खूब	मजबूत समुदाय

			अब - दुर्लभ	संरक्षण में भागीदारी
		रेड फॉक्स (वुल्पस वाल्पस)	अतीत - अब बहुत - दुर्लभ	शिकार की रोकथाम
		ऊनी खरगोश	अतीत - अब बहुत - दुर्लभ	जंगल में मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है
		हिमालयन चॉ (फ़िरहोकोरैक्सग्राकुमस)	अतीत - अब बहुत - दुर्लभ	मजबूत सामुदायिक भागीदारी सुरक्षा में
	पक्षियों	बर्फ कबूतर (कोलंबिया रुपेस्ट्रिस)	अतीत - अब बहुत - बहुत	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		बर्फ मुर्गा (टेट्रागैलुशिमाल्यैंसिस)	अतीत - अब बहुत - बहुत	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		गिद्ध (नेफ्रॉन पर्सनोप्टेरस)	अतीत - बहुत	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		बतख (अवथ्वा फ़ेरिना)	अब - दुर्लभ	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है

		मुर्गाबी (अनस	अतीत -	में संरक्षण

		दरार)	बहुत	जंगली की आवश्यकता है
		हिमालयी कौवा (कोरवस तिब्बतियाना)	अतीत - अब बहुत - बहुत	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		पाइक (ओचोटोना रोवलेई)	अतीत - अब बहुत - बहुत	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		काला कौआ (कोरवस कोरैक्स)	अतीत - अब बहुत - बहुत	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		स्वर्ण ईगल (एक्विला क्रिसेटोस)	अतीत - खूब	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		ग्रिफ़न (जिप्स हिमालयनसिस)	अब - दुर्लभ	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		लाल प्रारंभ (फोनीकुरसोरक्रूरोस)	अतीत - खूब	जंगल में सुरक्षा है आवश्यक
		चकोर (एल्पालेक्टोरिस चकोर)	अतीत - खूब	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है
		हिमालयन फिंच (कार्डुएलिस कार्डडुएलिस)	अतीत - खूब	जंगल में सुरक्षा की आवश्यकता है

प्रबंधन रणनीतियाँ मैट्रिक्स:

एआर/एएनआर के माध्यम से अंतराल वृक्षारोपण (सहभागी वन के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया)। निगरानी)	पीबीआर के संदर्भ में वनस्पति प्रबंधन	पीबीआर के संदर्भ में जीव-जंतु प्रबंधन
एआर/एएनआर के माध्यम से बंजर भूमि पर वृक्षारोपण[6] न्यूनतम: 4 हेक्टेयर @ 200 पौधे/हेक्टेयर इंच	कृषि: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि बीजों की आपूर्ति: • जौ (सामान्य जौ)-कुल 125 किग्रा प्रति/हेक्टेयर मटर (मटर सैटिवम) कुल 100.58 किग्रा/हे • आलू (सोलनम ट्रफ़ल्स20 किग्रा/हे	वन्य जीवन संरक्षण:हालाँकि समुदाय के सदस्यों से प्रजाति-वार प्रबंधन प्रथाएँ प्राप्त नहीं की जा सकीं, फिर भी व्यापक और समग्र संरक्षण के तौर-तरीके निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे: • शिकार की रोकथाम • जंगल में मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है • संरक्षण में मजबूत सामुदायिक भागीदारी इसके जरिए हासिल किया जा सकता है सामुदायिक गतिशीलता और उनकी भागीदारी वन्य जीवन की सुरक्षा में.
वांछित:	का प्रावधान: • रतन जोत एवं जुगलीप्याज की खेती	

9.3 जनरल हाउस द्वारा सीबीएमपी एवं अन्य गतिविधियों का अनुमोदन:-

जैव-विविधता उप-समिति द्वारा सीबीएमपी की मंजूरी/अनुमोदन:

10 को कॉमिक में सब-कमेटी कॉमिक की जनरल हाउस मीटिंग आयोजित की गई$^{वां}$ अक्टूबर, 2021 और 12$^{वां}$ अक्टूबर, 2021. बैठक में उप-समिति के सदस्यों ने भाग लिया। (सूची कार्यवाही रजिस्टर में संलग्न है)। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया:

माइक्रो प्लानिंग टीम आरएफओ डब्ल्यूएल रेंज काजा, बीओ और फॉरेस्ट गार्ड ने उप-समिति कॉमिक फॉरेस्ट के ड्राफ्ट सीबीएमपी में शामिल विभिन्न हस्तक्षेपों पर विस्तार से चर्चा की। बस्तियों (कोमिक, लैंगचा, कोमिक) के सदस्यों ने कहा कि बस्तियों के पास के क्षेत्र के साथ-साथ प्रवासी चरवाहों के चरागाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बाड़ लगाने की आवश्यकता है। सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि संवेदनशील बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा और कांटेदार तार की बाड़ लगाने की सिफारिश की जाएगी ताकि वृक्षारोपण क्षेत्रों में चराई की घटनाएं कम से कम हों। सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे अपने घरेलू मवेशियों को बिना परिचारक के खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, जिससे बंद क्षेत्रों में रोपे गए पौधों को नुकसान हो सकता है। पहचाने गए भूखंडों पर विस्तार से चर्चा की गई और दो उपयोगकर्ता समूहों को सौंपा गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों ने प्रत्येक प्रजाति के लिए उठाए जाने वाले आइटम आधारित संरक्षण उपायों का सुझाव दिया। पीएफएम मोड एवं एफडी मोड में किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। उप-समिति द्वारा लगाये गये सभी वृक्षारोपण का संरक्षण उप-समिति द्वारा किया जायेगा। एफडी द्वारा तकनीकी कार्य, चिनाई/गेबियन चेक डैम, जल संचयन संरचनाएं बनाई जाएंगी। बायोइंजीनियरिंग संरचनाएं, छोटी नदियों पर सूखे पत्थर के चेक बांध, चिनाई वाले तालाब आदि का काम ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा।

चित्र-**6:** सर्वसम्मति भवन पर जनरल हाउस की बैठक

9. 4 समझौता ज्ञापन (एमओयू)**:**

हिन्दी/स्थानीय भाषा में अनुवादित समझौता ज्ञापन (अंग्रेजी संस्करण) को उपस्थित सभी लोगों को पढ़कर सुनाया गया। सामुदायिक योगदान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और समुदाय के सदस्यों ने निम्नलिखित रूपों में अपने योगदान का सुझाव दिया:

तस्वीर-**:** सर्वसम्मति भवन पर जनरल हाउस की बैठक

- सभी उपयोगकर्ता समूह सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि वे उप-समिति सदस्यता लाभार्थी का हिस्सा उप-समिति खाते में योगदान देंगे।

- सभी सदस्यों ने परियोजना गतिविधियों में अपने योगदान के लिए सहमति व्यक्त की, और रुपये की सदस्यता शुल्क का योगदान करने का निर्णय लिया। 200. इसका भुगतान सिर्फ एक बार करना होगा. राशि को उप-समिति के खाते में रखा जाएगा और यदि उप-समिति के सदस्य चाहें तो इसे अन्य विभागों के साथ या परियोजना के साथ कोई अन्य विकास कार्य करने के लिए सामुदायिक हिस्सेदारी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा वे परियोजना के पूरा होने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीणों को कार्यों में स्वामित्व की भावना महसूस होनी चाहिए और इसके अलावा, उन्हें परियोजना के पूरा होने के बाद भी कई वर्षों तक वन क्षेत्र/परिसंपत्तियों का रखरखाव और सुरक्षा करनी होगी।

- माइक्रो प्लान को आखिरकार 10 तारीख को बीएमसी उप-समिति के जनरल हाउस द्वारा अनुमोदित किया गयावां. अक्टूबर, 2021 (कार्यवाही रजिस्टर में विवरण लिखा गया) और 12 को आगे संशोधित किया गयाअनुसूचित जनजातिअक्टूबर 2021.

- दिनांक 12.11.2021 को उप समिति के अध्यक्ष और डीएफओ डब्ल्यूएल काजा द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए (हस्ताक्षरित एमओयू अनुबंध-X के रूप में संलग्न है)

9. 5 सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी (उप समिति) को परियोजना सहायता

ग्राम स्तरीय संगठन निम्नलिखित के लिए PIHPFEM&L परियोजना का लाभार्थी होगा:

- वित्तीय सहायता

- अनुमोदित सूक्ष्म योजना का कार्यान्वयन

- श्रम मजदूरीसामुदायिक योगदान को छोड़कर बाड़ लगाने, गड्ढे खोदने, गाड़ी चलाने, रोपण, निराई, पौधों की मल्चिंग के लिए।

- अन्य कामअनुमोदित सूक्ष्म योजना के अनुसार (सभी वेतन का भुगतान उप-समिति द्वारा चेक या बैंक हस्तांतरण द्वारा किया जाना है। कोई नकद लेनदेन की अनुमति नहीं है)।
- सीडीए:उप-समिति द्वारा पहचानी गई और परियोजना दिशानिर्देशों के अनुरूप सामुदायिक विकास गतिविधियों का निर्णय और कार्यान्वयन उप-समिति द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

- रखरखाव:

वर्षों से एमपी के बागानों में बीटिंग ऑपरेशन, निराई-गुड़ाई। 5 वर्षों तक बाड़ का रखरखाव।

- स्टॉक और सामग्री:
  स्टॉक: गुणवत्तापूर्ण नर्सरी में उगाए गए पौधे
  सामग्री उदा. बी. तार, यू. कीलें, बाड़ पोस्ट, टार/काला जापान आदि।

- उप समिति की लेखन सामग्री
  कार्यालय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उप-समिति को स्टेशनरी, जिसमें स्टाम्प, स्टाम्प पैड, दो रजिस्टर, रसीद बुक, कार्बन पेपर, पेपर पिन, रेजोल्यूशन पैड, पेन, पेंसिल, दरी, कुर्सियाँ, टेबल, अलमारी आदि शामिल हैं।

9.6 वृक्षारोपण गतिविधियों की पहचान:

क्रमांक	गतिविधि	एचएच को लाभ	कवर किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)						
				2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
1	वनीकरण (ईंधन और चारा वृक्षारोपण @1100 सामान्य पौधे सामान्य रूप से मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए कमांड क्षेत्रों में उपयुक्त घास और फलियां शामिल करनाट्राइगोनेला इमोडी, सिसेरारीटिनम, फेस्टुकारूब्रा, अर्नेबियाउक्रोमा, जेंटियाना कैरगाना ब्रेविफोलिया, लोनीसेरास्पिनोसा, सैलिक्स, हिप्पोफेटिबेटानापरियोजना कमांड क्षेत्रों और निजी भूमि में।	15		6 (हेक्टेयर)					
2	सवधेन रोपण @800 पौधा/हेक्टेयर।का पारेचय सुधार के लिए कमांड क्षेत्रों में उपयुक्त घास और फलियाँ मिट्टी प्रजनन क्षमता, ट्राइगोनेला इमोडी, सिसेरारीटिनम, फेस्टुकारूब्रा, अर्नेबियाउक्रोमा, जेंटियाना कैरगाना ब्रेविफोलिया, लोनीसेरास्पिनोसा, सैलिक्स, हिप्पोफेटिबेटानापरियोजना कमांड क्षेत्रों और निजी भूमि में।	15		4 (हेक्टेयर)					
	कुल			10 (हेक्टेयर)					

9.6.1 रोपण सामग्री की आवश्यकता

वर्ष	आवश्यक नमूने की संख्या (नया वृक्षारोपण)										
	ट्राइगोनेला एसपी.	सिसर एस पी.	एकोनोगोनम एसपी.	कैरगाना एसपी.	लोनीसेरा एसपी.	सैलि क्स एस पी.	हिप्पोफ़े एसपी.	जेंटियाना एसपी.	अर्नेबिया एसपी .	डैक्टिलोरिज़ा एसपी।	रोपण का स्रोत सामग्री
2022-23	2600	1300	900	880	1400	1180	760	780	760	780	नर्सरी
कुल	2600	1300	900	880	1400	1180	760	780	760	780	
वर्ष	आवश्यक नमूने की संख्या (रखरखाव)										
											रोपण का स्रोत सामग्री
2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नर्सरी
2024-25	780	390	270	264	420	354	228	234	228	234	
2025-26	520	260	180	176	280	236	152	156	152	156	
2026-27	390	195	135	132	210	177	114	117	114	117	
2027-28	260	130	90	88	140	118	76	78	76	78	
कुल	2210	1105	765	748	1190	1003	646	663	646	663	

9.6.2 वृक्षारोपण के लिए वन संरक्षण/वन संवर्धन/रखरखाव संचालन

साल	साइट/मॉडल अनुसार की जाने वाली गतिविधियाँ		ज़िम्मेदारी	
	हास्य		परियोजना	उप समिति
2022-23	संवर्धन रोपण **@800** पौधे/हेक्टेयर।	वनरोपण, ईंधन, चारा और जंगली फलों का रोपण **@1100** सामान्य पौधे	हाँ	हाँ
2024-25	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ
2025-26	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ
2026-27	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ
2027-28	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ

9.6.3 पीएफएम मोड के तहत वृक्षारोपण गतिविधि

साल	साइट/मॉडल के अनुसार की जाने वाली गतिविधियाँ		ज़िम्मेदारी	
	हास्य		परियोजना	उप समिति
2022-23	संवर्धन रोपण **@800** पौधे/हेक्टेयर।	वनरोपण, ईंधन, चारा और औषधीय पौधों का रोपण, वृक्षारोपण **@1100** सामान्य पौधे	हाँ	हाँ
2023-24	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ
2024-25	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ
2025-26	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ
2026-27	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ
2027-28	आकार।	आकार।	हाँ	हाँ

9.7 मृदा एवं जल संरक्षण

9.7.1 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (प्रस्तावित)

एस नहीं	भूमि	एसडब्ल्यूसी कार्य का प्रकार	साइट का नाम	कार्य की इकाई	कार्य की मात्रा	एचएचएस लाभार्थी	ज़िम्मेदारी		
							परियोजना	उप समिति	अभिसरण
1	कोमिक वार्ड समुदाय भूमि /वन भूमि	सूखे पत्थर सी/बांध	शिला शिखर समोच्च	नहीं।	8	15	हाँ	हाँ	
			हिमनद शिखर समोच्च	नहीं।	9	15	हाँ	हाँ	
			कॉमिक गांव की रूपरेखा	नहीं।	8	**15**	हाँ	हाँ	

9.7.2 (बी) मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (वर्षवार भौतिक लक्ष्य)

एस नहीं।	भूमि	एसडब्ल्यूसी का प्रकार काम	साइट का नाम	की इ का ई काम	कार्य की मात्रा	एचएचएस लाभार्थी	एसडब्ल्यूसी गतिविधियों के लिए भौतिक लक्ष्य						
							2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**
1	अभयारण्य क्षेत्र	सूखा पत्थर सी/बांध	शिला शिखर समोच्च	नहीं	8	7	0	4	4	0	0	0	0
			हिमानी शिखर समोच्च	नहीं	9	4	0	5	4	0	0	0	0
			कॉमिक गांव समोच्च	नहीं	8	---	0	4	4	0	0	0	0

9.8भौतिक एवं वित्तीय योजना (सीबीएमपी)

9.8.1 प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय योजना

एस। नहीं	प्रस्तावित गतिविधियाँ	इकाई	कुल		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28	
			फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
1																
ए)	वनरोपण @ 1100 सामान्य पौधे	हा	6	289800	6	289800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी)	200 पौधो का सवर्धन /हा)	हा	4	163200	4	163200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ए	कुल (नया वृक्षारोपण)		**10**	**453000**	**0**	**453000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**
2																
ए)	1100 सामान्य पौधों की दर से वनीकरण															
मैं)	पहला. वर्ष रखरखाव. (6250/हे.)	हा	6	37500	0	0	6	37500	0	0	0	0	0	0	0	0
द्वितीय)	दूसरा. वर्ष रखरखाव. (4250/हे.)	हा	6	25500	0	0	0	0	6	25500	0	0	0	0	0	0
iii)	तीसरा. वर्ष रखरखाव. (3200/हे.)	हा	6	19200	0	0	0	0	0	0	6	19200	0	0	0	0
iv)	चौथा. वर्ष रखरखाव.	हा	6	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13200	0	0

	(2200/हे.)															
में)	5वाँ वर्ष रखरखाव। (2200/हे.)	हा	6	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13200
	उप योग			108600	0	0	0	37500	0	25500	0	19200	0	13200	0	13200
एस। नहीं	प्रस्तावित गतिविधियाँ	इकाई	कुल		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28	
			फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
सी)	**800** पौधो/हेक्टेयर के साथ सवधन)															
मैं)	पहला. वर्ष रखरखाव. (4600/हे.)	हा	4	18400	0	0	4	18400	0	0	0	0	0	0	0	0
दूवितीय)	दूसरा. वर्ष रखरखाव. (3100/हे.)	हा	4	12400	0	0	0	0	4	12400	0	0	0	0	0	0
iii)	तीसरा. वर्ष रखरखाव. (2400/हे.)	हा	4	9600	0	0	0	0	0	0	4	9600	0	0	0	0
iv)	4th. Year Maint. (1650/Ha.)	हा	4	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6600	0	0
में)	5वाँ वर्ष रखरखाव। (1650/हे.)	हा	4	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6600
	उप योग			53600	0	0	0	18400	0	12400	0	9600	0	6600	0	6600
बी	कुल (रखरखाव)			162200		0		55900		37900		28800		19800		19800
एस। नहीं	प्रस्तावित गतिविधियाँ	इकाई	कुल		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28	

			फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत
4	एसएमसी ट्रेंचिंग															
ए)	एसएमसी कार्य(तैयारी) कंपित ग्रेडोनियल ट्रेंच की संख्या 1mx0.3mx0.3m) 500 ट्रेंच/हेक्टेयर @ 12375/हे	हा	6	74250	6	74250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डी	कुल एसएमसी			74250		74250		0		0		0		0		0
	कुल (ए+बी+सी+डी)			744650		541050		69700		51700		42600		19800		19800
एस। नहीं	प्रस्तावित गतिविधियाँ	इकाई	कुल		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28	
			फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत	फ़ि	अत
5																
ए)	सूखे पत्थर के चेक बाध	नहीं।	5	100000	0	0	5	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
और	कुल(एस&डब्ल्यूसी)			100000		0		100000		0		0		0		0
6	वन्य जीवन पर्यावास सुधार															
ए)	दोष। जल तालाब का	नहीं।	6	180000	2	60000	2	60000	2	60000	0	0	0	0	0	0
बी)	जल तालाब का रखरखाव	नहीं।	4	40000	0	0	2	20000	2	20000	0	0	0	0	0	0
एफ	कुल(वन्यजीव प्राकृतिक वास सुधार			220000		60000		80000		80000		0		0		0
	कुल योग(ए+बी+सी+डी+ई+एफ)			1064650		601050		249700		131700		42600		19800		19800

9.8.2 वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना सीबीएमपी

प्रस्तावित गतिविधि	एचएच को लाभ	कार्य की इकाई	की मात्रा काम	इकाई लागत (रु.)	प्रस्तावित बजट	वित्तीय स्रोत		
						परियोजना	अभिसरण	कॉम. योगदान
1100 सामान्य पौधों की दर से वनरोपण	39	हा	6	48300	289800	परियोजना		प्रबध
सवधेन रोपण @800 पौधे	39	हा	4	40800	163200	परियोजना		प्रबध
उप कुल					453000			
मिट्टी पानी संरक्षण								
सूखी पत्थर की जाँच दीवार	12	नही	1	15000	15000			
उप कुल					15000			
पयोवास सुधार								
जल का निमोण पॉन्ड्स		नही	2	30000	60000			
उप कुल					60000			
कुल					541800			

---

10. सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार योजना (सीडी एवं एलआईपी)

10.1 तालिका - सामुदायिक विकास गतिविधियाँ

एस। नहीं	गतिविधि	गतिविधि का उद्देश्य	**HHs** को लाभान्वित हों	सामुदायिक योगदान **(%)**
1	हिमानी जल संचयन संरचना	केवल इस जल स्रोत पर ही रिले करें	पूरा समुदाय	10%
2	हिमानी तालाब के लिए कृषि	देय को जलवायु परिवर्तन, कमी पसंद परिस्थिति में गर्मी के मौसम	पूरा समुदाय	10%
3	सौर स्थापना	कमी उचित आपूर्ति का बिजली का	पूरा समुदाय	10%
4	सोलर फेंसिंग के साथ ठोस बाड़ लगाना	याक, गाय जैसे जानवर फसल के खेत में प्रवेश कर जाते हैं और परिणामस्वरूप फसल नष्ट हो जाती है, जबकि नीले जैसे जानवरों की आमद को रोकने के लिए सौर बाड़ लगाने की आवश्यकता है भेड़, खरगोश, बकरी और भेड़।	संपूर्ण समुदाय	10%
5	भूजल पंप हाथ	अवश्य लगवायें, इनमें अधिकांशतः विशेष मौसम में हिमानी पानी मिलता है, हैण्डपम्प लगाकर जल संकट को दूर किया जा सकता है गर्मी के मौसम	संपूर्ण समुदाय	10%

तालिका **10.2**-आजीविका सुधार गतिविधियाँ एवं योजना

एस। नहीं	गतिविधि	गतिविधि का उद्देश्य	परिवारों लाभान्वित होना डी	सामुदायिक योगदान **(%)**
1	तीन महीने की शुरुआती किस्म के बीज जैसे, मटर	अक्सर, उन्हें जलवायु में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है; अधिकांश फसल बच जाती है भारी आर्थिक हानि.	15	10%
2	कालीन बनाना, याक ऊन की रस्सी बनाना	सर्दियों में बाहरी गतिविधियाँ लगभग शून्य हो जाती हैं, वे ऐसी वस्तुओं को बनाने में मदद के लिए निरंतर सर्दियों का मौसम चाहते हैं आजीविका को बढ़ावा देना	15	10%
3	कोडा (फैगोपाइरम) का परिचय देंईएससी)	मोनोकल्चर के कारण मिट्टी के अध:पतन से बचने के लिए पानी की कमी करें, साथ पोषण मूल्य	15	10%
4	संरक्षण रतन का जोत, JangliPyaz,	आउट साइडर द्वारा किया गया अवैध व्यापार	15	10%
5	संशोधित पॉली हाउस	बेमौसमी सब्जी के लिए पुरानी संरचना वाले पॉली हाउस टिकाऊ नहीं होते	15	10%

<u>सामुदायिक विकास कार्यों के अंतर्गत</u>

गतिविधियाँ

1. हिमानी जल संचयन संरचना:चूँकि इस विशेष योजना स्थल/वार्ड की पूरी आबादी के पास पानी का केवल एक ही स्रोत है अर्थात हिमानी पानी, जिसका उपयोग वे घरेलू उद्देश्यों, पीने, सिंचाई, मवेशियों के उपयोग आदि के लिए करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्रोत हर मौसम में नहीं रहता है। अक्सर, उन्हें जल संकट का सामना करना पड़ता है और कोमिक गांव में उनके पास अन्य स्रोतों का भी अभाव है। इसलिए हिमनद जल संचयन संरचना निश्चित रूप से इस प्राथमिक समस्या के उन्मूलन में मदद करेगी।

तालिका-**10.3** जल टंकी हेतु अनुमानित राशि दर्शायी गयी है

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	आयतन	दर रु.	राशि रु.
	टैंक	10	10	10	1000 फुट^3 28000/लीटर	8रु /लिट	224000/-
	संख्या टैंक 2 का						224000x2= 448000/-
	ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में कच्चे माल की ढुलाई के लिए कुल राशि में 20% की बढ़ोतरी						
	यह निर्माण कार्य मनरेगा के तहत कराया जा सकता है						

2. कृषि के लिए हिमानी तालाब:जलवायु परिवर्तन के कारण निश्चित रूप से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, गर्मियों में उन्हें घरेलू गतिविधियों के साथ-साथ कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन बाद में अन्य मौसमों में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए इस वार्ड में कृषि उपयोग के लिए विशेष तालाब है आवश्यकता है।

तालिका-**10.4** तालाब निर्माण हेतु प्राक्कलन का सारांश।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	नहीं।	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	आयतन	दर रु.	राशि रु.
	तालाब	1	20 मीटर	20 मीटर	1 मी	400 मीटर^3 4 झील तल	8रु./लीटर	32 लाख
	ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में कच्चे माल की ढुलाई के लिए कुल राशि में 20% की बढ़ोतरी							
	तालाब का निर्माण मनरेगा के तहत एवं कृषि विभाग के सहयोग से सिंचाई योजना के तहत अनुदान के साथ भी कराया जा सकता है							

सौर स्थापना:जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान वार्ड 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वार्ड में बिजली की उचित आपूर्ति नहीं है, जो लोगों की बाहरी गतिविधियों, बच्चों की शिक्षा, खेतों में काम करने वाले लोगों आदि सहित काम करने की आदतों में बाधा उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा की स्थापना की जा सकती है अनियमित बिजली आपूर्ति का शीघ्र समाधान हो.ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल/पावर प्लांट का विकल्प चुनने वाले लोगों को 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, और अतिरिक्त बिजली एचपीएसईबीएल को पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी, जिससे उपयोग के अलावा व्यक्ति की आय में भी इजाफा होगा। निःशुल्क सौर ऊर्जा.

सौर बाड़ के साथ ठोस बाड़ लगाना:इस गांव के किसानों ने दावा किया कि ज्यादातर याक और गायें खेतों में घुस जाती हैं और फसलों को नष्ट कर देती हैं, जबकि नीली भेड़, खरगोश, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों की आमद को रोकने के लिए सौर बाड़ लगाने की जरूरत है।

तालिका-**10.6** बाड़ लगाने का अनुमान दर्शाया जा रहा है

क्र.सं.	का विवरण काम/ मॉडल	संरक्षित क्षेत्र/ एकड़	बाड़ लगाने के लिए परिधि/ मीटर	इकाई लागत/रु	प्रति रनिंग लागत मीटर/रु
	मॉडल1	1	300	161907/-	540
	मॉडल2	2.5	500	210793/-	422
	मॉडल3	5	700	259679/-	371

	मॉडल4	10	1000	407716/-	408
	मॉडल5	20	1400	505489/-	361

7 पंक्तियों की बाड़ की प्रति रनिंग मीटर की औसत लागत 396 रुपये प्रति मीटर आती है। इस प्रथा को विकास खंड में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) यानी विषय वस्तु विशेषज्ञ के माध्यम से उप निदेशक द्वारा लागू किया जाएगा।

जनजातीय जिले में, लाहौल और स्पीति जिले के जिला कृषि अधिकारी, केलांग और सहायक परियोजना अधिकारी, काजा परियोजना मंजूरी प्राधिकारी के साथ-साथ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के रूप में कार्य करेंगे। पीआईए संभावित लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए जिम्मेदार होंगे। .

परियोजना सहायता के रूप में फर्म/कंपनी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य पर किसानों के खेतों में सौर विद्युत चालित बाड़ प्रणाली की स्थापना और कमीशनिंग के लिए व्यक्तिगत किसानों के लिए 80% और तीन या अधिक किसानों के समूह के लिए 85% की दर से सहायता उपलब्ध है। यदि किसान ऋण लेता है तो लाभार्थियों को सहायता सीधे या बैंक के माध्यम से जारी की जाएगी। सौर विद्युत चालित बाड़ की स्थापना के लिए सहायता कोर टीम और किसानों/किसानों के समूह से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कंपनी को जारी की जा सकती है। भुगतान संबंधित कोर टीम द्वारा विधिवत सत्यापित मौजूदा साइट की आवश्यकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए गए वास्तविक कार्य और उसके माप के आधार पर किया जाएगा।

भूजल हैंडपंप:जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि वर्तमान गाँव ज्यादातर जल संकट का सामना कर रहा है और हिमानी जल रिसाव निश्चित रूप से वहाँ मौजूद है। इसलिए भूजल हैंडपंपों की स्थापना से सर्दियों के साथ-साथ अन्य मौसमों में भी पानी की कमी को दूर किया जा सकता है।

व्यक्तिगत लाभार्थियों को हैंडपंप 75 प्रतिशत लागत पर लगाए जाएंगे। 75% लागत का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और शेष 25% प्रतिशत का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। 75% लागत का भुगतान लाभार्थी द्वारा संबंधित कार्यकारी अभियंता (आईपीएच) प्रभाग के निर्धारित तरीके से अग्रिम रूप से किया जाएगा।

हैण्डपम्प स्थापना हेतु प्राक्कलन विभाग के माध्यम से तैयार करवाया जायेगा, हैण्डपम्प स्थापना हेतु कुल अनुमानित लागत का 75% लाभार्थी द्वारा तथा शेष 25% विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। उन स्थानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां कोई पीने योग्य जल स्रोत/पूंछ नहीं है

योजनाओं के ख़त्म होने और भौगोलिक बाधाओं और अनियमित जल आपूर्ति के कारण पानी की कमी है।

आजीविका सुधार गतिविधियाँ एवं योजना

- तीन महीने की शुरुआती किस्म के बीज जैसे मटर:चूंकि उनके पास कृषि उत्पादकता के लिए मोनोकल्चर है, जिसके बाद कुछ महीने यानी अप्रैल से सितंबर महीने तक का समय लगता है। किसानों ने बताया कि अगर उन्हें जल्दी बर्फबारी होती है, जिससे परिवहन अवरुद्ध हो जाता है, तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और उन्हें भारी नुकसान होता है। इसलिए यदि उनके पास शुरुआती किस्मों के बीज हैं, जैसे कि मटर की तरह वे बर्फबारी होते ही इसकी कटाई कर सकते हैं। और किसी तरह मोनोकल्चर से बचा जा सकता है। आवश्यक बीज वे हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। जहां किसानों के लिए इस पर सब्सिडी दी जा सकती है.

- कालीन बनाना, याक ऊन की रस्सी बनाना:समुदाय पारंपरिक रूप से याक ऊन का कालीन और रस्सियाँ भी बनाता है। यदि लोग इसे बड़े पैमाने पर बनाते हैं और इसका व्यवसायीकरण करते हैं तो इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा। क्योंकि उन्हें इस गतिविधि के लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक पैसे के बिना आजीविका उत्थान घटक के साथ बेहतर फिट।
- चूंकि अधिकांश परिवार याक पालते हैं, इसलिए कालीन और याक ऊन से रस्सी बनाने के लिए कच्चे माल यानी याक ऊन की उपलब्धता होती है।

कोडा (फैगोपाइरम) का परिचय देंएस्कुलेन्टम):गाँव में केवल जौ, मटर, आलू उगते हैं। भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुसार कोड़ा (फागोपाइरम) का परिचयएस्कुलेन्टम) का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यह मुख्य भोजन के रूप में परोसा जाता है और अमीनो एसिड से भरपूर है। अन्य खाद्य फसलों की तरह इसका भी व्यवसायीकरण किया जा सकता है।
कोदा फसल के बीज की आवश्यकता कृषि विभाग द्वारा पूरी की जा सकती है क्योंकि किसानों को उचित सब्सिडी या कीमतों पर बीज उपलब्ध कराया जा सकता है।

- रतन जोत, जंगलीप्याज़ का संरक्षण:कोमिक गांव में स्थानीय लोगों ने कहा कि बाहरी लोग रतन जोत और जंगलिप्याज़ का अवैध व्यापार करते हैं जो बीएमसी के साथ भी अन्याय है। बीएमसी और स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसी गतिविधि के लिए संबंधित विभाग जिसमें औषधीय पौधों का संरक्षण शामिल है, वन विभाग के साथ-साथ जैव-विविधता प्रबंधन समिति भी हो सकती है।

संशोधित पॉली हाउस:बेमौसमी सब्जियों की वृद्धि के लिए संशोधित पॉली हाउस टिकाऊ और प्रभावी हो सकते हैं। चूंकि कुछ किसानों ने स्क्वैश, गाजर, टमाटर, ककड़ी, गोभी और धनिया आदि उगाने की कोशिश की है। पुराने पॉली हाउस के बुनियादी ढांचे के साथ एकमात्र समस्या यह है कि ये गुंबद के आकार के लंबे समय तक भारी बर्फबारी के साथ नहीं रहते हैं। जबकि छत पॉली की तरह शीर्ष पर होती है। गुंबद के आकार वाले घरों की तुलना में घर अधिक अनुकूल होते हैं। छत के शीर्ष पर लंबे समय तक पॉली एथिलीन शीट का आवरण होना चाहिए।

हिमाचल सरकार 80-85% सब्सिडी। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से लगभग 50% सब्सिडी मिलती है। बदले में।विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस नवीनीकरण योजना (एमएमजीआरएस) को लागू करने के लिए दिशानिर्देश। बागवानी विभाग, एच.पी. 1. इस योजना के तहत पॉली शीट बदलने के लिए 70% सहायता, अधिकतम रु. 44.80/- प्रति वर्ग मीटर। चूंकि बैक-एंडेड सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थियों (यानी किसानों) के लिए उपलब्ध होगी जो उच्च मूल्य वाले फूलों और सब्जियों की फसलों की ग्रीनहाउस खेती में लगे हुए हैं। लागत 900-1200/- रूपये प्रति वर्ग मीटर।

मानव क्षमता निर्माण का सारांश

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अलावा, साइट उन मजबूत महिला समूहों को भी बढ़ावा देती है जो स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) की मदद से अपनी कृषि जरूरतों को माइक्रोफाइनेंस करने का प्रयास करती हैं, उदाहरण के लिए बुआई के लिए बीज। हालाँकि परियोजना के भीतर अधिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता है और साथ ही बीडीओ, ग्रामीण विकास, पर्यटन विभाग, नाबार्ड एजेंसियों आदि से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। एसएचजी बैठकें अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक लिंग विशिष्ट मंच भी प्रदान करती हैं।

संसाधनों से संबंधित है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अपने घरों के लिए चारे और पानी की प्रमुख उपयोगकर्ता हैं।

तालिका - **10.7** एसएचजी आजीविका सुधार: प्रशिक्षण बजट (प्रति वर्ष दो कार्यशालाएँ)

एस। नहीं।	विवरण	नहीं। समूह का	नहीं का व्यक्ति	दर रु.	सरकारी कार्यालय। रु.
1	जलपान/दोपहर का भोजन	10	12	160	19200
	अचल	10	12	30	3600
	संसाधन व्यक्ति (मानदेय एवं यात्रा)	2	4	2500	20000
	बैनर एवं फोटोग्राफी	2	2	250	1000
	एक कार्यशाला के लिए कुल				43800/-
	बड़ा कुल के लिए 4 कार्यशालाएँ				**1,75,000/-**

निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) ढांचा

हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रवाह और संबंधित वन प्रबंधन लक्ष्य की निगरानी के लिए एक भागीदारी ढांचा स्थापित किया गया है। भागीदारी ढांचे को नीचे दिए गए अनुसार दो खंडों में विभाजित किया जाएगा:

- वन विभाग द्वारा निगरानी और मूल्यांकन (इन-हाउस/आउटसोर्स बुनियादी ढांचे का समर्थन): यह प्रणाली गांव की सीमाओं के साथ जेएफएम क्षेत्रों के जीआईएस-आधारित मानचित्र के माध्यम से वनस्पति और अन्य संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रवाह का समय पर मूल्यांकन करेगी।
- सहभागी इकाई: यह हर दो साल की आवृत्ति में वनस्पति विकास की जमीनी सच्चाई और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रवाह के संबंधित सुधार के लिए उचित सुरक्षा उपाय प्रदान करने में सहायक होगी। इसमें सामाजिक-आर्थिक के माध्यम से आजीविका में आनुपातिक सुधार का भी आकलन किया जाएगा

सर्वेक्षण। सहभागी इकाई सभी हितधारकों की पार्टियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर स्पष्ट रूप से सहमत प्रोटोकॉल के आधार पर निगरानी और मूल्यांकन करेगी।

संकेतकों के साथ निगरानी और मूल्यांकन योजना तालिका 1.35 में दी गई है

तालिका-**10.8** निगरानी एवं मूल्यांकन योजना

एस.एन ओ	फेज़	उपाय होना है निगरानी करना ईडी	बेसलिन ई कीमत	लक्ष्य कीमत	सूचित आर	का मतलब खुद जांच करें # अपने आप को को पर	जिम्मेदारी यह
	पानी बढ़ता है है का पानी आपूर्ति	Availabili स्व-परीक्षा का पानी प्रवाह और सेसोनालिट और विशेष रूप से आप के दौरान गर्मी	रा	पर्याप्त टी पानी availabili ty के दौरान गर्मी	फसलें नहीं सूखा देय को कमी सिंचाई एन पानी दौरान गर्मी	अभिलेख रखते हुए द्वारा मॉनिटर जी टीम	निगरानी टीम का गाँव समिति
	ईंधन & चारा आपूर्ति	सभी कारतूस पूरी तरह से हैं रखता aiwth पेड़ लगाना एन	नहीं पौधा पर	पर सूची 10% बढ़ोतरी चारे में & ईंधन	संयोजित availabili की ty ईंधन & चारा	अभिलेख रखते हुए का संख्या का सिर पर बोझ ईंधन का और चारा	

सामुदायिक विकास कार्यों का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय विवरण

तालिका-**10.9** वर्ष **2022-23** के लिए वार्षिक कार्य योजना सीबीएमपी

प्रस्तावित गतिविधि	बेनेफिटिन जीएचएच	कार्य की इकाई	इकाई लागत (रु.)	प्रस्तावित बजट	वित्तीय स्रोत परियोजना कन्वर्जेंस कॉम. योगदान
बहृत ठंडा पानी फसल काटने वाले टैंक	15	2	224000+ 20% सवारी डिब्बा 44800	2,68800/-	मनरेगा के तहत
बहृत ठंडा तालाब कृषि के लिए	15	1	32 लाख+ 6,40000 /-	38,40000/-	मनरेगा के तहत
सौर स्थापना	15	1		98000/-	हिमऊर्जा की ओर से 70% सब्सिडी
ठोस बाड़ लगाना और सौर बाड़ लगाना	15	1	396/मी रखने के लिए	1400x396 554400/-	80% सब्सिडी पर सौर बाड़ लगाना
मैदान पानी का हैंडपंप	15	1			25% सब्सिडी

10.10 प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय आय सृजन गतिविधियां (आईजीए)

सीनियर एन ओ	प्रस्तावित गतिविधियाँ	कुल	वित्त अंशदान संख्या	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**
1.	स्वयं सहायता समूह आजीविका सुधार: प्रशिक्षण बजट (कालीन बनाना, याक ऊन रस्सी बनाना)	192000/-	आरडी विभाग और की मदद से जेआईसीए पर्यटन	96000/-	96000/-	0	0	0	0
2.	तीन महीने जल्दी विविधता बीज जैसे प्रमुख सदन का परिचय दें	1500/- अधिकतम. x 39	कृषि विभाग 60% सब्सिडी	58500/-	58500/-	0	0	0	0
3.	रतन का संरक्षण जोत, जंगलीप्याज़,		वन विभाग एवं एचपीएस जैव विविधता तख़्ता	0 \	0	0	0	0	0

4.	संशोधित पॉली हाउस, न्यूनतम	900-1200/-	कृषि से	300000/-20%	300000/	300000/	0	0	0

	25 वर्ग मीटर	प्रति वर्ग मीटर 15 एचएच	विभाग 70% सब्सिडी 10% लाभार्थी, 20% JICA	जेआईसीए (60000/)-					

तालिका **11.11-2021-22** के लिए वर्षवार वार्षिक कार्य योजना सीबीएमपी

प्रस्तावित गतिविधि	बेनेफिटिन जीएचएच	कार्य की इकाई	इकाई लागत (रु.)	प्रस्तावित बजट	वित्तीय स्रोत परियोजना कन्वर्जेंस कॉम. योगदान
बहृत ठंडा पानी फसल काटने वाले टैंक	15	2	224000+ 20% सवारी डिब्बा 44800	2,68800/-	मनरेगा के तहत
बहृत ठंडा तालाब क़षि के लिए	15	1	32 लाख+ 6,40000 /-	38,40000/-	मनरेगा के तहत
सौर स्थापना	15	1		98000/-	हिमऊर्जा की ओर से 70% सब्सिडी
ठोस बाड़ लगाना और सौर बाड़ लगाना	15	1	396/मी रखने के लिए	1400x396 554400/-	80% सब्सिडी पर सौर बाड़ लगाना
मैदान पानी का हैंडपंप	15	1			25% सब्सिडी
स्वयं सहायता समूह आजीविका सुधार: प्रशिक्षण बजट	15		192000/-	192000/-	जेआईसीए की मदद से आरडी विभाग और पर्यटन

तीन महीने की शुरुआती किस्म के बीज उदा. मटर परिचय यहां तक की	15		1500/- अधिकतम. x 15	22,500/-	कृषि विभाग 60% सब्सिडी
रतन जोत, जंगलीप्याज़ का संरक्षण,	15				वन विभाग एवं एचपीएस जैव विविधता बोर्ड, जेआईसीए
संशोधित पॉली हाउस , न्यूनतम 25 वर्ग मीटर	15		900-1200/- प्रति वर्ग मीटर 15 एचएच	30,0000	कृषि विभाग से 70% सब्सिडी 10% लाभार्थी, 20% जेआईसीए
कुल					

---

11. बाहरी एजेंसियों के साथ अभिसरण

अन्य विभागों/परियोजनाओं/योजनाओं के सहयोग से की जाने वाली गतिविधियाँ सामुदायिक अवसंरचना विकास, बुनियादी मानव आवश्यकताएँ, कृषि और बागवानी (अभिसरण के माध्यम से)

11.1 अभिसरण के लिए गतिविधियों की पहचान की गई

क्र.सं	गतिविधियाँ	एचएच को लाभ होगा	अभिसरण के लिए विभाग/एजेंसी
1	महिला मंडल की मरम्मत	**15**	पंचायत/ब्लॉक
2	पैदल पथ	**15**	पंचायत/ब्लॉक
3	नाली	**15**	पंचायत/ब्लॉक
4	प्रशिक्षण/कृषि शिविर	**15**	खेत/उद्यान/पशुपालन
5	साइलेज (प्रदर्शन आधार)	**15**	ए/एच एक्सपोज़र विजिट
6	औषधीय पौधे	**6**	वन/उद्यान विभाग
7	इको-पर्यटन गतिविधियों पर प्रशिक्षण	**3**	वन/पर्यटन विभाग

11.2 अभिसरण गतिविधियों के लिए भौतिक और वित्तीय योजना

	अभिसरण के लिए गतिविधियों की पहचान की गई															
एस.एन हे	प्रस्तावित गतिविधियाँ	एकयह	कुल		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28	
			पीएचवाई	अंत	पीएचवाई	फाईएन	पीएचवाई	अंत	पीएचवाई	अंत	पीएचवाई	अंत	पीएचवाई	अंत	पीहय	अंत
1	ड्राई स्टोन चेक डैम	नहीं.	40	800000	0	0	21	420000	0	0	19	380000	0	0	0	0
2	सूखा पत्थर सी/दीवार	नहीं.	1	15000	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अभिसरण गतिविधि			**815000**	**0**	**0**		**435000**		**0**		**380000**		**0**		**0**

माइक्रो योजना (बीएमसी उप-समिति कॉमिक) मारो के इब्बर और रेंज इब्ल्यूए जंगली

में इफ डिवीजन, स्पिटमें

12 कार्यान्वयन रणनीतियाँ

12.1 घटकों और उप-घटकों पर कार्यान्वयन दिशानिर्देश

सहभागी वन प्रबंधन
मृदा एवं जल संरक्षण/भूस्खलन नियंत्रण उपाय
लैंगिक मुख्यधारा के साथ सामुदायिक विकास और आजीविका में सुधार

12.2 सामुदायिक संस्थानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण***(***उप-समिति, सीआईजी, एसएचजी***)***

संस्थान	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के क्षेत्र	संसाधन व्यक्ति/समूह	एक्सपोज़र विज़िट के लिए स्थान
उप समिति		सलाहकार	
कार्यकारी समिति	लेखन जारी है खाता रखता है संपत्ति बनाई गई ईसी की भूमिका और जिम्मेदारी	जेआईसीए स्टाफ/ जंगल विभाग के कर्मचारी/सलाहकार	देहरादून, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा

सीआईजी	कार्यवाही खाता रखरखाव मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण	कंसल्टेंट्स	स्थानीय /कार्यक्रम प्रबंधक ग्रामीण वित्तपोषण
स्वयं सहायता समूह	समूह गठन, खाता बनाए रखना, कार्यवाही लिखना, बैंक लिंकेज आदि।	नाबार्ड/मास्टर ट्रेनर	

12.3 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना का वर्षवार विवरण

क्र.सं	वर्ष माह	सामुदायिक संस्था	प्रशिक्षण का विषय	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि	संसाधन व्यक्ति/समूह
1	2022-2023	ईसी प्रशिक्षण एक्सपोजर विजिट सीआईजी स्वयं सहायता समूह	ईसी की भूमिका और जिम्मेदारी को बनाए रखने वाले खाते को लिखने की कार्यवाही लिंग	7-15 चुनाव आयोग प्रतिनिधि	दो दिन पांच दिन	1. मास्टर ट्रेनर, एफडी अकाउंटेंट 2. राज्य के अंदर और बाहर सफल परियोजनाएँ।

2	2022-2023	1.ईसी प्रशिक्षण 2.सीआईजी 3. एसएचजी	एम एंड ई/सामाजिक लेखापरीक्षा	3-5	दो दिन	एफटीयू- समन्वयक
3	2023-2024	1.ईसी प्रशिक्षण 2.सीआईजी 3. एसएचजी	संपत्ति बनाई गई	3-5	1 दिन	एफटीयू समन्वयक

सीनियर कुंआ	प्रस्तावित गतिविधियाँ	इकाई	कुल		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27	
			फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
सामुदायिक संस्थानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण														
मैं	उप-समिति (ईसी) प्रशिक्षण													
ए)	कार्यवाही खाता बनाए रखना	नहीं	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
बी)	भूमिका, जिम्मेदारी, लिंग, संपत्ति टोकरा	नहीं	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
सी)	मुझे और सामाजिक ऑडिट	नहीं	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	उप कुल		9	0	2	0	2	0	3	0	1	0	1	0
द्वितीय	सीआईजी प्रशिक्षण													

ए)	कार्यवाही लेखन, लेखा रखरखाव	नहीं	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
बी)	मूल्य संवर्धन	नहीं	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	उप कुल		6	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0

12.4 वर्षवार प्रशिक्षण प्रस्तावित

तृतीय	स्वयं सहायता समूह													
ए)	समूह निर्माण, लेखन कार्य आगे बढ़ाना	नहीं	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
बी)	खाता रखरखाव, बैंक लिंकेज आदि।	नहीं	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	उप कुल	नहीं	4		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

12.5 सामुदायिक संस्थानों द्वारा बनाए रखा जाने वाला रिकॉर्ड

एस। नहीं	रिकॉर्ड का नाम/ पंजीकरण करवाना को होना बनाए रखा	किसके द्वारा रख-रखाव किया जाए	को होना सत्यापित द्वारा किसको
1	सदस्यता रजिस्टर, उपनियम और अन्य रिकॉर्ड	अध्यक्ष / सदस्य सचिव वीएफडीएस	एफटीयू सह अधिकारी/एफटीयू समन्वयक
2	कार्यवाही रजिस्टर	सदस्य सचिव वीएफडीएस/संयुक्त सचिव	एफटीयू समन्वयक
3	नकद खाता रजिस्टर एवं संबंधित पुस्तकें	कोषाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव,	एफटीयू अधिकारी एफटीयू समन्वयक
4.	संपत्ति बनाया था रजिस्टर	अध्यक्ष, सचिव	एफटीयू/प्रोजेक्ट प्रतिनिधि।

ANNEXUREs

Registration No : HPCD-3990

Certificate of Registration of Societies

Himachal Pradesh Societies Registration Act 2006 (Act No. 25 of 2006)

This is certified that the **BMC SUB COMMITTEE KOMIC** located at **VILLAGE KOMIC POST OFFICE HIKKAM TEHSIL SPITI DISTRICT L& S HIMACHAL PRADESH** has been registered under the provisions of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006) on the **3rd** day of **June 2022** (03/06/2022).

Given under my hand and seal at **SDM Office, Kaza**, Himachal Pradesh.

Deputy Registrar, Spiti at Kaza, Distt. L&S (H.P.)

Deputy Registrar,
District Lahaul & Spiti (H.P.)

SDM -cum- Deputy Registrar of Societies
Himachal Pradesh

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The Komic BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO Wildlife SPITI) for Participatory Forest Management.

Whereas

- The Komic BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part III dated 19.11.2018, by the Villagers of Komic BMC Sub-Committee in district lahoul & Spiti and Forest Division Wildlife Spiti of Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called"EC");
- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called "Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division;
- the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;
- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the wildlife Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now herewith

The Wild Life Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently, this MoU is executed with the following articles:

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (hereinafter called "MoU") details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest area(s) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2. Responsibilities of the Society

2.1. With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

2.2. The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearbyvillages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards asapplicable.

2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are beingviolated.

2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.

2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, illicit transport, illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.

2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in harming the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.

2.9. The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.

2.10. The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.

2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.

2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.

2.13. Society agrees to ensure that there will be no mis utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP

implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.15. The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for Sub-committee under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

3.1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/ converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5. The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6. Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

4.2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation, Biodiversity conservation etc.,willbecredited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan)of VFDS/BMC (Sub-Committee). In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihood activities.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of theSociety. Society will further distribute fund similarly.

5. Rights and Benefit Sharing

5.1. The **Rights** of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected

due to constitution of the Society and will continue to be exercisedas heretofore.

5.2. The **Benefits** which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are asfollows:

i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, loppings, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;

ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;

iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;

iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;

v) after 5 years, the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;

vi) To utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

Provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling,

Whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,

6. Monitoring & Evaluation

6.1. Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.

6.2. The EC of VFDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

6.3. A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.

6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for thatactivity.

6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only

when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfil conditions mentioned in para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I _____, President, Komic Joint VFDS/BMC (Sub-Committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MoU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and in their original meaning.

(Name and Signature of the President)
On behalf of VFDS/BMC (Sub-Committee)

Divisional Forest Officer
_____ Forest Division
(on behalf of HPFD)

Witnesses: Village Forest Development Society/BMC (Sub-Committee) and
The Forest Department for Participatory Forest Management.

1. Padmerlamo

2. Tamzin

3.

4

I,_______________________,________________________[position] undertake, on behalfof ______________________Forest Department, to implement all duties/responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

D F O WL Spltl

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of________________Forest Department

Social map

KAZA FTU Komic BMC Sub. Commitee

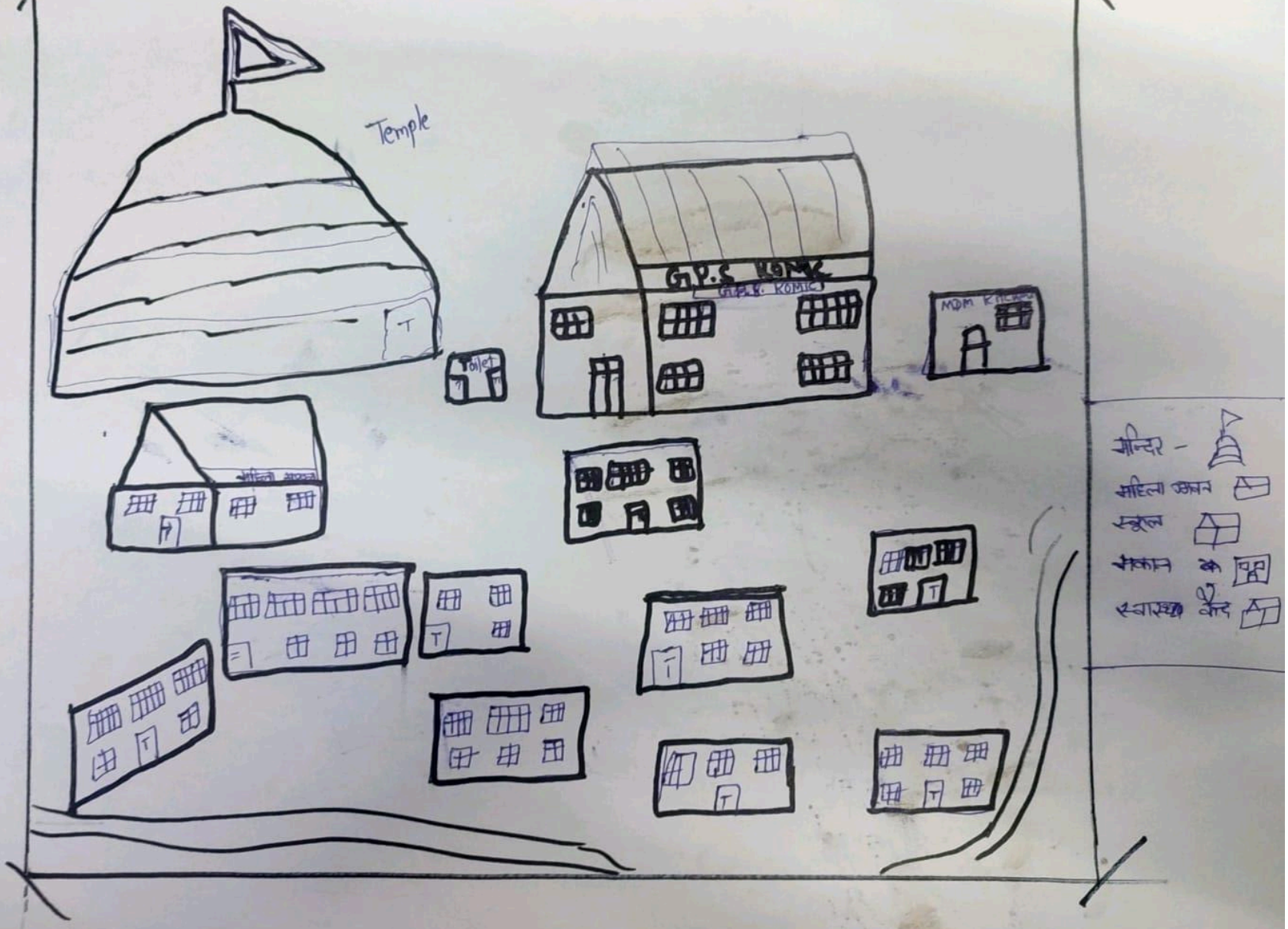

Resource MAP

KAZA

Komic B.MC Sub. Committee

अनुबंध- मैं

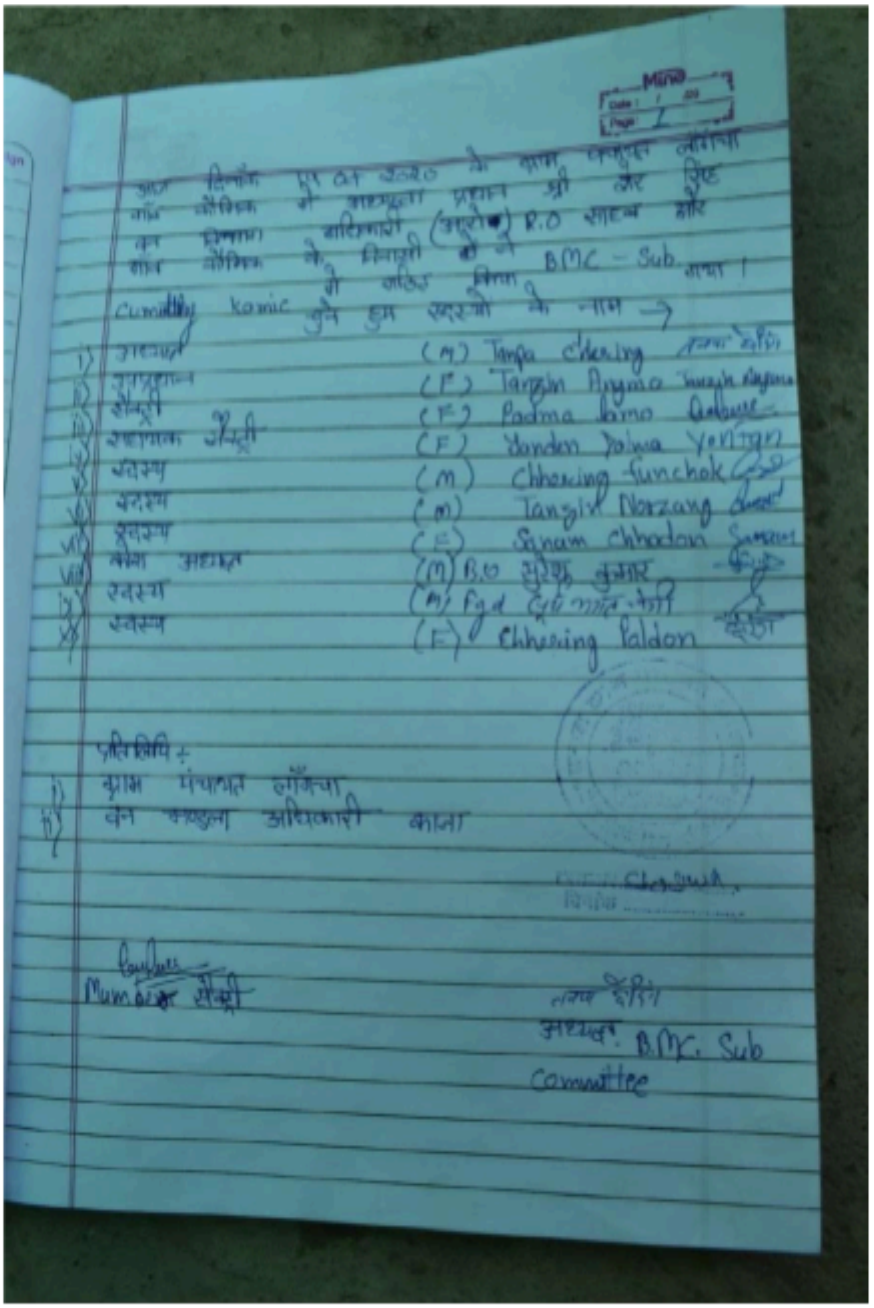

Cumittey komic चुने हुए सदस्यों के नाम →

i) अध्यक्ष (M) Tanpa Chering
ii) उपाध्यक्ष (F) Tanzin Angmo
iii) सैक्रेटरी (F) Padma Lamo
iv) सहायक सैक्रेटरी (F) Yandon Dolma Yontan
v) सदस्य (M) Chhering Funchok
vi) सदस्य (M) Tanzin Norzang
vii) सदस्य (F) Sonam Chhodon
viii) बोर्ड अध्यक्ष (M) B.O सुरेश कुमार
ix) सदस्य (M) Fgd
x) सदस्य (F) Chhering Paldon

प्रतिलिपि :-
i) ग्राम पंचायत लाँगचा
ii) वन मण्डल अधिकारी काजा

Mumber सैक्रेटरी

अध्यक्ष B.M.C. Sub Committee

अनुबंध- II

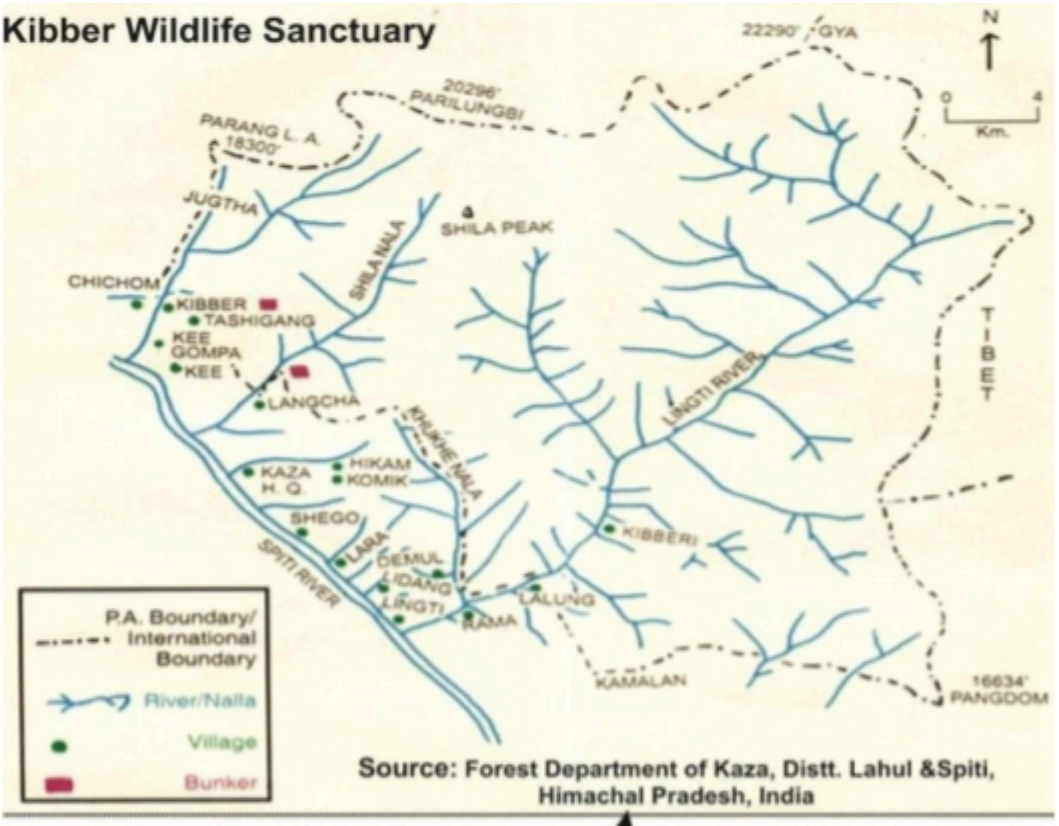

Kibber Wildlife Sanctuary
22290' GYA
N
0 4 Km.
20296' PARILUNGBI
PARANG L.A. 18300'
JUGTHA
SHILA PEAK
SHILA NALA
CHICHOM
KIBBER
TASHIGANG
KEE GOMPA
KEE
LANGCHA
KHUKHE NALA
LINGTI RIVER
TIBET
KAZA H.Q.
HIKAM
KOMIK
SHEGO
LARA
DEMUL
LIDANG
LINGTI
RAMA
LALUNG
KIBBERI
SPITI RIVER
KAMALAN
16634' PANGDOM
P.A. Boundary/ International Boundary
River/Nalla
Village
Bunker
Source: Forest Department of Kaza, Distt. Lahul &Spiti, Himachal Pradesh, India
HIMACHAL PRADESH (INDIA)
N
JAMMU & KASHMIR
Chamba
Lahul And Spiti
Kangra
Kullu
CHINA TIBET
Mandi
Una
Hamirpur
Kinnaur
Bilaspur
SHIMLA
PUNJAB
Solan
Uttarakhand
Sirmaur
HARYANA
Study area
Map not to scale

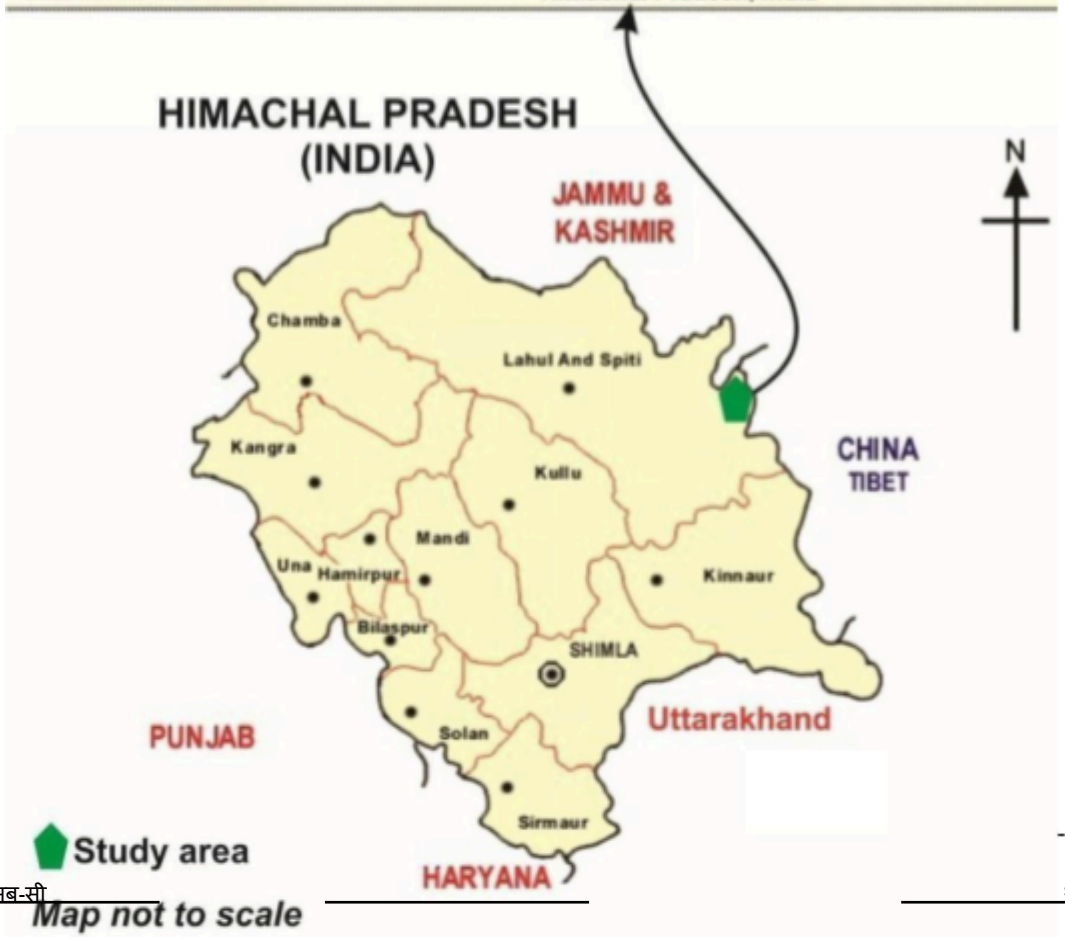

अनुबंध- III

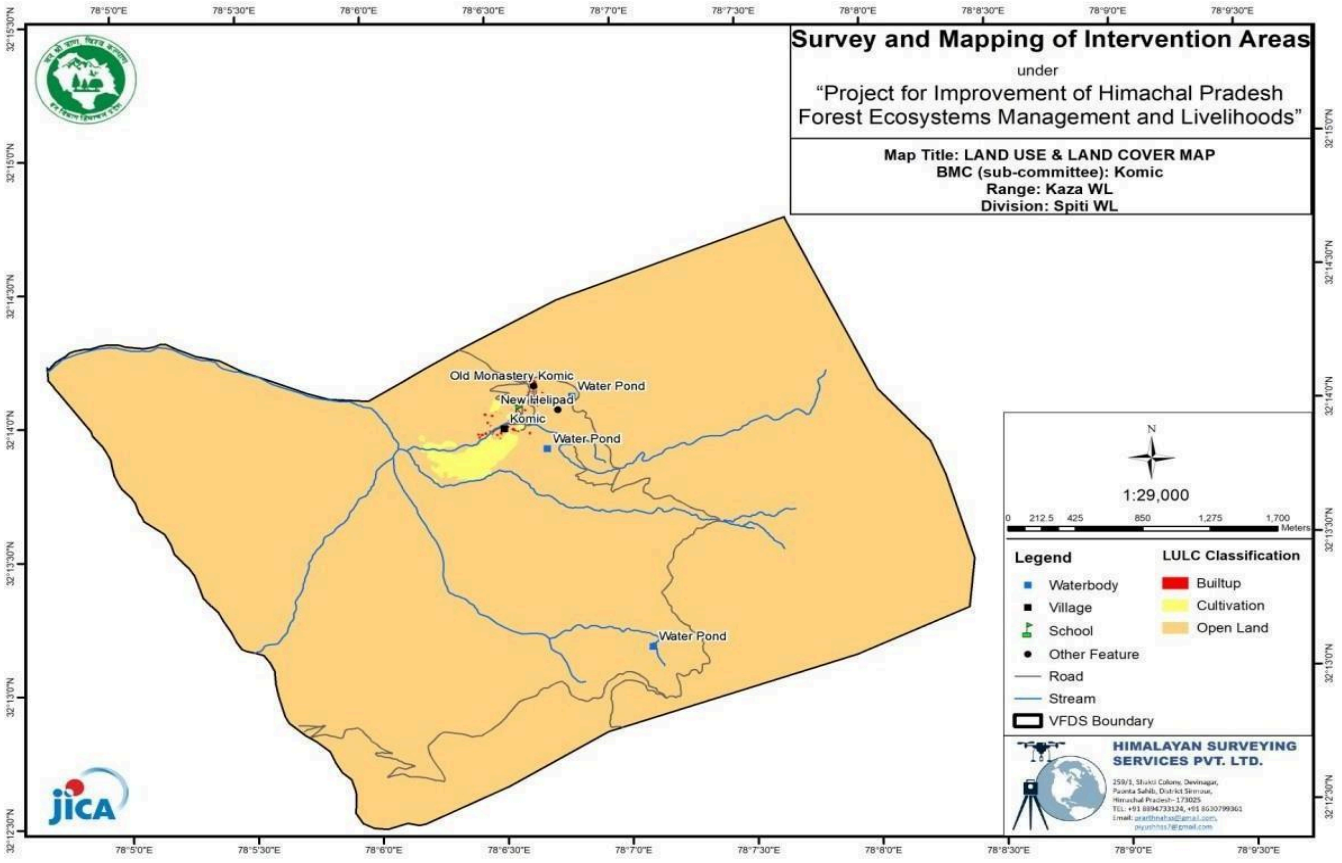
Survey and Mapping of Intervention Areas
under
"Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods"
Map Title: LAND USE & LAND COVER MAP
BMC (sub-committee): Komic
Range: Kaza WL
Division: Spiti WL
Old Monastery Komic
Water Pond
New Helipad
Komic
Water Pond
Water Pond
1:29,000
0 212.5 425 850 1,275 1,700 Meters
Legend
Waterbody
Village
School
Other Feature
Road
Stream
VFDS Boundary
LULC Classification
Builtup
Cultivation
Open Land
HIMALAYAN SURVEYING SERVICES PVT. LTD.
JICA

अनुबंध- IV

समझौता ज्ञापन

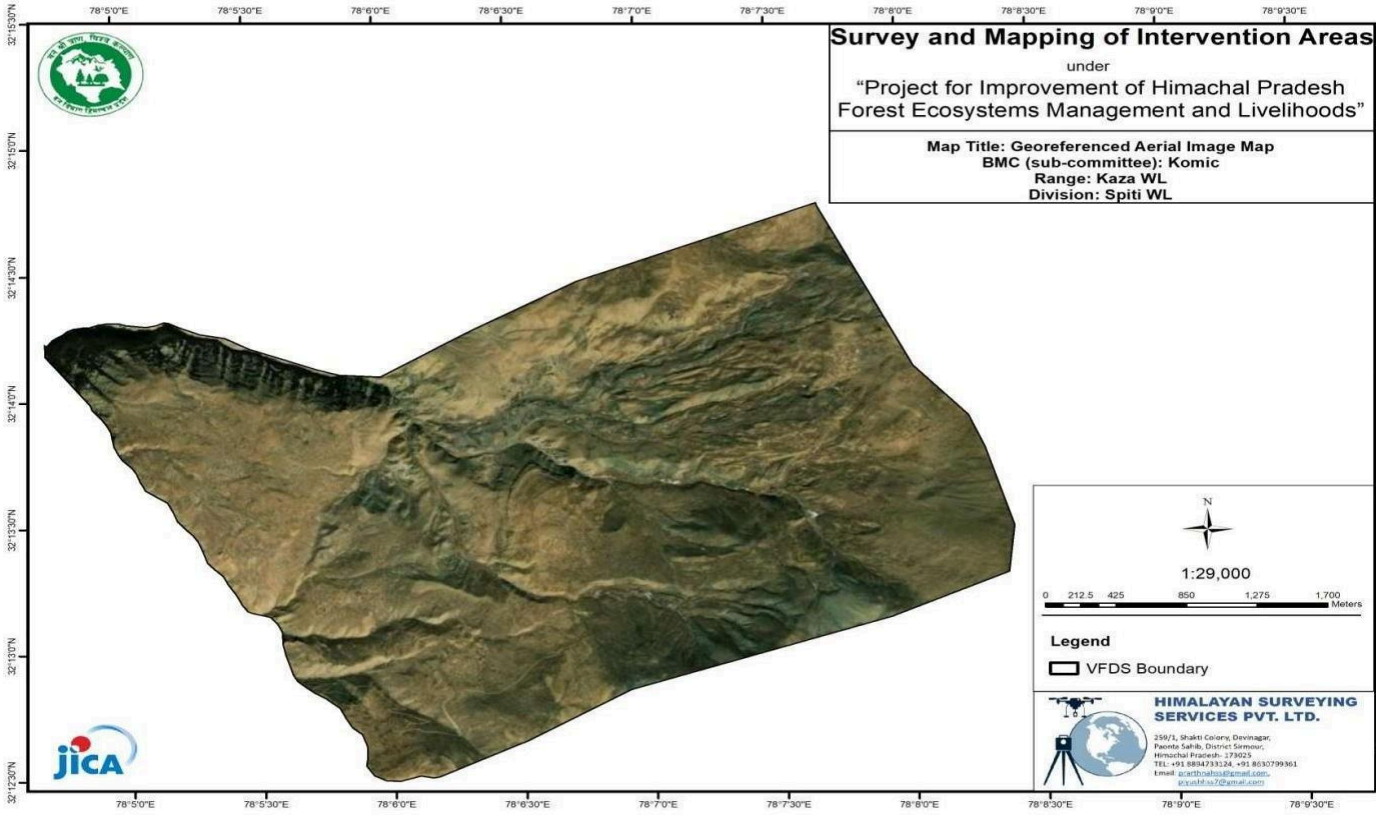

अनुबंध- IX

उपनियम

कोमिक जैव विविधता उप समिति की

THE BYE-LAWS

OF

The Komic Village Forest Development Society

Project for Improvement of HP Forest Ecosystems Management & Livelihoods

NAME, ADDRESS AND AREA OF OPERATION

1 The society shall be called the _BMC Sub Committee Komic Village Forest Development Society.

It shall be referred to here-in-after as the society.

2 The registered address of the society shall be C/O Tanpa Chhering S/O Palden Village Komic Post Office Komic Tehsil Spiti District Lahaul & Spiti

3 The area of operation of the society shall cover the following village/villages:

Definitions

4 In these by-laws, unless there is anything repugnant in the subject or context

i "**Act**" means Indian Forest Act, 1927, (Act No.16 of 1927) as amended in its application to Himachal Pradesh;

ii "**Conflict Resolution Group**" means a group consisting of representatives of the concerned Gram Panchayats, a representative of the local non-government organizations or local community based organizations, a representative from local/migratory community and the concerned Assistant Conservator of Forests/Forest official;

iii "**common land', "family', "Gram Panchayat', "Panch", "Pradhan", "Village" and "Ward**" shall have the meanings respectively assigned to them in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.4 of 1994);

iv **CD & LIP:** Community Development and Livelihood Improvement Plan refers to the plan activities that shall be included in the microplan to enhance community well being and resilience of household economy.

v **CIG:** Common Interest Group refers to a group of persons who have a common interest in a particular Livelihood Improvement Activitiy.

vi "**Department**" means the Himachal Pradesh Forest Department.

आज दिनांक 14 04 2020 को ग्राम पंचायत लांग्जा गांव कौमिक से अध्यक्षता प्रधान श्री और डिप्टी वन विभाग अधिकारी (आरो) R.O साहब और गांव कौमिक के निवासी हो ने B.MC - Sub Cumittee komic मे गठित किया गया।

चुने हुए सदस्यो के नाम →

i)	अध्यक्ष	(M) Tanpa Chhering
ii)	उपप्रधान	(F) Tanzin Angmo
iii)	सैक्ट्री	(F) Padma Lamo
iv)	सहायक सैक्ट्री	(F) Yonden Dolma
v)	सदस्य	(M) Chhering Funchok
vi)	सदस्य	(M) Tanzin Norzang
vii)	सदस्य	(F) Sonam Chhodon
viii)	कोष अध्यक्ष	(M) B.O सुरेश कुमार
ix)	सदस्य	(M) Fgd छुए नाम नेगी
x)	सदस्य	(F) Chhering Paldon

प्रतिलिपि ÷

i) ग्राम पंचायत लाँग्चा

ii) वन मण्डल अधिकारी काजा

Mumbem सैक्ट्री

तनपा छेरिंग
अध्यक्ष. B.MC. Sub Committee

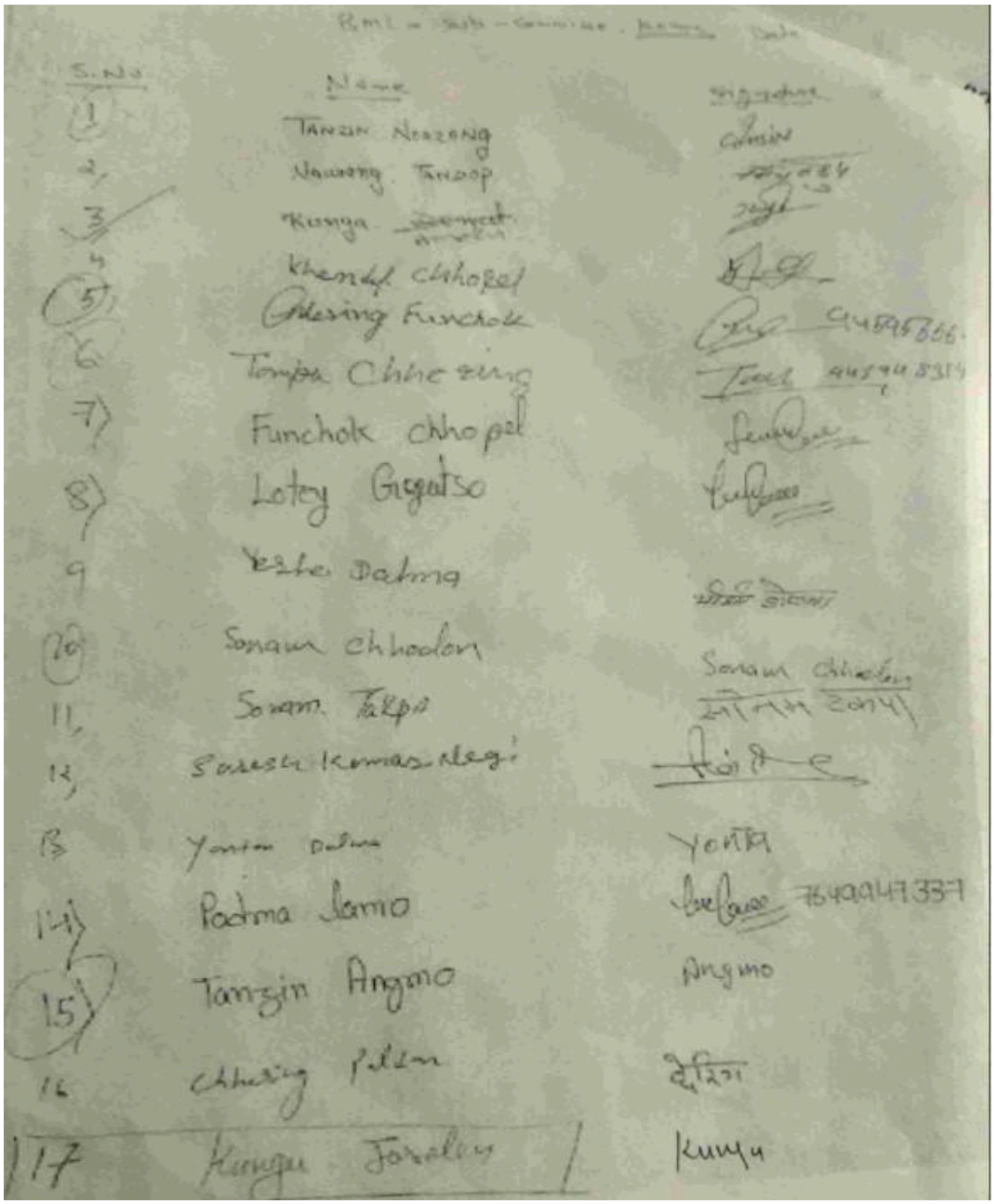

BMC - Sub - Committee . [illegible] Date

S.No	Name	Signature
1	Tanzin Norzang	[illegible]
2,	Nawang Tandop	[illegible]
3	Kunga [illegible]	[illegible]
4	Khendup Chhopel	[illegible]
5)	Tsering Funchok	[illegible] 945895866.
6	Tompa Chhe ring	[illegible] 9459 4 8314
7)	Funchok Chhopel	[illegible]
8)	Lotey Gyatso	[illegible]
9	Yeshe Dolma	[illegible]
10	Sonam Chhodon	Sonam Chhodon
11,	Sonam Tarpa	सोनम तरपा
12,	Suresh Kumar Negi	[illegible]
13	Yonten Dolma	YONTA
14)	Padma Lamo	[illegible] 7649947337
15)	Tanzin Angmo	Angmo
16	Chhering Palzom	छेरिंग
17	Kunga Jordon	Kunga

अनुबंध- एक्स

सोसायटी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

Registration No : HPCD-3990

Certificate of Registration of Societies

Himachal Pradesh Societies Registration Act 2006 (Act No. 25 of 2006)

This is certified that the **BMC SUB COMMITTEE KOMIC** located at **VILLAGE KOMIC POST OFFICE HIKKAM TEHSIL SPITI DISTRICT L& S HIMACHAL PRADESH** has been registered under the provisions of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006) on the **3rd** day of **June 2022** (03/06/2022).

Given under my hand and seal at **SDM Office, Kaza**, Himachal Pradesh.

Deputy Registrar, Spiti at Kaza, Distt. L&S (H.P.)

Deputy Registrar,
District Lahaul & Spiti (H.P.)

SDM -cum- Deputy Registrar of Societies
Himachal Pradesh

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The Komic BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO Wildlife SPITI) for Participatory Forest Management.

Whereas

- The Komic BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part III dated 19.11.2018, by the Villagers of Komic BMC Sub-Committee in district lahoul & Spiti and Forest Division Wildlife Spiti of Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called"EC");
- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called "Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division;
- the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;
- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the wildlife Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now herewith

The Wild Life Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently, this MoU is executed with the following articles:

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (hereinafter called "MoU") details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest area(s) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2. Responsibilities of the Society

2.1. With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

2.2. The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearbyvillages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards asapplicable.

2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are beingviolated.

2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.

2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, illicit transport, illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.

2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in harming the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.

2.9. The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.

2.10. The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.

2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.

2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.

2.13. Society agrees to ensure that there will be no mis utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP

implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.15. The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for Sub-committee under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

3.1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/ converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5. The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6. Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

4.2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation, Biodiversity conservation etc.,willbecredited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan)of VFDS/BMC (Sub-Committee). In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihood activities.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of theSociety. Society will further distribute fund similarly.

5. Rights and Benefit Sharing

5.1. The **Rights** of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected

due to constitution of the Society and will continue to be exercisedas heretofore.

5.2. The **Benefits** which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are asfollows:

i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, loppings, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;

ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;

iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;

iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;

v) after 5 years, the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;

vi) To utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

Provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling,

Whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,

6. Monitoring & Evaluation

6.1. Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.

6.2. The EC of VFDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

6.3. A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.

6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for thatactivity.

6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only

when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfil conditions mentioned in para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I तनपा डोलमा, President, Komic Joint VFDS/BMC (Sub-Committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MoU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and in their original meaning.

तनपा डोलमा

(Name and Signature of the President)

On behalf of VFDS/BMC (Sub-Committee)

President B.M.C. Sub-Committee

Divisional Forest Officer

Forest Division

(on behalf of HPFD)

DFO Spiti

Witnesses: Village Forest Development Society/BMC (Sub-Committee) and The Forest Department for Participatory Forest Management.

1. Padmer Lamo

2. Tamzin

3.

4

I,____________________________, ____________________________[position] undertake, on behalfof ____________________________Forest Department, to implement all duties/responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

DFO WL Spiti

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of____________________Forest Department

अनुबंध- इलेवन

कॉमिक वार्ड की झलकियाँ

अनुबंध **XIII**

वित्तपोषण और मंजूरी के लिए सूक्ष्म योजना मूल्यांकन मानदंड

डीएमयू: वन्यजीव प्रभाग..... एफटीयू: वन्यजीव रेंज ……..बीट:.....

जीपी: …… बीएमसी उप-समिति:.....

क्र.सं	मूल्यांकन के मानदंड	उपलब्धि DD/MM/YY	अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय स्थिति
	प्रक्रिया संबंधी		
1.	जीपी स्तर और वार्ड स्तर पर जागरूकता की गई		
2.	प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए जीपी की सहमति/वार्ड की सहमति प्राप्त की गई		
3.	बीएमसी उप-समिति गठित/कार्यकारी समिति का गठन किया गया		
4.	बीएमसी उप-समिति पंजीकृत		
5.	माइक्रो-कार्य के लिए डीएमयू और बीएमसी उप-समिति के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। योजना और कार्यान्वयन		
6.	ईसी 1अनुसूचित जनजातिउनकी भूमिका समझाने के लिए बैठक आयोजित की गई और जिम्मेदारियाँ		
7.	बीएमसी उप-समिति का खाता खोला गया		
8.	प्रतिनिधित्व करने वाले परिवारों का प्रतिशत सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया(एप्लिकेशन)		
9.	शामिल महिला प्रतिभागियों का प्रतिशत सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया(एप्लिकेशन)		
10.	एकत्रित जानकारी को क्रॉसचेक किया गया और ग्रीन असेंबली में अद्यतन किया गया		
11।	महिलाएं, गरीब, युवा और अन्य समुदाय सूक्ष्म-योजना प्रक्रिया में शामिल थे		

12.	बीएमसी उप-समिति में शामिल सूचना विश्लेषण और प्रमुख उभरती गतिविधियों को अंतिम रूप देना		
13.	माइक्रो प्लान (सीबीएमपी, सीडी एवं एलआईपी) द्वारा अनुमोदित		

	आम सभा में बीएमसी उप-समिति और कार्यकारी समिति द्वारा पुष्टि की गई		
14.	एमपी (सीबीएमसी, सीडी एवं एलआईपी) के लिए निर्धारित प्रारूप सामाजिक और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है		
15.	माइक्रो प्लान में उल्लिखित सीबीएमपी, सीडी और एलआईपी और अभिसरण की कुल राशि		
16.	एमपी(सीबीएमपी, सीडी एवं एलआईपी) को पूरा करने में लगे दिन		
17.	एफटीयू द्वारा डीएमयू को सूक्ष्म योजना प्रस्तुत की गई		
18.	डीएमयू के प्रमुख द्वारा माइक्रो प्लान को मंजूरी दी गई		
	आउटपुट संबंधी		
19.	कार्यकारिणी सदस्यों की सूची संलग्न है		
20.	बीएमसी उपसमिति का योगदान है		
21.	क्या सीबीएमपी और सीडी एवं एलआईपी गतिविधियां परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप हैं		
22.	आरंभिक तौर पर आजीविका गतिविधियों की जाँच की गई सूक्ष्म नियोजन टीम द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता		
23.	अभिसरण गतिविधियाँ शामिल हैं		
24.	बीएमसी उप-समिति प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलू शामिल है		
25.	डीएमयू द्वारा सीबीएमपी, सीडी एवं एलआईपी की लागत की जांच की गई		
26.	माइक्रो प्लान में प्रतिकूल प्रभाव शामिल है परिवार/समूह, यदि कोई हो		
27.	पीआरए उपकरण, भलाई विश्लेषण, बीएमसी उप- समिति का संकल्प, सीबीएमपी के मानचित्र और अन्य दस्तावेज संलग्न हैं		
28.	द्वितीयक सूचना के स्रोत मैंने सूक्ष्म योजना का उल्लेख किया		

एफएमयू द्वारा मूल्यांकन किया गया डीएमयू द्वारा अनुशंसित पीएमयू द्वारा अनुमोदित